सत्यमेव जयते

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्ति
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xiv
अध्याय – I		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत	1.3	5
कुल बकायों तथा 5 वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.4	6
संग्रहण का विश्लेषण	1.5	8
कर का अपवंचन	1.6	9
प्रतिदाय	1.7	9
लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर	1.8	9
उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता	1.8.1	9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.8.2	11
लेखापरीक्षा को जांच हेतु अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.8.3	12
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.8.4	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.8.5	13
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.8.6	13
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.9	14
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.9.1	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन	1.9.2	16
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.9.2.1	16

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्ति
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.9.2.2	16
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	17
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.11.1	17
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.11.2	18
अध्याय – 2		
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट		
कर प्रबंध	2.1.1	19
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.1.2	19
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.1.3	20
करदाता प्रोफाइल	2.1.4	21
प्रति निर्धारिती वैट की लागत	2.1.5	21
निर्धारणों में बकाया	2.1.6	21
संग्रहण की लागत	2.1.7	22
संग्रहण का विश्लेषण	2.1.8	23
लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव	2.1.9	23
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	2.1.9.1	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	2.1.9.2	24
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.10	25
निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	26
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन	2.3	41
कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण	2.3.1	41
ग्वार गम की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर का अनुद्ग्रहण	2.3.2	42
इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	2.3.3	42
वर्गीकरण/आवर्त्त का गलत निर्धारण	2.4	44

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्ति
विक्रयों के गोपन के कारण कर का अपवंचन	2.4.1	44
फार्म 'एफ' के दुरूपयोग के कारण कर का अपवंचन	2.4.2	45
जाली घोषणा फार्म 'सी' प्रस्तुत करने से कर का अपवंचन	2.4.3	46
गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण	2.4.4	47
अध्याय – 3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबन्ध	3.1.1	49
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.1.2	49
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	3.1.3	50
संग्रहण की लागत	3.1.4	51
राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.1.5	51
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	3.1.5.1	51
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	3.1.5.2	52
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.6	53
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन	3.2	54
पुनः नीलामी पर अन्तरीय लाईसैंस फीस की अवसूली	3.2.1	54
ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.2.2	55
लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.2.3	56
अध्याय – 4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबन्ध	4.1.1	57
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.1.2	57
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	4.1.3	58
संग्रहण की लागत	4.1.4	58
राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.1.5	59
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	4.1.5.1	59

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्ति
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	4.1.5.2	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.6	60
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अननुपालना	4.2	62
अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.2.1	62
संयंत्र एवं मशीनरी पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण	4.2.2	63
दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.2.3	64
दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण	4.2.4	65
अचल सम्पत्ति की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.2.5	66
सरकारी अधिसूचना/अनुदेशों का अननुपालन	4.3	67
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.3.1	67
अध्याय – 5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबन्ध	5.1.1	69
यात्री एवं माल कर	5.1.1.1	69
वाहनों पर कर	5.1.1.2	69
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.1.2	69
यात्री एवं माल कर	5.1.2.1	70
वाहनों पर कर	5.1.2.2	71
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	5.1.3	71
संग्रहण की लागत	5.1.4	73
राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव	5.1.5	74
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	5.1.5.1	74
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	5.1.5.2	75

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्ति
आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का कार्यचालन	5.1.6	76
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.7	76
यात्रियों तथा माल कर से प्राप्तियां पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5.2	78
परिवहन विभाग		
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन	5.3	89
स्टेज कैरिज परमिटों पर बोली धन की अवसूली/कम वसूली	5.3.1	89
अध्याय – 6		
अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.1	91
खदान एवं भू – विज्ञान विभाग		
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अननुपालना	6.2	92
बोली धन की अवसूली/कम वसूली	6.2.1	92

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/जिनके 30 सितम्बर 2012 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए।	1.8.5	95
II	लोक लेखा समिति की बकाया अनुशंसाओं के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है।	1.8.5	96
III	30 जून 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण	1.9.1	97
IV	वर्ष 2002 – 03 से 2010 – 11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं तथा अनुशंसाओं के विवरण	1.9.2.2	98
V	वर्ष 2011 – 12 की लेखापरीक्षा योजना	1.10	101
शब्दावली		103-104	

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की बिक्रियों, व्यापार आदि पर करों/मूल्य वर्धित कर, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, यात्री एवं माल कर, कृषि (क्रय कर) से समायुक्त प्राप्तियों तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2011-12 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

4. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में, ₹ 1,746.01 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अन्/कम उद्ग्रहण से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 18 अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

1. अध्याय – 1

सामान्य

अध्याय 1, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के वित्त लेखाओं तथा राज्य बजट की लेखापरीक्षा पर आधारित है। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार की वर्ष 2011-12 की कुल राजस्व प्राप्तियों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व में कर तथा कर-भिन्न राजस्व शामिल है।

- वर्ष 2011-12 हेतु राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 30,557.59 करोड़ थी। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व ₹ 20,399.46 करोड़ के कर राजस्व तथा ₹ 4,721.65 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व से समायुक्त, ₹ 25,121.11 करोड़ था। राज्य सरकार ने विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 2,681.55 करोड़ तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों के रूप में ₹ 2,754.93 करोड़ भी प्राप्त किए। गत वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,993.91 करोड़ (20 प्रतिशत) तक वृद्धि मुख्यत: राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों में वृद्धि के कारण थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

- वर्ष 2011-12 के दौरान, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की, की गई नमूना-जांच ने 9,130 प्रकरणों में कुल ₹ 2,866.67 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि प्रकट किए। वर्ष 2011-12 के दौरान विभागों ने 6,619 प्रकरणों में ₹ 1,765.33 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने 190 प्रकरणों में ₹ 2.67 करोड़ वसूल किए।

(अनुच्छेद 1.11.1)

2. अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2003 में राज्य में विद्यमान सामान्य बिक्री कर अधिनियम के स्थान पर मूल्य वर्धित कर (वैट) पर आधारित कराधान संरचना का सूत्रपात करने का निर्णय लिया। वैट के कार्यान्वयन के उद्देश्यों के साथ-साथ कर संरचना सरल तथा अधिक पारदर्शी करके आम जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा सरकार की भी सहायता करनी थी। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संवीक्षा/लेखापरीक्षा के अध्यधीन निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) द्वारा वार्षिक

निर्धारण की विद्यमान प्रणाली को डीलरों द्वारा स्वनिर्धारण की प्रणाली द्वारा संशोधित प्रणाली में बदला गया। हमने संपूर्ण राज्य में वैट अधिनियमों तथा नियमों में आयोजना, नीति तथा बदलाव प्रक्रिया में कमियां देखी।

इस अध्याय में हम डी.ई.टी.सीज के कार्यालय, जहां हमने पाया कि ए.एज द्वारा अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था, में वैट तथा सी.एस.टी. के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना-जांच के दौरान देखी गई अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 10.99 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरणों तथा ₹ 1,715.02 करोड़ से आवेष्टित निष्पादन लेखापरीक्षा **''निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण''** के परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग

निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने तथा अंतर्विभागीय डाटाबेस के विनिमय की प्रणाली आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अंपजीकृत निर्माण ठेकेदारों से ₹ 283.88 करोड़ के राजस्व की अवसूली तथा ठेकादाताओं द्वारा ₹ 88.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. की कम कटौती हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.9)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज.) द्वारा अपने मार्गनिर्देशों की अनुपालना करवाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1303.16 करोड़ के कर तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.12.1 तथा 2.2.12.2)

- सकल आवर्त से अस्वीकार्य कटौतियों की अनुमति से ₹ 9.17 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12.3 से 2.2.12.6)

- बिक्री के संपादनों का निर्माण ठेके के रूप में गलत वर्गीकरण से ₹ 22.47 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.13)

वैट में अनुपालन कमियां

- अवर्गीकृत मद के संबंध में कर की गलत दर के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ (₹ 3.81 करोड़ के ब्याज सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1)

- कर निर्धारित करने से पूर्व, हरियाणा के भीतर विभागीय प्राधिकारियों से बिक्रियों एवं क्रयों के सम्पादनों की क्रॉस जांच करने में ए.एज की विफलता के कारण ₹ 1.26 करोड़ (₹ 94.53 लाख के जुर्माने सहित) की राशि के वैट का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.1)

3. अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

राज्य आबकारी राजस्व, कर राजस्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मुख्यत: दुकानों के किराए, डिस्टीलरियों, ब्रेवरीज तथा शराब डीलरों को जारी किए गए लाईसैंसों की फीस, शराब पर शुल्क, कर तथा कंपोजिशन फीस, जुर्माने एवं शास्तियां इत्यादि शामिल हैं। राज्य उत्पाद शुल्क संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत किया जाता है। राज्य सरकार, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलयुक्त शराब तथा राज्य में विनिर्मित अथवा उत्पादित अफीम, गांजा एवं नशीली दवाओं पर आबकारी शुल्क और अन्यत्र विनिर्मित तथा राज्य में लाए गए ऐसे माल पर आबकारी शुल्क के बराबर शुल्कों का उद्ग्रहण करती है। उद्ग्रहण, राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है।

इस अध्याय में राज्य उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना-जांच के दौरान अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 4.75 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरण सम्मिलित हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग

- अनुबंध शर्तों की धारा जोखिम एवं लागत पर बिक्रियों की पुन: नीलामी के पश्चात् सरकार को ₹ 2.67 करोड़ के राजस्व से वंचित रखते हुए विभाग ने, रिटेल लिकर आऊटलैटस के 17 चूककर्ता आबंटियों से लाइसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

(अनुच्छेद 3.2.1)

- वर्ष 2010-11 हेतु 97 लाइसैंसधारियों द्वारा लाइसैंस फीस की मासिक किस्त के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप राजकीय राजकोष को ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2.2)

- विभाग ने, रिटेल शराब आऊटलेटस के 10 चूककर्ता लाइसैंसधारियों से लाइसैंस फीस वसूल करने हेतु नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की लाइसैंस फीस तथा ब्याज की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2.3)

4. अध्याय – 4

स्टाम्प शुल्क

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) तथा राज्य के अधिनियमों की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न दस्तावेजों पर उनमें विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जाता है। ऐसे शुल्क का भुगतान दस्तावेजों के निष्पादकों द्वारा उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर मोहर लगवाकर अथवा उनपर उचित मूल्य के स्टाम्प चिपकाकर किया जाता है। राज्य सरकारों ने उनमें निहित शक्तियों के सद्गुण द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियम बनाए हैं। इन नियमों में स्टाम्प शुल्क के निर्धारण एवं संग्रहण हेतु विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम) तथा उसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियम, पंजीकरण फीस के अंतर्गत राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली को बृहद रूप से रेखांकित करते हैं।

इस अध्याय में स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण से संबंधित अभिलेखों की हमारी नमूना–जांच के दौरान देखी गई अभ्युक्तियों से चयनित ₹ 4.13 करोड़ के व्याख्यात्मक प्रकरण सम्मिलित हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.92 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.1)

- विभाग द्वारा दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.4)

- आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले प्लाटों के बिक्री विलेखों पर ₹ 2.22 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण।

(अनुच्छेद 4.2.5)

5. अध्याय – 5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन कर तथा यात्री एवं माल कर, उपयोग किए गए अथवा उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटर वाहन पर विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्राहय है। इसी प्रकार, सार्वजनिक सेवा वाहनों के संबंध में निर्धारित दरों पर अतिरिक्त कर मालिक द्वारा भुगतान किया जाना होता है।

इस अध्याय में ₹ 6.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली ''यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.51 लाख से आवेष्टित व्याख्यात्मक मामला सम्मिलित है।

''**यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों**'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परि ाामस्वरूप 368 मैक्सी कैब/टैक्सी के मामले में ₹ 91.93 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

- मैक्सी कैबस/टैक्सियों के 309 मामलों में ₹ 49.88 लाख की राशि के यात्री कर, ₹ 20.07 लाख के ब्याज के अतिरिक्त शास्ति की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.13.1)

- चार जिलों में सहकारी समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों के मामले में ₹ 17.08 लाख की राशि के यात्री कर तथा ₹ 2.71 लाख के ब्याज की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.13.2)

- 10 डी.ई.टी.सीज कार्यालयों में 2,630 मामलों में ₹ 3.15 करोड़ की राशि के माल कर तथा ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.14)

- 560 कर निर्धारित मामलों में से 81 मामलों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.28 लाख के यात्री कर की अवसूली।

(अनुच्छेद 5.2.15)

परिवहन विभाग

- वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 हेतु ₹ 33.51 लाख का बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था और न ही 20 परिवहन सहकारी समितियों के मालिकों से पांच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया था।

(अनुच्छेद 5.3.1)

6. अन्य कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां

इस अध्याय में खनन विभाग, जहां ₹ 3.84 करोड़ की राशि का बोली धन तथा ब्याज वसूल नहीं किया गया था, से संबंधित व्याख्यात्मक मामला सम्मिलित है।

खदान एवं भू–विज्ञान विभाग

- विभाग, ठेकेदारों से शेष बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 80.10 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.84 करोड़ के बोली धन की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.2.1)

अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का राज्य का हिस्सा नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	11,617.82	11,655.28	13,219.50	16,790.37	20,399.46
	• कर-भिन्न राजस्व	5,097.08	3,238.45	2,741.40	3,420.94	4,721.65
	योग	**16,714.90**	**14,893.73**	**15,960.90**	**20,211.31**	**25,121.11**
2	**जी.ओ.आई. से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा[1]	1,634.36	1,724.62	1,774.47	2,301.75	2,681.55
	• सहायता अनुदान	1,401.48	1,833.96	3,257.29	3,050.62	2,754.93
	योग	**3,035.84**	**3,558.58**	**5,031.76**	**5,352.37**	**5,436.48**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**19,750.74**	**18,452.31**	**20,992.66**	**25,563.68**	**30,557.59**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**85**	**81**	**76**	**79**	**82**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 25,121.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का पूर्ववर्ती वर्ष में 79 *प्रतिशत* के विरूद्ध 82 *प्रतिशत* था। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों का शेष 18 *प्रतिशत* जी.ओ.आई. से था।

गत वर्ष से 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,993.91 करोड़ (20 *प्रतिशत*) की वृद्धि राज्य के अपने कर के हिस्से तथा कर-भिन्न राजस्व में ₹ 4,909.80 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

गत वर्ष से 2011-12 में सहायता अनुदानों में ₹ 295.69 करोड़ (10 प्रतिशत) की कमी मुख्यत: ₹ 75.20 करोड़ (10 प्रतिशत) के राज्य योजनागत अनुदानों और ₹ 519.47 करोड़ (29 प्रतिशत) के योजनेत्तर अनुदानों में कमी के कारण थी।

[1] विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 11 देखें-वर्ष 2011-12 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 से 2011-12 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर (वैट)	7,720.98	8,154.73	9,032.37	11,082.01	13,383.69	(+) 21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,378.81	1,418.53	2,059.02	2,365.81	2,831.89	(+) 20
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस						
	स्टाम्पस- न्यायिक	91.37	1,030.90	945.91	848.09	99.76	(-) 88
	स्टाम्पस- गैर-न्यायिक	1,651.94	267.27	341.86	1,450.33	2,646.35	(+) 82
	पंजीकरण फीस	19.97	28.22	5.79	20.86	46.89	(+) 125
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	379.39	370.29	391.45	387.14	429.32	(+) 11
5.	वाहनों पर कर	233.79	239.30	277.07	457.36	740.15	(+) 62
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	107.45	106.31	119.58	130.27	166.43	(+) 28
7.	भू-राजस्व	9.38	8.58	9.43	10.02	10.95	(+) 9
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	24.74	31.15	37.02	38.48	44.03	(+) 14
योग		**11,617.82**	**11,655.28**	**13,219.50**	**16,790.37**	**20,399.46**	**(+) 21**

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गये थे:

- **बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट):** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (21 *प्रतिशत*) मुख्यत: सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण थी। तथापि, ब्रह्द भिन्नताएं अर्थव्यवस्था में उत्पलावक्ता के कारण थी।
- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (20 *प्रतिशत*) मुख्यत: देशी शराब (सी.एल.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) की लाईसैंस फीस में वृद्धि तथा आबकारी नीति के बेहतर प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन के कारण भी थी।
- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: अचल सम्पत्ति के लेन-देनों में वृद्धि के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (62 *प्रतिशत*) अतिरिक्त संसाधनों के संघटन तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (28 *प्रतिशत*) मुख्यत: विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की वृद्धित वसूली के कारण थी।

1.1.3 निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान उगाहे गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 से 2011-12 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	शहरी विकास	2,805.24	884.50	133.70	974.54	1,039.35	(+) 7
2.	ब्याज प्राप्तियां	757.20	776.28	667.88	689.34	864.96[2]	(+) 25
3.	सड़क परिवहन	622.56	645.04	699.57	761.72	852.96	(+) 12
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	215.74	195.97	247.49	82.59	75.53	(-) 9
5.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	105.54	120.95	96.81	115.63	99.95	(-) 14
6.	विविध सामान्य सेवाएं	91.25	89.39	95.93	(-) 9.75[3]	128.49	(+) 1,417
7.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	72.27	74.01	218.56	202.26	583.16	(+) 188
8.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	117.70	156.10	285.10	270.37	295.72	(+) 9
9.	पुलिस	41.44	55.22	35.11	61.53	62.64	(+) 2
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	33.79	40.74	56.13	44.32	39.12	(-) 12
11.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	64.91	30.94	30.23	47.06	54.79	(+) 16
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	169.44	169.31	174.89	181.33	624.98	(+) 245
योग		**5,097.08**	**3,238.45**	**2,741.40**	**3,420.94**	**4,721.65**	**(+) 38**

संबंधित विभागों द्वारा भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए थे:

- **ब्याज प्राप्तियां:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (25 *प्रतिशत*) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से वृद्धित प्राप्ति के कारण थी।

- **विविध सामान्य सेवाएं:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (1,417 *प्रतिशत*) केन्द्र सरकार से ऋण राहत की प्राप्ति के कारण थी।

[2] सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के दर्ज समायोजन के रूप में ₹ 413.94 करोड़ सम्मिलित हैं।

[3] प्राप्तियों से अधिक प्रत्यर्पणों के कारण।

- **बृहद् एवं मध्यम सिंचाई:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मध्यम सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत गलत बुकिंग के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बावजूद भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अगस्त 2012)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	विभिन्नता वृद्धि (+)/ कमी (–)	प्रतिशतता
•	**कर राजस्व**				
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	14,100.00	13,383.69	(-) 716.31	(-) 05
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,831.89	(+) 431.89	(+) 18
3.	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,350.00	2,793.00	(+) 443	(+) 19
4.	वाहनों पर कर	515.00	740.15	(+) 225.15	(+) 44
5.	बिजली पर कर एवं शुल्क	155.00	166.43	(+) 11.43	(+) 07
6.	भू-राजस्व	16.09	10.95	(-) 5.14	(-) 32
7.	उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क	45.80	44.03	(-) 1.77	(-) 04
8.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर	425.00	429.32	(+) 4.32	(+) 01
•	**कर-भिन्न राजस्व**				
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	75.00	75.53	(+) 0.53	(+) 01
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	61.00	39.12	(-) 21.88	(-) 36
3.	पानी की दरें (मध्यम सिंचाई)	6.44	7.44	(+) 1.00	(+) 16
4.	ब्याज प्राप्तियां	816.49	864.96	(+) 48.47	(+) 6
5.	शहरी विकास	1,300.00	1,039.35	(-) 260.65	(-) 20
6.	पुलिस	71.42	62.64	(-) 8.78	(-) 12
7.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	102.99	54.79	(-) 48.20	(-) 47
8.	लोक निर्माण	14.10	7.84	(-) 6.26	(-) 44

विभागों द्वारा यथा प्रस्तुत बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताओं के कारण नीचे उल्लिखित हैं:

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (19 *प्रतिशत*) अचल सम्पत्ति के अधिक लेन-देनों के कारण थी।

- **वाहनों पर करः** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (44 *प्रतिशत*) अतिरिक्त संसाधनों के संघटन तथा कर वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करने के कारण थी।
- **बिजली पर कर एवं शुल्कः** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (सात *प्रतिशत*) विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क की वृद्धित वसूली के कारण थी।
- **भू–राजस्वः** राजस्व प्राप्तियों में कमी (32 *प्रतिशत*) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना[4] की कम वसूली के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवनः** राजस्व प्राप्तियों में कमी (36 *प्रतिशत*) पेड़ न काटने के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने (अगस्त 2012) के बावजूद बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (सितंबर 2012)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

2009–10 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 हेतु सकल संग्रहण हेतु संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010–11 हेतु अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2009-10	9,032.37	78.48	0.87	0.75
		2010-11	11,082.01	87.82	0.79	
		2011-12	13,383.69	87.65	0.65	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	3.05
		2010-11	2,365.81	21.57	0.91	
		2011-12	2,831.89	22.39	0.79	
3.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	2009-10	1,293.56	13.72	1.06	1.60
		2010-11	2,319.28	11.39	0.49	
		2011-12	2,793.00	11.57	0.41	
4.	वाहनों पर कर	2009-10	277.07	11.32	4.08	3.71
		2010-11	457.36	13.38	2.93	
		2011-12	740.15	13.07	1.77	

स्रोतः वित्त लेखे।

[4] सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

1.4 कुल बकायों तथा 5 वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के सम्बन्ध में राजस्व के बकाया, जैसा विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, ₹ 3,982.60 करोड़ के थे, जिनमें से ₹ 2,864.27 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	3,405.08	2,583.52	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 600.03 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 8.89 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण स्थागित किए गए थे। ₹ 22.01 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 36.03 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 224.35 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः कल्पन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 133.00 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 18.20 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 2,362.57 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	119.19	76.53	₹ 12.59 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी। ₹ 69.04 लाख बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों के कारण ₹ 1.98 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 3.94 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 15.66 करोड़ तथा ₹ 9.72 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के कारण थे। ₹ 74.61 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	129.28	80.66	₹ 1 करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटैंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 127.44 करोड़ की बकाया राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेत् बकाया राशि	अभ्युक्तियां
				निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी. एन.एल.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी. एन.एल.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थी।
4.	• यात्री एवं माल पर कर	60.18	15.29	₹ 0.27 लाख की राशि बट्टे खाते डाली गई थी तथा ₹ 60.18 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	• स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	208.86	83.54	₹ 136.48 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। सरकारी परिसमापक/बी.आई. एफ.आर. के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 4.47 लाख की वसूली बकाया थी। ₹ 1.65 लाख की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 72.32 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
5.	पुलिस	13.72	8.22	₹ 7.38 करोड़ की वसूली भारतीय तेल निगम से बकाया थी। ₹ 5.50 करोड़ की वसूली आठ[5] राज्यों से बकाया थी। ₹ 28 लाख की शेष राशि थर्मल प्लांट, फरीदाबाद से वसूलनीय थी। ₹ 5.75 लाख की राशि कुम्भ मेला हरिद्वार से वसूलनीय थी तथा ₹ 49.65 लाख का बकाया कानून व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा यू.पी. और गुजरात से वसूलनीय था।
6.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क			
	• गन्ना (विनियमन, आपूर्ति एवं क्रय नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां	13.33	0.61	पांच चीनी मिलों (भादसों: ₹ 5.07 करोड़, नारायणगढ़: ₹ 4.68 करोड़, पानीपत: ₹ 3.20 करोड़ तथा यमुना नगर: ₹ 0.38 करोड़) ने कर जमा नहीं करवाया।
	• मनोरंजन शुल्क तथा प्रदर्शन कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	10.14	9.57	₹ 17.91 लाख की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.26 लाख बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 9.95 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।

[5] छत्तीसगढ़ (₹ 1.41 करोड़), गुजरात (₹ 0.44 करोड़), हिमाचल प्रदेश (₹ 0.40 करोड़), झारखंड (₹ 0.08 करोड़), केरल (₹ 0.02 करोड़), मध्य प्रदेश (₹ 0.44 करोड़), राजस्थान (₹ 0.59 करोड़) तथा उत्तर प्रदेश(₹ 2.12 करोड़)।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2012 को बकाया राशि	31 मार्च 2012 को पांच वर्षों से अधिक हेत् बकाया राशि	अभ्युक्तियां
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	22.82	6.33	₹ 9.88 करोड़ की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत थी। ₹ 5.50 करोड़ की वसूली उच्च न्यायलय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ दो लाख बट्टे खाते डाले जाने सम्भावित थे। ₹ 2.27 करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तर जिला बकायों के रूप में देय थे। ₹ 5.15 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर था।
योग		**3,982.60**	**2,864.27**	

अन्य विभागों के सम्बन्ध में 2011-12 के अन्त तक राजस्व के बकायों की स्थिति आग्रह किए जाने (अगस्त 2012) के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई थी (अक्तूबर 2012)।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री कर/वैट प्रकरणों के पूर्व-निर्धारण चरण पर कुल संग्रहण तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् का विघटन तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	पूर्व-निर्धारण चरण पर संगृहीत राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् संगृहीत राशि	करों एवं शुल्कों के भुगतान में विलंब हेतु जुर्माना	प्रत्यर्पित राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार निवल संग्रहण	कॉलम 3 से 8 की प्रतिशतता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2007-08	7,223.15	722.01	1.59	81.15	7,865.60	7,720.98	94
	2008-09	8,132.08	470.14	58.28	101.34	8,559.16	8,154.73	100
	2009-10	9,973.05	393.21	1.24	133.09	10,234.41	9,032.37	110
	2010-11	11,224.83	2,022.92	1.17	623.04	12,625.88	11,082.01	101
	2011-12	14,286.78	417.66	7.48	603.72	14,108.20	13,383.69	107

1.6 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया, नीचे उल्लिखित हैं:

राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2011 को लम्बित मामले	वर्ष 2011 – 12 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल (2 + 3)	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा वर्ष 2011 – 12 के दौरान पैनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2012 को लम्बित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ लाख में)	
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	97	2,135	2,232	2,177	442.75	55
राज्य उत्पाद शुल्क	823	2,717	3,540	2,719	86.91	821
यात्री एवं माल पर कर	903	9,297	10,200	9,047	709.87	1,153

अन्य विभागों ने आग्रह किए जाने (अगस्त 2012) के बावजूद विवरण प्रस्तुत नहीं किए (अक्तूबर 2012)।

1.7 प्रतिदाय

वर्ष 2011-12 के आरम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदायों तथा वर्ष के अन्त (मार्च 2012) में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे उल्लिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दावों के विवरण	बिक्री कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	610	371.77	13	0.06
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,169	478.78	861	10.86
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	3,395	743.31	862	10.77
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	384	107.24	12	0.15

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर

1.8.1 उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/सिफारिशों पर कार्रवाई के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षिप्त प्रस्तावना नीचे उल्लिखित है:

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा (पी.ए.जी.) नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आरज) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, आई.आरज में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा आई.आरज जारी किए जाने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर पी.ए.जी. को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रत्येक वर्ष विधान सभा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के माध्यम से सूचित की जाती हैं। विभागों को, उनके उत्तर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) को प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है जो अपनी बैठकों में उनकी जांच करती है तथा अपनी रिपोर्टें राज्य विधान सभा को देती है।

दिसम्बर 2011 तक जारी आई.आरज ने प्रकट किया कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नरूपी आंकड़ों के साथ नीचे उल्लिखितानुसार जून 2012 के अन्त में, 2,268 आई.आरज से सम्बन्धित ₹ 1,023.95 करोड़ से आवेष्टित 4,507 अनुच्छेद बकाया रहे।

	जून 2010	जून 2011	जून 2012
बकाया आई.आरज की संख्या	2,460	2,313	2,268
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	5,122	4,734	4,507
आवेष्टित राशि (₹ करोड़ में)	1,507.03	1,484.56	1,023.95

30 जून 2012 को बकाया आई.आरज तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया आई.आरज की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	274	1,271	740.44
		राज्य उत्पाद शुल्क	93	152	50.36
		माल एवं यात्रियों पर कर	134	256	20.15
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	16	18	10.90
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	729	1,513	53.34
		भू-राजस्व	120	182	0.51
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	281	379	8.64
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	5	5	0.33
5.	कृषि (गन्ना)	गन्ने पर क्रय कर	31	33	24.68
6.	गृह (पुलिस)	अन्य सरकारों/रेलवे इत्यादि को नियोजित पुलिस की लागत की प्राप्तियां	51	56	18.25
7.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	100	133	14.59
8.	अन्य विभाग	विविध प्राप्तियां	434	509	81.76
		योग	**2,268**	**4,507**	**1,023.95**

आई.आरज के निर्गम की तारीख से छ: सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित प्रथम उत्तर भी दिसम्बर 2011 तक जारी 114 आई.आरज के संबंध में प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण आई.आरज की यह लम्बनता इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालयों के अध्यक्ष तथा विभागों के अध्यक्ष आई.आरज में पी.ए.जी. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहे।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकती है। सरकार, उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो निर्धारित समय सूचियों के अनुसार आई.आरज/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहते हैं तथा उनके भी, जो समयबद्ध ढंग से हानि/बकाया मांग वसूल करने की कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने अनुच्छेदों सहित आई.आरज में अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र करने के लिए सितम्बर 1985 में लेखापरीक्षा समितियां गठित की। लेखापरीक्षा समितियां प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रशासनिक सचिव (चेयरमैन), उप-महालेखाकार (संयोजक) तथा विभाग के अध्यक्ष (सदस्य) शामिल किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति की समीक्षा करने तथा इस बारे में कार्य की गति को मानीटर करने के लिए इन समितियों की बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने भी तिमाही आधार पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने तथा ऐसी बैठकों के परिणाम वित्त विभाग को सूचित करने के लिए प्रशासनिक सचिवों पर दबाव डाला है (अगस्त 1998)।

हमने देखा कि प्रशासनिक सचिव ने वर्ष 2011-12 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन सुनिश्चित नहीं किया। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए अनुच्छेदों के विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या (कुल अनुच्छेदों में से)	राशि (₹ करोड़ में) (कुल राशि में से)
स्टाम्प शुल्क	2	60 (240)	0.64 (1.85)
बिक्रियों व्यापार आदि पर कर/वैट	4	130 (279)	37.81 (135.77)
योग	**6**	**190 (519)**	**38.45 (137.62)**

2011-12 के दौरान, कर तथा कर-भिन्न राजस्व के नौ मुख्य शीर्षों से संव्यवहार करने वाले नौ विभागों में से, मात्र दो ने लेखापरीक्षा समिति की छ: बैठकें आयोजित की थी। इस प्रकार, ये विभागीय लेखापरीक्षा समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहीं हैं क्योंकि अधिकतर सरकारी विभागों द्वारा इन बैठकों के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/आपत्तियों का समापन/निपटान आरम्भ नहीं किया गया था।

सरकार को, प्रभावी प्रगति के लिये समितियों की आवधिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिये।

1.8.3 लेखापरीक्षा को जांच हेतु अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

उप–आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) के कार्यालयों में वैट प्राप्तियों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार कर लिया जाता है तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से सामान्यत: एक माह पहले विभाग को लेखापरीक्षा जांच हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रखने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सूचनाएं जारी की जाती हैं।

2011–12 के दौरान, तीन डी.ई.टी.सीज से संबंधित 422 वैट निर्धारण मामले लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, ₹ 182.74 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित वैट निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। इन मामलों का विघटन नीचे दिया गया है:

डी.ई.टी.सी. का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें आवेष्टित राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका	आवेष्टित राजस्व (₹ करोड़ में)
फरीदाबाद (पूर्व)	2011-12	338	338	110.29
फरीदाबाद (पश्चिम)	2011-12	74	74	70.78
पानीपत	2011-12	10	10	1.67
	योग	**422**	**422**	**182.74**

1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने 5 जनवरी 1982 को सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अपने उत्तर छ: सप्ताह के अन्दर भेजने हेतु निर्देश जारी किए थे। पी.ए.जी. द्वारा प्रारूप अनुच्छेदों को, अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छ: सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने हेतु उनको अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सैक्टर) में सम्मिलित 18 प्रारूप अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अप्रैल से सितंबर 2012 के दौरान अर्ध–शासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किए गए थे। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन – संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पी.ए.सी. द्वारा जांच हेतु मामले उठाए गए थे अथवा नहीं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व सैक्टर) में प्रस्तुत सभी अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वत: सकारात्मक तथा ठोस कार्रवाई आरम्भ करनी अपेक्षित थी। उन्हें, विधानसभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित अथवा की गई उपचारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

अनुच्छेदों, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट किए गए हैं तथा जिन पर 30 सितंबर 2012 को चर्चा लम्बित थी, की स्थिति **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है। 2006 – 07 से 2010 – 11 तक की अवधि से सम्बन्धित एक सौ उन्नीस अनुच्छेद पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु लम्बित थे। प्रशासनिक विभाग, विधान सभा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण[6] की तारीख से तीन माह के भीतर 119 अनुच्छेदों में से 40 के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करने में विफल रहे।

आगे, पी.ए.सी. की अनुशंसाओं के प्रति प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि 1977 – 78 से 2005 – 06 तक की अवधि से सम्बन्धित 658 अनुशंसाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा अन्तिम कार्रवाई न किए जाने के कारण अब तक लम्बित थीं (**अनुलग्नक II**)।

1.8.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

2006 – 07 से 2010 – 11 के बीच के वर्षों के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 753.85 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 325.31 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 तक वसूल की गई थी जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धन मूल्य	स्वीकृत धन मूल्य	की गई वसूली
2006-07	407.54	392.67	315.23
2007-08	122.75	29.65	1.93
2008-09	82.74	75.64	0.68
2009-10	346.97	72.76	3.42
2010-11	324.73	183.13	4.05
योग	**1,284.73**	**753.85**	**325.31**

स्वीकृत प्रकरणों के सम्बन्ध में वसूली मात्र 43 *प्रतिशत* थी, जिसने वसूलियां करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की कमी इंगित की।

[6] 2006 – 07: मार्च 2008, 2007 – 08: फरवरी 2009; 2008 – 09: मार्च 2010, 2009 – 10: मार्च 2011 तथा 2010 – 11: 09 मार्च 2012.

सरकार, सम्बन्धित विभागों को तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श दे सकती है।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा आई.आरज/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 में गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों के साथ निपटने में आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर/वैट) के निष्पादन पर तथा 2002–03 से 2011–12 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा की गई है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं को सम्मिलित करके आई.आरज तत्पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों/अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं। कार्यालयों के अध्यक्षों/विभाग/सरकार से आई.आरज में समाविष्ट अभ्युक्तियों की अनुपालना तथा त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से सुधारने की अपेक्षा की जाती है। उनके द्वारा आई.आरज के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर पी.ए.जी. को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी भी अपेक्षित थी। गंभीर वित्तीय अनियतिताएं भी, जांच एवं तत्पर कार्रवाई करने और उन पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, अग्रिम पैरा के निर्गम की तारीख से छः सप्ताह के भीतर देने हेतु अर्ध–सरकारी पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष (आबकारी एवं कराधान आयुक्त) तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्राप्त न होने के मामले में आई.आरज की निर्गम की तारीख से 50 दिनों के पश्चात् तथा उसके बाद प्रत्येक माह अनुस्मारक जारी किए जाते हैं। प्रशासनिक विभाग तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अर्ध–वार्षिक स्थिति भी अर्ध–सरकारी पत्र के माध्यम से जारी की जाती है।

गत 10 वर्षों के दौरान जारी की गई आई.आरज, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा मार्च 2012 को उनकी स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है।

(₹.करोड में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य	आई. आरज	अनुच्छेद	धन मूल्य
2002-03 तक	281	1795	169.50	32	340	116.70	4	339	23.09	309	1796	263.11
2003-04	309	1796	263.11	27	342	276.37	4	345	56.43	332	1793	483.05
2004-05	332	1793	483.05	30	401	97.29	19	442	42.66	343	1752	537.68
2005-06	343	1752	537.68	31	395	205.12	27	345	30.34	347	1802	712.46
2006-07	347	1802	712.46	26	379	66.23	5	312	41.63	368	1869	737.06
2007-08	368	1869	737.06	28	354	64.67	51	608	117.52	345	1615	684.21
2008-09	345	1615	684.21	40	439	134.72	42	531	129.22	343	1523	689.71
2009-10	343	1523	689.71	27	344	84.89	141	659	304.01	229	1208	470.59
2010-11	229	1208	470.59	29	342	203.81	3	264	103.56	255	1286	570.84
2011-12	255	1286	570.84	29	335	261.37	10	350	91.78	274	1271	740.43

आई.आरज, अनुच्छेदों तथा आवेष्टित राशि के अंत शेष के वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक – III** में दिए गए हैं। 274 आई.आरज में ₹ 740.43 करोड़ के राजस्व से आवेष्टित 1,271 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 153 आई.आरज में ₹ 257.80 करोड़ (35 *प्रतिशत*) के राजस्व से आवेष्टित 397 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पांच वर्ष से अधिक पुरानी थी।

हमने देखा कि आवधिक अनुस्मारक जारी करने तथा लेखापरीक्षा समिति की आवधिक बैठकों के आयोजन के बावजूद आई.आरज/लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की भारी लम्बनता थी जो आई.आरज में पी.ए.जी. द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयाध्यक्षों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से विफलता की सूचक है।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि देय राजस्व वसूल करने हेतु कार्रवाई कालबाधित न हो, सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए कि:

- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु प्रभावी प्रक्रिया विद्यमान है;
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने के बाद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है; तथा
- हानि/बकाया मांगों को वसूल करने हेतु समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाती है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन

1.9.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2001-02	9	3.28	8	2.23	0.23	1.94
2002-03	15	19.38	14	18.58	0.57	18.01
2003-04	10	10.23	10	8.32	-	8.32
2004-05	7	1.92	7	1.64	-	0.96
2005-06	8	5.74	7	1.14	-	1.12
2006-07	7	6.54	7	6.54	0.17	4.52
2007-08	8	2.17	7	1.00	0.32	0.32
2008-09	11	5.48	11	5.11	0.05	0.07
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	-
2010-11	10	147.03	5	12.59	-	-
योग	**96**	**320.78**	**87**	**88.10**	**1.34**	**35.26**

गत दस वर्षों के स्वीकृत प्रकरणों के सम्बन्ध में वसूली केवल 40 *प्रतिशत* थी।

सरकार तत्काल वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सम्बन्धित विभागों को परामर्श दे सकती है।

1.9.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

पी.ए.जी. द्वारा की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कांफ्रेंस में भी चर्चा की जाती है तथा विभाग/सरकार के विचार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए जाते हैं।

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग पर सिफारिशों सहित निष्पादन लेखापरीक्षाओं में बताए गए मुद्दे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए। विभागाध्यक्ष/सरकार ने बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु 2002-03 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के आठ प्रतिवेदनों में शामिल 33 सिफारिशों (**अनुलग्नक – IV**) पर अपनी स्वीकृति अथवा की गई कोई कार्रवाई सूचित नहीं की थी।

हमने देखा कि आबकारी एवं कराधान विभाग/सरकार ने 2001-02 से 2010-11 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित अपने उत्तर पी.ए.सी. को भेजे थे। किन्तु उन्होंने 2002-03 से 2010-11 के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के स्वीकरण पर अथवा अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया था। उन्होंने 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के लिए पी.ए.सी. को उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।

सरकार, सिफारिशों की अनुपालना सुनिश्चित करने अथवा उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को परामर्श दे सकती है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनके राजस्व अर्जन, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की विगत प्रवृत्तियों इत्यादि के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर प्रशासन अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएं, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि, में आलोचनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान, 497 लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों में से कुल यूनिटों के 56 प्रतिशत की लेखापरीक्षा संघटित करते हुए 280 यूनिटों की योजना बनाई गई तथा लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा योग्य यूनिटों तथा चयनित यूनिटों के विवरण **अनुलग्नक – V** में दर्शाए गए हैं।

ऊपर उल्लिखितानुसार पूर्ण की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं नामत: 'यात्री एवं माल कर से प्राप्तिया' तथा 'निर्माण संविदा पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण' भी इन प्राप्तियों के कर प्रबंधन की क्षमता की जांच करने के लिए ली गई थी।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.11.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/वैट, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 280 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 9,130 मामलों में ₹ 2,866.67 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 6,619 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,765.33 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 6,410 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,747.30 करोड़ 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने 2011-12 के दौरान 190 मामलों में ₹ 2.67 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,746.01 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित कर, शुल्क तथा ब्याज, शास्ति इत्यादि के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण से संबंधित **'निर्माण संविदा पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण' तथा 'यात्री एवं माल कर से प्राप्तियों' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं** तथा 18 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 1,745.93 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.62 करोड़ वसूल किए गए हैं। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्तूबर 2012)। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

हरियाणा में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) हरियाणा में एच.वी.ए.टी. अधिनियम तथा नियमों के संचालन के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया है। आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) डीलरों के पंजीकरण, वैट के निर्धारणों, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (एच.जी.एस.टी. अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। प्रत्येक डीलर जिनका सकल आवर्त्त (जी.टी.ओ.) ₹ पांच लाख से अधिक है, कर योग्य प्रमात्रा उसकी जी.टी.ओ. में वृद्धि के दिन के अनुवर्ती दिन से एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु उत्तरदायी थे। एच.वी.ए.टी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी डीलरों को करदाता पहचान संख्या (टिन) प्रदान की गई थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पिछले बिंदु {इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी.सी.)} पर प्रदत्त कर के प्रति छूट अनुमत करने के पश्चात् बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर निर्धारित दरों पर कर उद्गृहीत किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत चयनित मामलों में लेखा-बहियों की जांच के बाद निर्धारण किए गए थे।

2.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

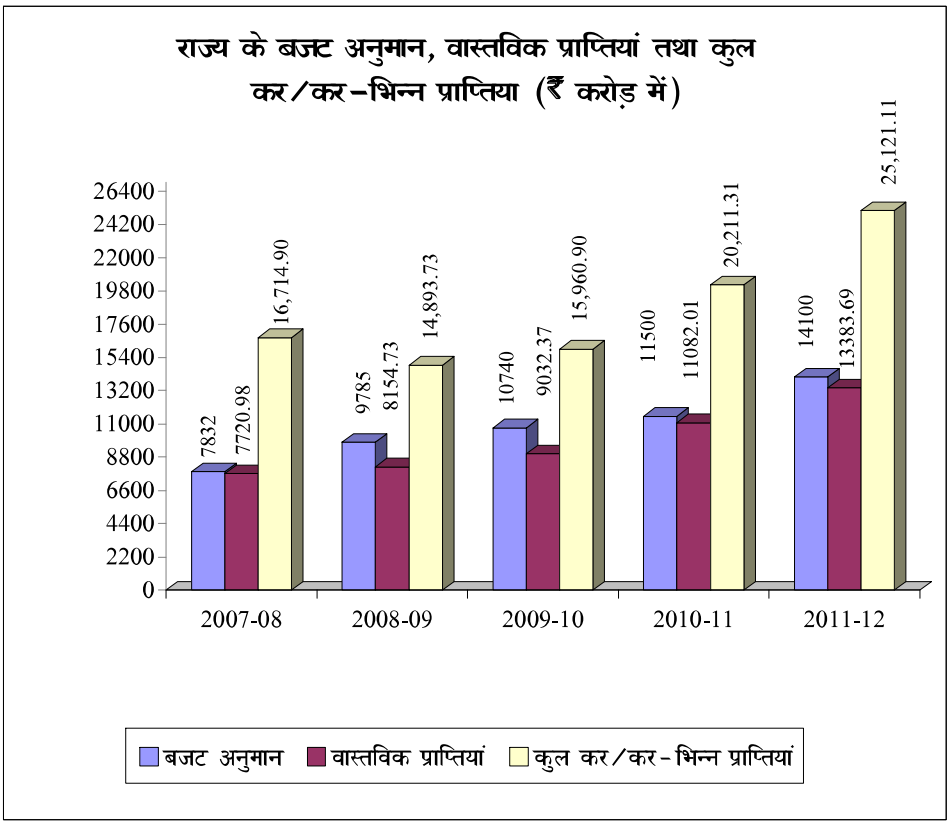
2007-08 से 2011-12 तक गत पांच वर्षों के दौरान राज्य में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों/वैट से वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक वैट प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता (कॉलम 4 की कॉलम 2 से)	राज्य की कुल कर/ कर-भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक वैट प्राप्तियों की प्रतिशतता (कॉलम 3 की कालम 6 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	7,832.00	7,720.98	(-) 111.02	(-) 01	16,714.90	46
2008-09	9,785.00	8,154.73	(-) 1,630.27	(-) 17	14,893.73	55
2009-10	10,740.00	9,032.37	(-) 1,707.63	(-) 16	15,960.90	57
2010-11	11,500.00	11,082.01	(-) 417.99	(-) 04	20,211.31	55
2011-12	14,100.00	13,383.69	(-) 716.31	(-) 05	25,121.11	53

स्रोत: राज्य बजट तथा वित्त लेखे।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वैट से प्राप्तियां ₹ 7,720.98 करोड़ से ₹ 13,383.69 करोड़ तक बढ़ गई।



लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को बिक्री कर/वैट राजस्व के बकायों की राशि ₹ 3,405.08 करोड़ में से ₹ 2,583.52 करोड़ (76 *प्रतिशत*) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्न तालिका 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति का चित्रण करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वैट बकायों का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि	वैट बकायों का अन्तिम शेष	वास्तविक वैट प्राप्तियां	प्रतिशतता (कॉलम 3 की कॉलम 2 से)	वैट प्राप्तियों से बकायों की प्रतिशतता (कॉलम 4 की कॉलम 5 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	1,268.50	127.54	1,591.87	7,720.98	10	21
2008-09	1,591.87	155.41	1,955.87	8,154.73	10	24
2009-10	1,955.87	164.08	2,724.08	9,032.37	8	30
2010-11	2,724.08	175.51	2,887.35	11,082.01	6	26
2011-12	2,887.35	701.61	3,405.08	13,383.69	24	25

हमने देखा कि राजस्व के बकाया वर्ष 2007-08 के आरंभ में ₹ 1,268.50 करोड़ से वर्ष 2011-12 के अन्त पर ₹ 3,405.08 करोड़ (168 *प्रतिशत*) तक बढ़ गए। वर्ष के आरंभ में बकायों से बकाया की वसूली की प्रतिशतता 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान छः से 24 *प्रतिशत* के मध्य श्रृंखलित रही। यद्यपि वैट प्राप्तियां 73 *प्रतिशत* (2007-08 में ₹ 7,720.98 करोड़ से 2011-12 में ₹ 13,383.69 करोड़ तक बढ़ गई), वैट राजस्व के बकाया 168 *प्रतिशत* (1 अप्रैल 2007 को ₹ 1,268.50 करोड़ से 31 मार्च 2012 को ₹ 3,405.08 करोड़) तक बढ़ गए।

सरकार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए तत्काल बकायों का संग्रहण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए विभाग को परामर्श दें।

2.1.4 करदाता प्रोफाइल

वर्ष 2011-12 के दौरान 10,824 डीलर पंजीकृत किए गए थे। 31 मार्च 2011 को पंजीकृत 1,77,626 डीलरों से उनके आवधिक रिटर्नस फाइल किए जाने अपेक्षित थे। प्राप्त रिटर्नों की संख्या तथा रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहे शेष डीलरों को नोटिस जारी करने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना विभाग द्वारा आपूरित नहीं की गई है।

2.1.5 प्रति निर्धारिती वैट की लागत

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए निर्धारितियों तथा बिक्री कर/वैट प्राप्तियों की संख्या नीचे उल्लिखित हैं:

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर/वैट प्राप्तियां (₹ लाख में)	प्रति निर्धारिती वैट का औसत संग्रहण
2007-08	1,52,352	6,05,931.44	3.98
2008-09	1,56,545	6,42,489.44	4.10
2009-10	1,61,927	7,53,065.60	4.65
2010-11	1,71,036	11,33,032.08	6.62
2011-12	1,92,481	13,85,258.64	7.20

हमने देखा कि प्रति निर्धारिती वैट का औसत संग्रहण 2007-08 में ₹ 3.98 लाख से 2011-12 में ₹ 7.20 लाख तक बढ़ गया। तथापि, गत वर्षों के दौरान निर्धारितियों की संख्या में अन्तर निर्धारण मामलों की बेहतर संवीक्षा तथा अतिरिक्त मांग के सृजन के कारण था।

2.1.6 निर्धारणों में बकाया

बिक्रियों, व्यापार पर करों/वैट के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यथा प्रस्तुत 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष अंत में निर्धारण के मामले के आरंभिक शेष, देय होने वाले मामलों, निपटान किए गए मामलों तथा मामलों के निर्धारण के अंत शेष से संबंधित विवरण अनुवर्ती तालिका में उल्लिखित हैं:

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले	कुल	वर्ष के दौरान परिकल्पित निर्धारित/ नियमित रूप से निर्धारित मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	कुल मामलों से निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता (कॉलम 5 की कॉलम 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	2,16,871	1,81,128	3,97,999	1,75,124	2,22,875	44
2008-09	2,22,875	1,83,153	4,06,028	1,64,132	2,41,896	40
2009-10	2,41,896	2,34,839	4,76,735	1,89,476	2,87,259	40
2010-11	2,87,259	2,13,687	5,00,946	2,09,140	2,91,806	42
2011-12	2,91,806	2,35,799	5,27,605	2,36,822	2,90,783	45

हमने देखा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में लम्बित मामले 2007–08 के आरंभ में 2,16,871 मामलों से 2011–12 के अन्त में 2,90,783 (34 *प्रतिशत*) तक बढ़ गए। 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान कुल मामलों से परिकल्पित निर्धारित/नियमित रूप से निर्धारित बिक्री कर/वैट निर्धारण मामलों की प्रतिशतता 40 से 45 *प्रतिशत* के मध्य श्रृंखलित रही।

सरकार, सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए इन लम्बित निर्धारण मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए विभाग को परामर्श दे।

2.1.7 संग्रहण की लागत

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों/वैट की राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा 2007–08 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ संबंधित वर्ष के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	संग्रहण की अखिल भारतीय औसत लागत
2007-08	7,720.98	50.64	0.66	0.83
2008-09	8,154.73	65.92	0.81	0.88
2009-10	9,032.37	78.48	0.87	0.96
2010-11	11,082.01	87.82	0.79	0.75
2011-12	13,383.69	87.65	0.65	-

स्रोत: वित्त लेखे।

2.1.8 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री कर/वैट प्रकरणों का पूर्व-निर्धारण स्तर पर तथा नियमित निर्धारणों के पश्चात् कुल संग्रहण का विघटन और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े अनुवर्ती तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारण पूर्व स्तर पर एकत्रित राशि	नियमित निर्धारण के पश्चात् एकत्रित राशि	लौटाई गई राशि	विभाग के अनुसार निवल संग्रहण	वित्त लेखाओं के अनुसार निवल संग्रहण	निवल संग्रहण से निर्धारण पूर्व स्तर पर संग्रहण की प्रतिशतता (कॉलम 2 की कॉलम 5 से)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	7,223.15	723.60	81.15	7,865.60[1]	7,720.98[1]	92
2008-09	8,132.08	528.42	101.34	8,559.16[1]	8,154.73[1]	95
2009-10	9,973.05	394.45	133.09	10,234.41[1]	9,032.37[1]	97
2010-11	11,224.83	2024.09	623.04	12,625.88[1]	11,082.01[1]	89
2011-12	14,286.77	425.15	603.72	14,108.20	13,383.69	101

हमने देखा कि निवल निर्धारण से निर्धारणपूर्व स्तर पर एकत्रित राजस्व की प्रतिशतता 2007-08 से 2011-12 के दौरान 89 से 101 *प्रतिशत* के मध्य श्रृंखलित थी।

2.1.9 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध

[1] विभागीय आंकड़ों तथा विवरणी संख्या 11-वर्ष 2007-08 से 2011-12 के सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखाओं में दिए गए आंकड़ों में क्रमशः ₹ 144.62 करोड़, ₹ 404.43 करोड़, ₹ 1,202.04 करोड़, ₹ 1,543.87 करोड़ तथा ₹ 724.51 करोड़ के अन्तर हैं। विभाग ने अक्तूबर 2012 में बताया कि आंकड़े, जी.ओ.आई. से वित्त विभाग द्वारा 1601 लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) अधीन क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं। फिर भी, वित्त विभाग के साथ इन आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया है।

की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली की प्रतिशतता
	संख्या	आपत्ति प्रकरणों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2006-07	43	974	395.96	147	1.84	88	0.83	45
2007-08	47	1,232	176.04	145	2.44	77	1.44	59
2008-09	46	863	208.32	106	8.48	61	0.81	10
2009-10	33	667	217.05	102	32.59	36	0.39	1
2010-11	32	775	976.56	182	149.39	54	1.67	1
कुल	**201**	**4,511**	**1,973.93**	**682**	**194.74**	**316**	**5.14**	**3**

हमने देखा कि 2006–07 से 2010–11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली केवल तीन *प्रतिशत* थी।

2.1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

2011–12 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा ₹ 284.68 करोड़ के राजस्व की अर्थापत्ति सहित राजस्व के अनुदग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि, गलत छूट, आवर्त्त का छिपाव/गोपन, कर की गलत दर का अनुप्रयोग, गलत परिगणना इत्यादि 48 अनुच्छेदों में इंगित की गई है। इनमें से विभाग/सरकार ने 42 अनुच्छेदों में ₹ 60.64 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की तथा ₹ 0.41 करोड़ वसूल किए। विवरण निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	8	2.17	7	1.00	2	0.32
2008-09	11	5.48	11	5.11	2	0.07
2009-10	11	119.01	11	30.95	-	-
2010-11	10	147.03	5	12.59	-	-
2011-12	8	10.99	8	10.99	1	0.02
कुल	**48**	**284.68**	**42**	**60.64**	**5**	**0.41**

हमने देखा कि वर्ष 2007–08 तथा 2011–12 के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली केवल 0.68 *प्रतिशत* थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी प्रगति तत्पर रूप से सरकारी देयों को वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार, यह सुनिश्चित करने हेतु कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि तत्परता से वसूल की जाती है, वसूली यंत्रावली पुनः तत्काल तैयार करे।

2.1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग में बिक्री कर/वैट के निर्धारणों एवं रिफंडों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 996 मामलों में ₹ 2,831.41 करोड़ से आवेष्टित कर के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में अनियमितताएं प्रकट की जो व्यापकतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	**निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण (निष्पादन लेखापरीक्षा)**	**1**	**1,715.02**
2.	कर की गलत दरों का प्रयोग	245	31.34
3.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त्त का अवनिर्धारण	60	139.71
4.	जुर्माने का अनुद्ग्रहण	88	585.14
5.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	63	3.28
6.	आवर्त्त का गलत परिकलन	14	1.49
7.	अन्य अनियमितताएं	525	337.43
	कुल	**996**	**2,831.41**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 170 मामलों में ₹ 1,732.52 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 28 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,715.26 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 65 मामलों में ₹ 1.74 करोड़ वसूल किए जिनमें से चार मामलों में आवेष्टित ₹ 2.75 लाख तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

₹ 1,715.02 करोड़ से आवेष्टित ''**निर्माण संविदाओं पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण**'' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 10.99 करोड़ से आवेष्टित व्याख्यात्मक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

2.2 निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण

2.2.1 विशिष्टताएं

- उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने तथा अंतर्विभागीय डाटाबेस के विनिमय की प्रणाली आरंभ करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अंपजीकृत निर्माण ठेकेदारों से ₹ 283.88 करोड़ के राजस्व की अवसूली तथा ठेकादाताओं द्वारा ₹ 88.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. की कम कटौती हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8 तथा 2.2.9)

- घोषणा फार्मों के दुरूपयोग के लिए अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.10)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज.) विभाग के मार्गनिर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,303.16 करोड़ के कर तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.2.12.1 तथा 2.2.12.2)

- सकल आवर्त से अस्वीकार्य कटौतियों की अनुमति से ₹ 9.17 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.12.3 से 2.2.12.6)

- बिक्री के संपादनों का निर्माण ठेके के रूप में गलत वर्गीकरण से ₹ 22.47 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.13)

- रिटर्न्स को न भरने के लिए शास्ति के अनुद्ग्रहण से ₹ 1.36 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.2.14)

2.2.2 प्रस्तावना

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 2 (1) (जेड.टी.) ''निर्माण ठेके'' को ठेकेदार व ठेकादाता के मध्य एक अनुबंध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल, किसी चल या अचल सम्पत्ति को जोड़ना, निर्माण करना, बनवाना, बदलना, विनिर्माण, संसाधन, संरचना, स्थापन फिटिंग, सुधारना, मरम्मत या चालू करना शामिल है। धारा 2 (1) (जे.) और (के) के अंतर्गत, ''ठेका प्रदाता'' वह व्यक्ति है जिसके लिए या जिसके लाभ के लिए, एक निर्माण ठेका निष्पादित किया जाता है

और ''ठेकेदार'' वह व्यक्ति है जो निर्माण ठेके को या तो स्वयं या उप-ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित करता है। एक ठेकेदार को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को या तो धारा 11 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी के रूप में या धारा 9 के अंतर्गत एकमुश्त व्यापारी के रूप में पंजीकृत करवाना पड़ता है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 2(1) (आर.) ''माल'' को मूर्त या अमूर्त समाचार-पत्रों क्रियायोग्य दावों, धन, स्टॉकज तथा शेयरों या प्रतिभूतियों से अन्य हर प्रकार की चल सम्पत्ति के रूप में परिभाषित करती है परन्तु उगती फसल, घास, पेड़ तथा भूमि से जुड़ी या इसका हिस्सा बनने वाली वस्तुएं, जिन पर बिक्री से पहले या बिक्री की संविदा के अंर्तगत काम करने के लिए समझौता किया जाता है, शामिल करती है। आगे, धारा 2 (1) (जेड.ई.) ''बिक्री'' को गिरवी या बंधक या प्रभार या रहन के अलावा नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति के किसी हस्तांतरद्दा के रूप में परिभाषित करती है और इसमें निर्माद्दा ठेके के निष्पादन में आवेष्टित माल (चाहे माल या किसी दूसरे रूप में) सम्पत्ति का हस्तांतरण शामिल करती है।

धारा 2 (1) (डब्ल्यू) इनपुट टैक्स को एक वैट व्यापारी को बेचे गए माल के संबंध में राज्य को अदा किए गए कर की राशि के रूप में परिभाषित करती है जो ऐसा व्यापारी धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित उसके द्वारा कर के भुगतान के रूप में क्रेडिट लेने हेतु अनुमत है। धारा 8 के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी आई.टी.सी. के लिए पात्र है जबकि एकमुश्त व्यापारी आई.टी.सी. के लिए पात्र नहीं है।

एच.वी.ए.टी. नियमों का नियम 49 (5) प्रावधान करता है कि एकमुश्त ठेकेदार निर्माद्दा ठेके के निष्पादन में प्रयोग के लिए फार्म 'सी' तथा फार्म वैट डी-I के विरूद्ध माल के क्रय के लिए हकदार है और इस उद्देश्य के लिए उसे विनिर्माणकर्ता माना जाएगा।

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 49 (6) के द्वारा एकमुश्त ठेकेदार को प्राप्य और उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त भुगतानों के साथ प्रयुक्त घोषणा फार्मों का उपयुक्त लेखा रखना अपेक्षित है।

यह सुनिश्चित करने के विचार से कि अधिनियम का प्रवर्तन प्रभावी रूप से तथा दक्षता पूर्वक किया गया है, हमने आबकारी एवं कराधान विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा की।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग (पी.एस.ई.टी.) राज्य में बिक्रीकर कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। विभागीय स्तर पर, ई.टी.सी. एच.वी.ए.टी./केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ई.टी.सी. की सहायता के लिए राजस्व जिलों में विभक्त क्षेत्र के अधिकारी होते हैं।

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम में सम्मिलित निर्माण ठेकों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान है कि या तो ठेकेदार द्वारा या ठेकादाता द्वारा कोई कर का अपवंचन नहीं है; और
- अधिनियम के उल्लंघनों की घटना में शास्ति उपाय आरंभ किए गए हैं।

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत हैं:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम, एच.वी.ए.टी. नियम 2003 और सी.एस.टी. नियम, 1957
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण से संबंधित हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देश तथा अधिसूचनाएं
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण से संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश।

2.2.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

23 डी.ई.टी.सी कार्यालयों में से 10[2] की 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए निर्माण ठेकदारों से संबंधित कर निर्धारण अभिलेखों एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड (एच.वी.पी.एन.एल.) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के अभिलेखों की नमूना–जांच अप्रैल और जून 2012 के बीच की गई। आकार पद्धति से आनुपातिक संभाव्यता से (प्रतिस्थापन बिना) अपनाकर रेन्डम सैम्पल चयन आधार पर हमने आठ डी.ई.टी.सीज चयन किए। डी.ई.टी.सी., पलवल के स्थान पर विभाग की सिफारिश पर डी.ई.टी.सी., रेवाड़ी का चयन किया गया। डी.ई.टी. सीज, अंबाला और फरीदाबाद (पूर्व) जोखिम विश्लेषण के आधार पर चुने गए। हमने 2006–07 से 2010–11 के अवधि के दौरान अन्य जिलों की लेखापरीक्षा में देखी गई इसी प्रकार की अभ्युक्तियां भी शामिल की।

[2] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

2.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सुसाध्य बनाने के लिए आवश्यक सूचना तथा अभिलेख प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। हरियाणा सरकार के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई (अप्रैल 2012) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, पद्धति तथा जिलों के चयन के लिए नियोजित मापदंड स्पष्ट किए गए थे। जिलों के चयन के समय विभाग के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को अगस्त 2012 में टिप्पणी के लिए भेजा गया था। हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान विभाग) ई.टी.सी., ए. ई.टी.सीज तथा अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट कान्फ्रेंस 12 अक्तूबर 2012 को आयोजित की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथा लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा विभाग द्वारा व्यक्त विचार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अंतिम करते समय ध्यान में रखे गए हैं।

प्रणाली की कमियां

2.2.8 डीलरों के रजिस्ट्रेशन न होने के कारण हानि

एच.वी.ए.टी. नियम, 2003 के नियम 10 (2) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 निर्धारित करती है कि यदि किसी डीलर की कर योग्य राशि ₹ पांच लाख से ज्यादा है तो वह उस दिन तथा अनुवर्ती दिन, जिस दिन एक साल में उसका सकल आवर्त, करयोग्य प्रमात्रा से बढ़ जाता है, से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। तब डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित ए.ए. के साथ स्वयं को पंजीकृत करवायेगा। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 16 विभाग को अधिकार देती है कि किसी डीलर के बारे में सूचना की प्राप्ति पर कि किसी भी अवधि के दौरान वह कर अदायगी के लिए उत्तदायी है, ऐसी अवधि के तीन वर्षों के समाप्त होने से पहले, उसकी सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद डीलर का कर निर्धारण करेगा और इस कर निर्धारद्वा के परिद्वामस्वरूप उससे देय पाए गए कर की राशि के समान राशि शास्ति के रूप में देने का निर्देश देगा।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने पूंजीगत परियोजनाओं की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए टर्नकी आधार पर ठेकेदारों के साथ ठेका किया। टर्नकी आधार ठेके एकल स्रोत जिम्मेदारी आधार पर संयुक्त ठेके हैं और ठेकेदार को सारा ठेका समग्र रूप से पूरा करना होता है। आगे, विभाग द्वारा अन्य विभागों/संगठनों से सूचना प्राप्त की जानी तथा उन ठेकेदारों को पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था जो निर्माण ठेकों का निष्पादन कर रहे थे परन्तु विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं थे।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान इन कंपनियों ने हरियाणा से बाहर स्थित 44 निर्माण ठेकेदारों को टर्नकी बेसिस पर सब स्टेशनों इत्यादि की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू करने हेतु ठेके दिए और केवल माल की आपूर्ति के लिए ₹ 1,135.46 करोड़ का भुगतान किया। ठेकेदारों ने कथित ठेकों का निष्पादन संयुक्त ठेके को दो भागों में विभाजित करके किया अर्थात् एक आपूर्ति के लिए तथा दूसरा स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के लिए। हमने

अवलोकित किया कि इन ठेकेदारों ने उपकरण आपूर्ति भाग पर इसका मूल्य पारगमन बिक्री (बोली प्रलेख की धारा 50.3) दर्शाते हुए कर भुगतान नहीं किया और केवल स्थापन, परीक्षण तथा चालू करने के भाग पर डब्ल्यू.सी.टी. का भुगतान किया। टर्नकी ठेकेदारों की पारगमन बिक्री को अन्तर्राज्यीय बिक्री माना जाना था। ऐसे निर्माण ठेकेदारों को पंजीकृत करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण ₹ 283.88 करोड़ का राजस्व (₹ 141.94 करोड़ की शास्ति सहित) अवसूलित रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि ऐसे ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

2.2.9 निर्माण ठेका कर की अकटौती के कारण हानि

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (1) राज्य में सम्पत्ति के माल में हस्तान्तरण से आवेष्टित, चाहे माल के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में निर्माण ठेके के निष्पादन हेतु निर्माण ठेकेदारों को किसी बहुमूल्य प्रतिफल का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति पर चार प्रतिशत की दर पर परिगणित कर उससे अग्रिम में कटौती करने हेतु उपयोग की जाती है। आगे, धारा 24 (6) प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति उप धारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित पूरा कर या हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है अथवा धारा 24 (3) के अंतर्गत अपेक्षित समस्त कर या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहता है, तब ए.ए., उस वर्ष की समाप्ति से पांच वर्षों के भीतर किसी समय जब वह ऐसा करने में विफल रहता है अगले पांच वर्षों तक उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर, कर की राशि जिसे वह पूर्वोक्त अनुसार कटौती करने में विफल रहा, के समान राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देता है।

डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ठेकेदारों के साथ टर्नकी आधार पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ठेका किया। डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. से प्राप्त सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009–10 से 2011–12 के दौरान इन कंपनियों ने हरियाणा में पंजीकृत निर्माण ठेकेदारों को टर्नकी आधार पर ₹ 1,324.65 करोड़ मूल्य के ठेके दिए जिनको दो भागों में विभाजित किया गया अर्थात् माल की आपूर्ति (₹ 1104.81 करोड़) तथा स्थापन एवं चालू करना (₹ 219.84 करोड़)। ठेकेदारों को भुगतान करते समय केवल निर्माण और चालू करने के भाग पर ₹ 8.85 करोड़ के मूल्य की डब्ल्यू.सी.टी. की कटौती की गई। मानक बोली प्रलेख की धारा 50.3 जिसके द्वारा माल की आपूर्ति को पारगमन बिक्री के रूप में दिखाया जाना था एच.वी.ए.टी. अधिनियम अनुरूप नहीं था चूंकि टर्नकी ठेका संयुक्त ठेका था तथा और निर्माण ठेका कर की कटौती ठेके के कुल मूल्य पर की जानी चाहिए थी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (6) के अंतर्गत ₹ 44.13 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 88.26 करोड़ के वैट का असंग्रहण हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

अनुपालन कमियां

2.2.10 फार्म वैट डी – I के दुरूपयोग के कारण कर/शास्ति का अनुदग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (3) निर्धारित करती है कि जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है तो चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर उद्ग्राहय है यदि क्रेता डीलर फार्म वैट डी – I में प्रमाणित करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि माल, ब्रिकी के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु अभिप्रेत है। आगे, यदि कोई प्राधिकृत क्रेता, कोई माल खरीदने के बाद, विर्निदिष्ट उद्देश्य के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो, ए.ए. उस पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अर्न्तगत कर जो अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत किया जाएगा, से डेढ़ गुणा से अनधिक राशि शास्ति के रूप में लगा सकता है। यदि व्यापारी अवधि हेतु, जब वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु क्रय किए गए माल का प्रयोग करने में विफल रहा, विवरणियों सहित कर, जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा – 7 (1) (क) के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से उद्गृहीत किया जायेगा, का भुगतान स्वेच्छा से करता है तो कोई शास्ति नहीं लगाई जायेगी।

10[3] डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना – जांच ने प्रकट किया कि 62 निर्माण ठेकेदारों जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि अदा करने का विकल्प नहीं अपनाया था, ने 2006 – 07 से 2009 – 10 के दौरान भवनों, सड़कों के निर्माण में प्रयोग के लिए फार्म वैट 'डी – 1' के विरूद्ध ₹ 47.02 करोड़ के मूल्य का सामान/माल खरीदा। ठेकेदारों ने भवनों/सड़कों इत्यादि का निर्माण किया था जो कि अचल सम्पत्ति होने के कारण माल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। ठेकेदारों ने वैट डी – 1 फार्म में दिए गए प्रमाण – पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया। अत: ठेकेदार एच.वी.ए..टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। ए.एज जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य 103 मामलों के कर निर्धारण के अन्तिमकरण के समय अतिरिक्त कर और शास्ति उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 4.00 करोड़ के अतिरिक्त कर तथा ₹ 6.00 करोड़ की अधिकतम शास्ति का अनुद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.11 सी.एस.टी. नियम की धारा 10 क के अन्तर्गत शास्ति का अनुद्ग्रह ।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 क प्रावधान करती है कि यदि कोई डीलर माल का प्रयोग, प्रयोजन जिसके लिए वे खरीदे गए थे, उसके लिए करने में विफल रहता है तो ए.ए. कर, जो उचित राज्य के भीतर उसको माल बिक्री के संबंध में उस राज्य के बिक्री कर कानून के अंतर्गत उद्गृहीत किए जायेंगे, के डेढ़ गुणा से अनधिक राशि शास्ति के रूप में लगा सकता है।

नौ[4] डी.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि 94 निर्माण ठेकेदारों जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि अदा करने का विकल्प नहीं अपनाया था, ने

3 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरूक्षेत्र, रोहतक तथा सिरसा।

4 अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, कैथल, कुरूक्षेत्र, पानीपत, रोहतक तथा सिरसा।

2006–07 से 2010–11 के दौरान फार्म 'सी' में घोषणा के विरूद्ध हरियाणा राज्य के बाहर से ₹ 285.91 करोड़ के मूल्य का माल खरीदा। ठेकेदारों ने भवनों, सड़कों इत्यादि का निर्माण किया था जो कि अचल सम्पत्ति होने के कारण माल की परिभाषा के अंतर्गत आवृत्त नहीं थे। चूंकि, ठेकेदारों ने वैट 'सी' फार्म में दिए गए प्रमाण–पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया, ठेकेदार, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 'क' के अंतर्गत उद्ग्राहय शास्ति का भुगतान करने हेतु दायी था। ए.एज ने जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य अधिकाधिक 162 मामलों में कर निर्धारण अन्तिम करते समय सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10 'क' के अंतर्गत अधिकतम शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया। हमने ऐसी शास्ति को ₹ 40.66 करोड़ परिगणित किया।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.12 सकल आवृत्त से अननुमत कटौतियां

2.2.12.1 महासागरीय बिक्री

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (2) प्रावधान करती है कि भारत की सीमा के भीतर माल के आयात के दौरान माल की बिक्री या खरीद तभी हुई मानी जाएगी यदि बिक्री और खरीद से ऐसा आयात हो या जो भारत के कस्टम फ्रंटियरज पार करने से पूर्व माल के स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण के द्वारा प्रभावित हो। आगे, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2 ए) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38, गलत लेखाओं/दस्तावेजों/सूचना/रिटर्नस/छूट प्राप्त बिक्री के लाभ इत्यादि भरने/दावा करने के लिए उस कर जिसका परिहार किया जाएगा, यदि ऐसे लेखे, रिर्टन, दस्तावेज अथवा सूचना जैसा भी मामला हो, सत्य एवं सही के रूप में स्वीकार किया जाए, से तीन गुणा राशि के बराबर शास्ति का उद्ग्रहण करने हेतु प्रावधान करती है।

डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व) और कैथल के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान हमने देखा कि दो ठेकेदारों ने आपूर्ति, निर्माद्दा, जांच और चालू करने का ठेका (टर्नकी आधार) लिया था तथा बाद में हरियाद्दा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) और भारतीय आयल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के साथ सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया। ठेकेदारों ने 2007–08 से 2008–09 के दौरान ₹ 1,396.56 करोड़ के मूल्य की सामग्री देश के बाहर से खरीदने के बाद उसे सीधे निर्माद्दा स्थल पर आपूरित कर दी। ए.एज ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य चार मामलों में कर निर्धारद्दा अंतिम करते समय आयात तथा महासमुद्रीय बिक्री हेतु अनुबंध के प्रमाद्दा के विरूद्ध सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत छूट प्राप्त बिक्री का लाभ अनुमत कर दिया, जैसा कि ठेकेदारों द्वारा दावा किया गया था। दावा किया गया/अनुमत लाभ न तो न्यायसंगत और न ही उचित था। इसके फलस्वरूप ₹ 523.71 करोड़ पर उद्ग्राही शास्ति के अतिरिक्त ₹ 174.57 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्दा हुआ।

आगे, 2010–11 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियां) हरियाद्दा सरकार, के अनुच्छेद संख्या 2.5.1.1 में शामिल होने के पश्चात् ई.टी.सी. ने मार्गनिर्देश जारी कर दिए थे (अगस्त 2011) कि टर्नकी परियोजनाओं के ठेकेदारों के मामलों में कर निर्धारद्दा करते समय ऐसी बिक्रियों को अंतर्राज्यीय बिक्रियां माना जाए और तदनुसार कर उद्गृहीत किया जाए।

ई.टी.सी. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने के बावजूद ए.एज ने महासमुद्रीय बिक्री की अस्वीकार्य कटौती अनुमत की।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग वाद से सहमत हुआ। ई.टी.सी. ने चूककर्त्ता कर निर्धारद्दा प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अपने अधिकारियों को निदेश दिए।

2.2.12.2 पारगमन बिक्री

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) निर्धारित करती है कि जहां अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी माल की बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य को या तो ऐसे माल के चलन का कारण बनती हैं अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को उनके चलन के दौरान ऐसे माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती हैं, तो डीलर को ऐसे माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित ऐसे चलन के दौरान कोई अनुवर्ती बिक्री कर से मुक्त होगी बशर्ते कि डीलर विक्रेता डीलर (डीलरों) से प्राप्त किए गए निर्धारित फार्म ई-1 अथवा ई-11 में एक प्रमाण-पत्र तथा क्रेता डीलर (डीलरों) से प्राप्त फार्म 'सी' में एक घोषणा प्रस्तुत करें। माल की आपूर्ति का करार, माल के अन्तर्राज्य चलन के प्रारंभ के पश्चात् तथा समाप्ति से पहले अस्तित्व में आ जाना चाहिए। सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (2ए) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है।

चार[5] डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि पांच ठेकेदारों ने आपूर्ति, निर्माद्दा, जांच और चालू करने हेतु (टर्नकी आधार पर) अनुबंध किया था और बाद में एच.पी.जी.सी.एल., आई.ओ.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के साथ सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया। ठेकेदारों ने 2007-08 से 2008-09 के दौरान राज्य के बाहर से ₹ 1209.80 करोड़ के मूल्य का सामान खरीदने के पश्चात् माल सीधे निर्माद्दा स्थल पर आपूरित कर दिया। चूंकि सामग्री राज्य के भीतर ही आपूरित की गई थी, बिक्री संपादनों पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाया जाना था। ए.एज ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य नौ मामलों में कर निर्धारद्दा करते समय जैसा कि ठेकेदारों द्वारा दावा किए गए अनुसार, सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत ई-1, ई-11 और सी फार्मों के प्रमाद्दा प्रस्तुत करने के विरूद्ध छूट प्राप्त बिक्रियों का लाभ अनुमत कर दिया। इस प्रकार, दावा किया गया/अनुमत लाभ न तो न्यायसंगत और न ही उचित था। इसके फलस्वरूप ₹ 453.66 करोड़ पर उद्ग्राहय शास्ति के अतिरिक्त ₹ 151.22 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्दा हुआ।

आगे, 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियां), हरियाद्दा सरकार, के अनुच्छेद न. 2.5.1.2 को शामिल करने के पश्चात ई.टी.सी. ने मार्गनिर्देश जारी किए (अगस्त 2011) थे, कि टर्नकी परियोजनाओं के ठेकेदारों के मामलों का कर निर्धारद्दा करते समय ऐसी बिक्री को अंतर्राज्यीय बिक्री माना जाए और तदनुसार कर उद्गृहीत किया जाए। ई.टी.सी. द्वारा मार्गनिर्देश जारी किए जाने के बावजूद ए.एज ने पारगमन बिक्री की अस्वीकार्य कटौती अनुमत की थी।

[5] फरीदाबाद (पूर्व), कैथल, रोहतक तथा सिरसा।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान ई.टी.सी. ने अपने अधिकारियों को चूककर्त्ता कर निर्धारिद्वा प्राधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु निदेश दिए।

2.2.12.3 ठेकेदारों को ठेका प्रदाता द्वारा आपूरित की गई सामग्री

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2 (जेड.ई.) (ii) प्रावधान करती है कि, निर्माण ठेके के निष्पादन में आवेष्टित माल में संपति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जहां ऐसा हस्तांतरण, नकदी आस्थगित भुगतान या अन्य बहुमूल्य प्रतिफल के लिए है, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस माल की बिक्री मानी जाएगी। एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, हर स्तर पर कर उद्ग्रहणीय है तथा मानी गई बिक्री भी ठेकेदारों के हाथ में कर योग्य है। एक निर्माण ठेकेदार या तो निर्माण ठेके की सकल प्राप्तियों के चार प्रतिशत की दर पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करा सकता है या निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित माल के मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है। कार्यपालक अभियंता तथा अन्य (2004) 136 एस.टी.सी. 641 (एस.सी.एफ.बी.), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, संविदाकर्ता द्वारा ठेकेदार को आपूरित सामग्री और जिसकी वसूली बिलों द्वारा की जाती है, बिक्री है।

चार[6] डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि छः संविदाकर्ताओं ने 2007-08 से 2008-09 के दौरान ₹ 3.63 करोड़ मूल्य की सामग्री अपने निर्माद्वा ठेकेदारों को आपूरित की। दिसंबर 2010 और मार्च 2012 के मध्य नौ मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय ए.एज ने संविदाकर्ताओं द्वारा निर्माद्वा ठेके के निष्पादन में प्रयोग के लिए आपूरित सामग्री पर छूट की अनुमति दी तथा कर का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके मूल्य की वसूली चालू बिलों द्वारा की गई। इस प्रकार, अस्वीकार्य कटौती अनुमत करने के परिद्वामस्वरूप ₹ 0.45 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्वा हुआ।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा के अभियुक्ति को स्वीकार किया।

2.2.12.4 उप – अनुबंध

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 42 प्रावधान करती है कि ठेकेदार और उप-ठेकेदार दोनों संयुक्त रूप से और कई बार संपत्ति के माल में हस्तांतरद्वा चाहे वह, निर्माद्वा निष्पादन में आवेष्टित माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, के संबंध में कर भुगतान करने हेतु दायी है। यदि वह ए.ए. की संतुष्टि के लिए प्रमाणित करता है कि ठेकेदार द्वारा कर भुगतान किया जा चुका है तथा ऐसे कर का निर्धारण अन्तिम बन चुका है तो उप-ठेकेदार द्वारा कोई कर भुगतानयोग्य नहीं है। यदि ठेकेदार पूरे ठेके के लिए कर का भुगतान कर रहा है तो उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान से निर्माण ठेका कर (डब्ल्यू.सी.टी.) की कटौती करने के लिए ठेकेदार दायी नहीं है।

छः[7] डी.ई.टी.सीज के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि मार्च 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य 18 मामलों में 2006-07 से 2010-11 के वर्षों के लिए कर निर्धारद्वा अंतिम करते समय मुख्य ठेकेदार द्वारा अपेक्षित कर निर्धारद्वा आदेश/कर के

[6] गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

[7] फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, पानीपत, रोहतक तथा सिरसा।

भुगतान का प्रमाद्दा प्राप्त किए बिना 11 निर्माद्दा ठेकेदारों को ₹ 60.56 करोड़ के उप ठेके की कटौती अनुमत की गई। इसके फलस्वरूप ₹ 6.46 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्दा हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग लेखापरीक्षा के वाद से सहमत हुआ।

2.2.12.5 सबमर्सिबल पंपों की कर मुक्त बिक्री

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची ख की प्रविष्टि-1 के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कृषि उपकरण और कृषि साधन वैट के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त हैं। तदनुसार, सबमर्सिबल पंप यदि कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए गए हों तो कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

डी.ई.टी.सीज, अंबाला और कुरूक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि निर्माद्दा ठेकेदार, जो गहरे टयूबवैल की खुदाई और प्रतिष्ठापन के निर्माद्दा ठेके का निष्पादन कर रहे थे और जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त राशि के भुगतान का विकल्प नहीं चुना था, ने 2006-07 से 2009-10 के दौरान ₹ 1.79 करोड़ के सबमर्सिबल पंपों की करमुक्त बिक्री की कटौती का दावा किया। ए.एज ने अगस्त 2009 और फरवरी 2012 के मध्य आठ मामलों में कर निर्धारद्दा अंतिम करते समय उन ठेकेदारों जिन्होंने हुडा और जन स्वास्थ्य विभाग के गहरे टयूबवैलों की खुदाई तथा प्रतिष्ठापन के निर्माद्दा ठेके का निष्पादन किया था, को सबमर्सिबल पंपों की कर मुक्त बिक्री की कटौती की अनुमति दे दी। कटौती अस्वीकार्य थी क्योंकि ये सबमर्सिबल पंप कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किए गए थे और वे कर उद्ग्रहद्दा से छूट प्राप्त नहीं थे। हमने ₹ 0.22 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्दा परिगद्दित किया।

विभाग ने भूल को स्वीकार किया ओर ई.टी.सी. ने उपयुक्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

2.2.12.6 सकल प्राप्तियों से कर/डब्ल्यू.सी.टी.

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के नियम 33 (2) के साथ पठित धारा 24 (1) प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति निर्माण ठेकेदारों को राज्य में माल में संपत्ति के हस्तांतरण, चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, से आवेष्टित निर्माण ठेके के निष्पादन के लिए किसी भी मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान करता है, उसमें से चार प्रतिशत की दर पर परिगणित कर की कटौती अग्रिम में करेगा। यदि कोई निर्माण ठेकेदार ए.ए. की संतुष्टि हेतु, सबूत (अनुबंध की प्रति) के द्वारा प्रमाणित करता है कि निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री के मूल्य में कर या निर्माण ठेका कर (डब्ल्यू.सी.टी.) शामिल था तो सामग्री में आवेष्टित कर या सकल प्राप्तियों में शामिल निर्माण ठेके कर की कटौती सकल प्राप्तियों में से कटौतीयोग्य होगी।

चार[8] डी.ई.टी.सी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 39 निर्माद्दा ठेकेदारों ने ₹. 18.78 करोड़ मूल्य की हस्तांतरित सामग्री/सकल प्राप्तियों के मूल्य से कर/निर्माद्दा ठेका कर की कटौती का दावा किया था। ए.एज ने अप्रैल 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य 75 मामलों में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लिए कर निर्धारद्दा अंतिम करते समय ठेकेदारों से ठेके में कर के समावेश का कोई प्रमाद्दा प्राप्त किए बिना कर/डब्ल्यूसी.टी. की कटौती अनुमत कर दी। ऐसे प्रमाद्दा के बिना ठेकेदारों को कटौती अस्वीकार्य

[8] फरीदाबाद (पूर्व), हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा।

थी। कर/डब्ल्यू.सी.टी. की अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के फलस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ का अधिक लाभ पारित किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.13 निर्मा । ठेके के रूप में बिक्री के ठेके के गलत वर्गीकर । के कार । कर का अवनिर्धार ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन एलिवेटर्स इंडिया लिमिटेड (2005) 140 एस.टी.सी. 22 (एस.सी.) के मामले में निर्णय दिया कि लिफ्ट की आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा चालूकरण हेतु संविदा बिक्री के लिए संविदा है, न कि निर्माण संविदा। यह आगे 4 जून 2010 को एफ.सी.ई.टी. द्वारा स्पष्ट किया गया था कि डीजल जेनरेटिंग सैटों तथा पम्पिंग सैटों की आपूर्ति तथा स्थापन निर्माण संविदा नहीं बल्कि बिक्री है।

चार[9] डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 11 निर्माद्दा ठेकेदारों ने 2006-07 से 2008-09 के दौरान लिफ्टों/ए.सीज/आपूर्ति तथा तैयार मिश्रित कंकरीट तथा गरम मिश्रद्दा (सड़क के लिए) की आपूर्ति, निर्माद्दा, जांच, चालू करने के लिए ₹ 264.39 करोड़ का निर्माण कार्य लिया और इनको बिक्री के लिए ठेके की बजाय निर्माद्दा ठेका मानते हुए चार प्रतिशत की दर पर कर का भुगतान किया। तदनुसार ए.एज ने जून 2009 और मार्च 2012 के मध्य 15 मामलों में कर निर्धारद्दा अंतिम करते समय 12.5 प्रतिशत के कर की दर की बजाय चार प्रतिशत की दर पर मामलों का कर निर्धारद्दा किया। हमने ₹ 22.47 करोड़ के वैट का अवनिर्धारद्दा आकलित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रधान सचिव ने विचार प्रकट किया कि लेखापरीक्षा को वाद न्यायालिक मामलों में पहले से निर्णीत क्षेत्रों पर केन्द्रित करना चाहिए। हमारा यह विचार है कि विभाग को कराधान क्षेत्रों का दुबारा दौरा करना चाहिए तथा कर के अपवंचन से बचने के उद्देश्य से समान क्षेत्रों में निर्णीत मामलों के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।

2.2.14 रिटर्नज के न भरने के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 37 क प्रावधान करती है कि यदि एक डीलर, किसी पर्याप्त कारण के बिना, रिटर्न भरने में विफल रहता है तो ए.ए., ऐसे डीलर को सुनवाई का एक मौका देने के बाद, उस अवधि के लिए जिस दौरान चूक जारी रहती है उसको पहले दस दिन के लिए ₹ एक सौ प्रतिदिन की दर पर और उसके बाद ₹ दो सौ प्रतिदिन की दर पर परिगणित राशि जुर्माने के रूप में भुगतान के लिए निर्देश दे सकता है। यदि ए.ए. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दी गई अवधि में शून्य आवर्त्त था तो कोई जुर्माना उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी., रोहतक और रेवाड़ी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 42 निर्माण ठेकेदारों ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए अपने रिटर्न फाईल नहीं किए थे। विभाग ने शास्ति के उद्ग्रहण अथवा ठेकेदारों, जिन्होंने बिना पर्याप्त कारण से अपनी रिटर्न फाईल नहीं की थी, का पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके

[9] अंबाला, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम) तथा सोनीपत।

फलस्वरूप, रिटनर्स फाईल न करने हेतु जुर्माने के अनुदग्रहण के कारण ₹ 1.36 करोड़ की राशि के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान चूक स्वीकार कि तथा अगली कार्रवाई प्रतीक्षित है।

2.2.15 अन्य रोचक मामले

छः[10] डी.ई.टी.सी. के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ए.एज ने जनवरी 2010 और फरवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण अन्तिम करते समय 2006-07 से 2010-11 के वर्षों के लिए 13 मामलों में 10 ठेकेदारों के कम कर का निर्धारण किया, अधिक आई.टी.सी. अनुमत की और कम जी.टी.ओ. का कर निर्धारित किया। नीचे दिए गए विवरणानुसार ₹ 2.72 करोड़ (2007-08 के लिए ₹ 0.02 करोड़ की अधिक राशि के रिफंड और ₹ 0.05 करोड़ की शास्ति सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर			टिप्पणियां
		उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	कमी	
1	फरीदाबाद (पूर्व)	0.97	0.58	0.39	दो निर्माण ठेकेदारों के तीन मामलों में कर, निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित ₹ 10.49 करोड़ के मूल्य की सामग्री पर उद्ग्राहय था परन्तु ₹ 6.90 करोड़ पर उद्गृहीत किया गया।
2	कुरूक्षेत्र	0.33	0.25	0.08 0.06 (ब्याज)	ठेकेदार को कर लगाई जाने वाली सामग्री से ₹ 0.64 करोड़ की हानि की कटौती अनुमत की गई परन्तु यह अनुमत्य नहीं थी क्योंकि हानि व्यय के प्रति समायोजित की जानी है और निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री पर पूरा कर लगाया जाना है।
3	अंबाला	0.22	0.19	0.03	ठेकेदार को सामग्री, जिस पर कर लगाया जाना था, से ₹ 0.83 करोड़ की हानि की कटौती अनुमत थी लेकिन यह अनुमत्य नहीं थी क्योंकि हानि खर्चो की तरफ समायोजित की जानी है। निर्माण संविदा के कार्यान्वयन में हस्तांतरित सामग्री पर पूर्ण कर लगाया जाना है।
4	ई.टी.ओ. डबवाली	0.18	0.00	0.18 0.54 (शास्ति)	दो मामलों में ठेकेदार ने अपने आवर्त्त छिपाए तथा गलत रिटर्नस भरे जो ए.एज द्वारा स्वीकार कर लिए गए। अतः धारा 38 के अंतर्गत कर और शास्ति उद्ग्राहय है।

[10] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा।

क्र सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर			टिप्पणियां		
		उद्ग्राह्य	उद्गृहीत	कमी			
5	कैथल	0.63	0.43	0.20 0.25 (आई.टी.सी.)	ठेकेदार को ₹ 0.45 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया गया क्योंकि ठेकेदार ने 1.4.10 से कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करने हेतु विकल्प दिया था परन्तु वर्ष के दौरान निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित सामग्री पर कर निर्धारित किया गया था।		
		इनपुट टैक्स क्रेडिट					
		अनुमत	**अनुमति योग्य**	**आधिक्य**			
6	फरीदाबाद (पूर्व)	0.25	0.11	0.14 0.11 (ब्याज)	ठेकेदार ने 1.4.08 से कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान करने हेतु विकल्प दिया था और 31.3.08 को ₹ 0.14 करोड़ की आई.टी.सी. से आवेष्टित सामग्री स्टॉक में थी जो एकमुश्त ठेके में प्रयुक्त किए जाने के कारण अनुमत्य नहीं थी।		
7	फरीदाबाद (पूर्व)	0.35	0.02	0.33 0.26 (ब्याज)	ठेकेदार ने निर्माण ठेके पर कर की एवज में एकमुश्त राशि का भुगतान किया अत: ऐसे निर्माण ठेके में प्रयुक्त सामग्री की खरीद पर कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था।		
		सकल आवर्त्त					
		कर निर्धारण योग्य	**कर**	**कर निर्धारित**	**कर**	**अतिरिक्त कर**	
8	फरीदाबाद (पूर्व)	7.50	0.30	6.97	0.28	0.02	2008-09 के दौरान ठेकेदार को ₹ 0.04 करोड़ (2007-08 के लिए ₹ 0.02 करोड़ सहित) को अनियमित रिफंड अनुमत किया गया और ₹ 0.03 करोड़ से अधिक कर कम जी.टी.ओ. लेने हेतु कारण स्पष्ट किए बिना अग्रणीत किया गया।
		6.16	0.25	5.38	0.22	0.03	
9	गुड़गांव (पश्चिम)	11.48	0.46	8.94	0.36	0.10	ठेकेदार के शपथ-पत्र के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 10.48 करोड़ लिया जाना था परन्तु गलती से ₹ 8.94 करोड़ लिया गया (पी. एंड एल. लेखा के अनुसार) परिणामत: ₹ 0.10 करोड़ के कर अग्रणीत का अनियमित अधिक लाभ हुआ।

विभाग ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान चूक को स्वीकार किया।

2.2.16 सत्यापन के बिना अनुमत टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी.

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 24 (5) निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम में कटौती किया गया राज्य सरकार को भुगतान किया गया कोई कर इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर के साथ उसको जारी प्रमाण–पत्र (भुगतानकर्ता द्वारा) के प्राधिकार पर भुगतान लेने वाले द्वारा समायोज्य होगा और ऐसे प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतिकरण पर ए.ए. भुगतान के उचित सत्यापन के बाद ऐसे कर का लाभ अनुमत करता है।

सात[11] डी.ई.टी.सी. के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि 79 निर्माण ठेकेदारों ने 2006–07 से 2009–10 के दौरान ₹ 28.65 करोड़ के टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ का दावा किया। ए.एज ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के मध्य 123 मामलों में कर निर्धारण अन्तिम करते समय उसी या अन्य संबंधित जिलों के दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से सत्यापन किये बिना ₹ 14.96 करोड़ लाभ अनुमत कर दिया। इस प्रकार, निर्माण ठेकेदारों को टी.डी.एस./डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ की अनुमति की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.17 घोषणा फार्मों लेखाओं का प्राप्त न करना

एच.वी.ए.टी. के नियम 49 (6) के अंतर्गत निर्माण ठेकेदार द्वारा प्राप्य और वास्तव में उसके द्वारा प्राप्त भुगतानों के पूर्ण लेखे सहित घोषणा फार्मों–सी, वैट डी–1 और वैट डी–3 का पूर्ण लेखा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

डी.ई.टी.सी., गुड़गांव (पश्चिम) और रेवाड़ी के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि 61 निर्माण ठेकेदारों ने 2006–07 से 2008–09 के दौरान घोषणा फार्मों का अपेक्षित लेखा और प्राप्य और वास्तव में उनके द्वारा प्राप्त भुगतानों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया। ए.एज ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के मध्य 68 मामलों के कर निर्धारण अन्तिम करते समय उक्त लेखा प्राप्त नहीं किया था। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में बनाये गये कर निर्धारण की परिशुद्धता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

2.2.18 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। विभाग ने सूचित किया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा आरंभ करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

[11] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कुरूक्षेत्र, रेवाड़ी तथा रोहतक।

2.2.19 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने निर्माण ठेकेदारों से कर संग्रहण तथा कर निर्धारण की पद्धति में अनेक कमियां प्रकट की। विभाग ने निर्माण ठेकेदारों के अन्तर्विभागीय डाटाबेस के क्रास सत्यापन हेतु कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की है परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से राजस्व की प्राप्ति होने से रह गई। संविदाकर्त्ताओं के अभिलेखों की मॉनीटरिंग के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। ठेकेदारों को कर/डब्ल्यू.सी.टी. के भुगतान का लाभ संबंधित डी.सी.आरज से भुगतान के सत्यापन के बिना दे दिया गया। विभाग ने सही कर निर्धारण, उद्ग्रहण तथा कर संग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं की थी और इस प्रकार, कर के अपवंचन का पता लगाने में विफल रहा। विभिन्न कटौतियों के अनियमित स्वीकृति के उदाहरण देखे गये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

2.2.20 सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है:

- अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों का पता लगाने के लिए सूचना के क्रास विनिमय की प्रणाली विकसित बनाने हेतु विभाग को निदेश देना तथा सूचना के क्रास विनिमय के परिणाम मॉनीटर करना;
- कर निर्धारिती द्वारा घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग का पता लगाने तथा परिहार हेतु एक प्रणाली बनाना;
- अनुबंधों, जिससे संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति कर के बचाव का कारण बनने वाली ट्रांजिट बिक्री के रूप में समझी जाती है, को स्पलिट करने से रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उचित निर्देश जारी करना;
- एक प्रणाली विकसित करना जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में आवेष्टित सिद्धांत सदृश अनुबंधों के मामलों में लागू किए जाते है;
- निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण के लिए अनुबंधकर्ता की विवरणियों में सम्मलित सूचना उपयोग के लिए प्रणाली विकसित करना; तथा
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली स्थापित करने के लिए कदम उठाना।

2.3 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन

एच.जी.एस.टी. अधिनियम/एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियम निम्न प्रावधान करते हैं:

(i) निर्धारित दर पर कर/शास्ति का उद्ग्रहण;

(ii) इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति जैसी स्वीकार्य हो; तथा

(iii) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह, उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, प्रति माह डेढ़ प्रतिशत (11 अक्तूबर 2007 से एक प्रतिशत) की दर पर, यदि भुगतान नब्बे दिनों के अन्दर किया जाता है तथा यदि चूक नब्बे दिनों से अधिक रहती है तो कर के भुगतान हेतु विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख से उस तारीख तक, जब वह भुगतान करता है, की सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रतिमाह तीन प्रतिशत (11 अक्तूबर 2007 से दो प्रतिशत) की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

हमने देखा कि ए.एज ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अनुच्छेद 2.3.1 से 2.3.3 तक में उल्लिखित प्रकरणों में नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.26 करोड़ के कर तथा ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली हुई।

2.3.1 कर की गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अवनिर्धारण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी.) के अंतर्गत दरें अनुसूची 'ए' से 'जी.' के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपयोगी वस्तु से भिन्न कोई उपयोगी वस्तु 1.7.2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अन्तर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सी., (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के निर्धारण अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान हमने जुलाई 2011 में देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 59 करोड़ की रेलवे ट्रेक मशीनें बेची। ये मशीनें ट्रेनों को सुरक्षित ढ़ंग से चलाने के लिए रेलवे ट्रैक की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए प्रयुक्त की गई थी तथा यात्रियों अथवा माल इत्यादि को ले जाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं। दिसंबर 2010 में निर्धारणों को सुनिश्चित करते समय ए.ए. ने अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू के रूप में 12.5 *प्रतिशत* की सही दर की बजाए चार *प्रतिशत* की दर पर मूल्य वर्धित कर उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ की राशि के कर तथा उस पर ₹ 3.81 करोड़ के ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा जुलाई 2011 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए., फरीदाबाद (पश्चिम) ने जुलाई 2011 में बताया कि इस मशीन का मुख्य कार्य रेलवे ट्रैकों की मरम्मत एवं रख-रखाव करना था तथा इसलिए यह वैट अधिनियम की अनुसूची 'सी' की इन्द्राज संख्या 62 के अंतर्गत आवर्त्त थी। ए.ए. का उत्तर एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 में समाविष्ट अनुदेशों तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जे.सी.बी. इंडिया लिमिटेड

के मामले में दिनांक 30 मार्च 2006 को जारी स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं था, जिसमें यह बताया गया था कि संयंत्र एवं मशीनरी इन्द्राज के अंतर्गत केवल ऐसी मशीनरी आवर्त्त किए जाने के लिए पात्र होगी जो औद्योगिक स्तर पर माल के उत्पादन अथवा सेवा के लिए संयंत्र में उपयोग की जाती है, अन्यथा 12.5 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.3.2 ग्वार गम की बिक्री पर मूल्य वर्धित कर का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत दरें अनुसूची 'ए' से 'जी.' के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत उपयोगी वस्तु से भिन्न कोई उपयोगी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य है।

ई.टी.ओ. (बिक्री कर), मंडी डबवाली (सिरसा) के कार्यालय के अभिलेखों की अप्रैल 2010 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि डीलर ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2.18 करोड़ मूल्य का ग्वार गम बेचा तथा कर-मुक्त माल के रूप में दावा किया। जनवरी 2010 में निर्धारणों को सुनिश्चत करते समय ए.ए. ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे कर-मुक्त माल के रूप में मानते हुए छूट अनुमत की। तथापि, किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट न होने से ग्वार गम 12.5 प्रतिशत की दर पर करयोग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.23 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा अप्रैल 2010 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ई.टी.ओ., डबवाली ने फरवरी 2012 में बताया कि मामला स्वत: कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु मामले की जांच करने का निदेश दिया।

2.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में इनपुट टैक्स उसे ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को प्रदत्त कर की राशि होगी। आगे, अनुसूची-ई में उल्लिखित अनुसार ईंधन के रूप में प्रयुक्त पैट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस पर आई.टी.सी. अनुमत नहीं है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के कार्यालय की जनवरी 2012 में नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि वर्ष 2007-08 के दौरान एक डीलर ने ₹ 2.53 करोड़ के मूल्य के फरनेस तेल (एफ.ओ.) का क्रय, ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु किया और आई.टी.सी. का दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2010 में निर्धारण को अंतिम करते समय ₹ 10.11 लाख का आई.टी.सी. अनुमत किया, यद्यपि ईंधन की तरह प्रयुक्त पैट्रोलियम उत्पाद की खरीद पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं

था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 लाख की राशि के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 10.11 लाख की आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई।

जनवरी 2012 में हमारे द्वारा मामला इंगित किए जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी ने जून 2012 में बताया कि स्वत: कार्यवाही करने के लिए मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

हमने मामला जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.4 वर्गीकरण/आवर्त्त का गलत निर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियम प्रावधान करते हैं:

(i) डीलर द्वारा रिटर्नों में वास्तविक आवर्त्त का प्रकटीकरण;

(ii) निर्धारित दर पर कर/ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण;

(iii) निर्धारण के समय ए.एज द्वारा माल के वर्गीकरण का सही निर्धारण; तथा

(iv) निर्धारण के समय आवर्त्त का सही निश्चय।

हमने देखा कि ए.एज ने 2.4.1 से 2.4.4 तक अनुच्छेदों में उल्लिखित मामलों में निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के कर/ब्याज/शास्ति का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली हुई।

2.4.1 विक्रयों के गोपन के कारण कर का अपवंचन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के दृष्टिकोण से झूठे अथवा गलत लेखे अथवा दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं अथवा कोई विवरण छिपाए हैं अथवा कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना, जो किसी सामग्री विवरण में झूठी अथवा गलत है, को प्रस्तुत अथवा किसी प्राधिकारी के सामने पेश किया है तो ऐसा प्राधिकारी उसे कर के अतिरिक्त, जिसके लिए वह निर्धारित है अथवा निर्धारित किया जाना दायी है, कर की राशि से तीन गुणा राशि, जो बचाई जा सकती है यदि ऐसे लेखा, रिटर्न, दस्तावेज अथवा सूचना, जैसा भी मामला हो, को सत्य एवं सही के रूप में स्वीकार किया गया हो, को जुर्माने के जरिए भुगतान करने का निदेश दे सकता है। कपटपूर्ण उपायों द्वारा कर का अपवंचन रोकने के लिए वैट अन्तर्राज्य बिक्री लेन-देनों का सही पता लगाने के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के प्रारंभ करने का प्रावधान करता है। आगे, नकली कर इनवाइसिज जारी करके अथवा माल, जो न तो खरीदा गया और न ही बेचा गया इत्यादि, के झूठे लेखांकन द्वारा कपटपूर्ण आई.टी.सी. का दावा करके वैट के अपवंचन का पता लगाने के दृष्टिकोण से ई.टी.सी. ने वर्ष में एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी क्रय/विक्रय लेन-देनों के क्रास सत्यापन हेतु मार्च 2006 में अनुदेश जारी किए।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने दिसंबर 2009 तथा जून 2010 में पाया कि दो डीलरों ने अपने कर रिटर्नों में चार डीलरों को की गई ₹ 6.08 करोड़ की बिक्रियां शामिल नहीं की। आगे, एक डीलर ने 'सी' फार्म के विरूद्ध किए गए ₹ 1.63 करोड़ के क्रय भी नहीं दर्शाए। यद्यपि, एक डीलर को ₹ 1.50 करोड़ की बिक्रियां विभाग द्वारा सितंबर 2007 में देखी गई किन्तु मार्च 2009 में वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारण सुनिश्चित करते समय ए.ए. द्वारा चूककर्त्ता डीलर के विरूद्ध कर तथा शास्ति के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। ई.टी.सी. के मार्च 2006 के निर्देशों के बावजूद क्रयों और विक्रयों के संपादनों के क्रास सत्यापन में ए.एज की विफलता के कारण ₹ 7.88 करोड़ की बिक्रियों का छिपाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.51 लाख के वैट का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, क्रयों और विक्रयों के गोपन पर ₹ 94.53 लाख का जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

दिसंबर 2009 और जून 2010 में हमारे द्वारा ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए., फरीदाबाद (पूर्व) ने मई 2012 में बताया कि एक मामले में छिपाई गई बिक्रियों पर ₹ 16.99 लाख का कर उद्ग्रहण करने तथा ₹ 50.98 लाख हेतु धारा 38 के अंतर्गत शास्ति लगाने के लिए अगस्त 2010 में एक मामले का पुन: निर्धारण किया गया है, जिसमें से अब तक ₹ दो लाख वसूल किए गए हैं। दूसरे मामले में ए.ए. ने मई 2012 में बताया कि डीलर का प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2006 से निरस्त कर दिया गया था तथा वर्ष 2006-07 के लिए डीलर द्वारा कोई रिटर्न फाईल नहीं किया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि इस डीलर ने 2006-07 में बिक्रियां की तथा इसलिए उनपर कर भुगतान करने के लिए दायी था। तथापि, एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच करने का निदेश दिया।

2.4.2 फार्म 'एफ' के दुरूपयोग के कारण कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 'क' के अंतर्गत, फार्म 'एफ' के प्रस्तुतिकरण पर एक राज्य से अन्य राज्य में व्यापार के अन्य स्थान पर माल का स्थानान्तरण कर के उद्ग्रहण से मुक्त है और यदि कोई डीलर ए.ए. की तसल्ली पर माल के स्थानान्तरण का दावा सिद्ध करने में विफल रहता है तो इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए इस प्रकार के माल का चलन बिक्री के परिणाम के रूप में घटित माना जाएगा। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि निश्चित डीलरों (संवीक्षा के लिए चुने गए) के मामले में, एक वर्ष में एक एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के सभी लेन-देनों का कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए क्रास सत्यापन किया जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कैथल तथा कुरूक्षेत्र के निर्धारण अभिलेखों की अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि ऐसे घोषणा फार्म 'एफ' पाए गए थे जिनके विरूद्ध तीन डीलरों ने वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कर की रियायती दर पर ₹ 1.19 करोड़ मूल्य के माल की प्रेषण बिक्री पर कटौती का दावा किया। ए.ए. ने सितंबर 2008, नवंबर 2009 तथा जनवरी 2010 में निर्धारण के अंतिमकरण के समय कटौती अनुमत की। दिनांक 14 मार्च 2006 के ई.टी.सी. निदेशों में अपेक्षितानुसार दावों की संवीक्षा तथा लेन-देनों का क्रास सत्यापन करने में ए.एज की विफलता कटौती की अनुचित मंजूरी में फलीभूत हुई, जिसके कारण बाद में ₹ 9.48 लाख के वैट का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त कर के अपवंचन के लिए जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

हमारे द्वारा अगस्त 2009 तथा मार्च 2011 में मामले इंगित किये जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) को अन्य राज्यों से 'एफ' फार्मों के सत्यापन हेतु भेजा गया था। ए.ए., कुरूक्षेत्र ने जनवरी 2012 में बताया कि सत्यापन पर, ये फार्म संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए पाए गए थे तथा ये मामले स्वत: कार्रवाई करने के लिए अगस्त 2012 में पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे। अन्य मामले में ए.ए., कैथल ने मार्च 2012 में बताया कि मामला स्वत: कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

एक्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और प्रधान सचिव ने तर्कसंगत राजस्व के पुन: निर्धारण एवं वसूली के लिए डीलरों के मामले खोलकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को निदेश दिए।

2.4.3 जाली घोषणा फार्म 'सी' प्रस्तुत करने से कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8(4) प्रावधान करता है कि सब-सैक्शन (1) के अंतर्गत रियायत, अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक वस्तुएं बेचने वाला डीलर निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता, जोकि सही तरीके से भरा और पंजीकृत डीलर जिसको वस्तुएं बेची जाती हैं द्वारा हस्ताक्षरित हो, निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित फार्म में निर्धारित विवरण सम्मिलित हो। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि निश्चित डीलरों (संवीक्षा के लिए चुने गए) के मामले में, एक वर्ष में एक एकल वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक के सभी लेन-देनों का कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए क्रास सत्यापन किया जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) तथा फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालयों की निर्धारण फाइलों की मई 2010 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि ₹ 3.69 करोड़ मूल्य के माल की कुल सी.एस.टी./बिक्री में से दो डीलरों ने ₹ 58.97 लाख मूल्य की बिक्री हेतु दो घोषणा फार्म 'सी' पर सी.एस.टी. की रियायती दर का दावा किया, जो कागज की घटिया गुणवत्ता के कारण संदेहास्पद पाए गए थे तथा 2006-07 के दौरान कोई वाटर मार्क नहीं था। वर्ष 2006-07 के लिए जनवरी तथा मार्च 2010 के मध्य निर्धारण सुनिश्चित करते समय ए.ए. ने लेन-देनों का क्रास सत्यापन किए बिना दावा स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप कर की रियायती दर की गलत अनुमति हुई जिसके कारण ₹ 4.56 लाख की राशि के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, कर के अपवंचन पर जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

हमारे द्वारा मई 2010 में मामले इंगित किए जाने के पश्चात् ए.एज. ने नवंबर तथा दिसंबर 2011 में बताया कि फार्म, संबंधित निर्गम प्राधिकारियों से सत्यापित करवाए गए थे तथा असली नहीं पाए गए थे। एक मामले में ए.ए., फरीदाबाद ने ₹ 1.33 लाख (₹ 3.48 लाख का कर उद्गृहीत किया गया जिसमें से ₹ 2.15 लाख अतिरिक्त आई.टी.सी. से समायोजित किए गए थे) की मांग सृजित की। यद्यपि, ए.ए. ने नकली फार्म के विरूद्ध कर मांग सृजित की किन्तु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। ए.ए., गुड़गांव ने बताया कि डीलर के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गई थी।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

2.4.4 गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण

2.4.4.1 एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अन्तर्गत माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्राहय है तथा उपयुक्त अनुसूची में वर्गीकृत न की गई मदें जुलाई 2005 से कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत पर करयोग्य है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2003 से एच.वी.ए.टी. अधिनियम की किसी अनुसूची के अन्तर्गत इन उपयोगी वस्तुओं को विनिर्दिष्ट नहीं किया। इस पर अगस्त 1998 में न्यायिक रूप से निर्णय किया गया है कि मॉसकीटो कॉयल/मैटस को कीटनाशियों के रूप में नहीं माना जा सकता तथा इन्हें सामान्यत: रिपेलेन्टस के रूप में जाना जाता है तथा इस प्रकार ये कर-योग्य हैं। किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर न होने के कारण मॉसकीटो मैटस/कॉयल्स तथा अन्य मॉसकीटो रिपेलेन्टस 30 जून 2005 तक 10 *प्रतिशत* तथा तत्पश्चात् 12.5 *प्रतिशत* की सामान्य दर पर कर के लिए उद्ग्राहय है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कार्यालय के निर्धारण अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अक्तूबर 2008 में पाया कि एक डीलर ने वर्ष 2004-05 के दौरान ₹ 40.15 लाख मूल्य की मॉसकीटो मैटस/कॉयल्स की बिक्री की। जनवरी 2008 में निर्धारणों को सुनिश्चित करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने माल को कीटनाशी मानते हुई 10 *प्रतिशत* की सही दर की बजाए चार *प्रतिशत* की दर पर कर उद्गृहीत किया। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.41 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर 2008 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए. ने मार्च 2012 में बताया कि जनवरी 2009 में ₹ 2.41 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली पर आगे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2012)।

हमने मामला मई तथा जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

2.4.4.2 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 11 सितंबर 2007 को स्पष्टीकरण दिया है कि अल्ट्रा हाई टैम्परेचर (यू.एच.टी.) स्वीटंड फ्लेवर्ड मिल्क, अल्ट्राहाई टैम्परेचर मिल्क, जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'सी' के इन्द्राज 81 के अंतर्गत आवृत्त किया गया है, से भिन्न है। अत: यू.एच.टी. स्वीटंड फ्लेवर्ड मिल्क उत्पाद कर की सामान्य दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत पर करयोग्य है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालय के निर्धारण अभिलेखों की जनवरी 2012 में नमूना-जांच के दौरान हमने पाया कि एक डीलर ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2.01 करोड़ मूल्य के दुग्ध उत्पाद[12] बेचे तथा चार प्रतिशत की दर पर वैट उद्गृहीत किया गया। ए.ए. ने भी मार्च 2011 में निर्धारण सुनिश्चित करते समय 12.5 प्रतिशत की सही दर की बजाय उन्हें अनुसूची

[12] अमूल कल्सी + मिल्क, चॉकलेट मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, कूल कॉफी, नेत्रामूल मिल्क।

'सी' की मद मानते हुए चार प्रतिशत की दर पर वैट उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.02 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 17.09 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमारे द्वारा जनवरी 2012 में मामला इंगित किए जाने के पश्चात् ए.ए. ने जून 2012 में बताया कि मामला स्वत: कार्रवाई करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

हमने मामला जून 2012 में ई.टी.सी., आबकारी एवं कराधान विभाग को इंगित तथा सरकार को प्रतिवेदित किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

आबकारी एवं कराधान विभाग

3.1.1 कर प्रबन्ध

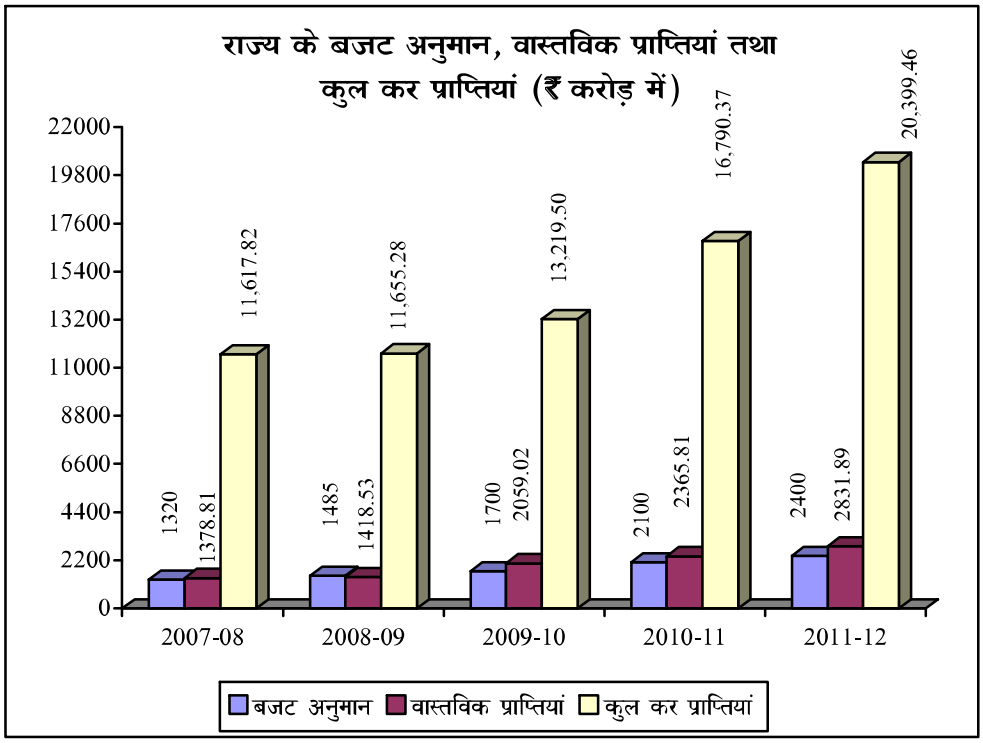
उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की अनुमति हेतु नियत, निर्धारित एवं नीलामी फीस तथा डिस्टलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट एवं बीयर पर उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है। सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर कलक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज), सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

3.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क से वास्तविक प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के साथ नीचे तालिका और ग्राफ में प्रदर्शित हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	1,320.00	1,378.81	(+) 58.81	(+) 04	11,617.82	12
2008-09	1,485.00	1,418.53	(-) 66.47	(-) 04	11,655.28	12
2009-10	1,700.00	2,059.02	(+) 359.02	(+) 21	13,219.50	16
2010-11	2,100.00	2,365.81	(+) 265.81	(+) 13	16,790.37	14
2011-12	2,400.00	2,831.89	(+) 431.89	(+) 18	20,399.46	11



2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों से राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां 11 तथा 16 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

3.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में 31 मार्च 2012 को राजस्व का बकाया ₹ 119.19 करोड़ की राशि का था जिसमें से ₹ 76.53 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि	बकायों का अंत शेष	राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां	कॉलम 5 से कॉलम 4 की प्रतिशतता	बकायों की वसूली की प्रतिशतता (कॉलम 2 से कॉलम 3)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	42.26	2.57	52.31	1,378.81	4	6
2008-09	52.31	8.36	46.61	1,418.53	3	16
2009-10	46.61	2.75	84.96	2,059.02	4	6
2010-11	84.96	1.12	107.81	2,365.81	5	1
2011-12	107.81	0.67	119.19	2,831.89	4	1

हमने देखा कि राजस्व के बकाया वर्ष 2007-08 के आरंभ में ₹ 42.26 करोड़ से वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर ₹ 119.19 करोड़ (182 *प्रतिशत*) तक बढ़ गए थे। 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान वर्ष के आरंभ में बकायों से बकायों की वसूली की प्रतिशतता एक तथा 16 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी। यद्यपि वास्तविक प्राप्तियां 105 *प्रतिशत* तक (2007-08 में ₹ 1,378.81 करोड़ से 2011-12 में ₹ 2,831.89 करोड़ तक) बढ़ गई।

सरकार, सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए तत्परता से बकायों के संग्रहण हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को परामर्श दे सकती है।

3.1.4 संग्रहण की लागत

2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता संबंधित वर्षों के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के साथ नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	1,378.81	12.95	0.94	3.27
2008-09	1,418.53	18.46	1.30	3.66
2009-10	2,059.02	20.48	0.99	3.64
2010-11	2,365.81	21.57	0.91	3.05
2011-12	2,831.89	22.39	0.79	-

3.1.5 राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	47	200	3.87	8	0.27	13	0.34
2007-08	41	826	41.83	231	4.68	17	0.28
2008-09	42	384	5.59	98	1.20	25	0.09
2009-10	36	377	3.95	251	3.76	42	0.22
2010-11	28	179	25.18	102	24.17	2	2.79
कुल	**194**	**1,966**	**80.42**	**690**	**34.08**	**99**	**3.72**

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली केवल 11 *प्रतिशत* थी।

3.1.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान, एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 12 अनुच्छेदों में ₹ 35.58 करोड़ की राजस्व अर्थापत्ति सहित आबकारी शुल्क, लाईसैंस फीस, शास्ति की अवसूली/कम वसूली, डिस्टीलरी में तैनात पर्यवेक्षण स्टॉफ की लागत की अवसूली इत्यादि के दृष्टांत हैं। विभाग/सरकार ने ₹ 35.58 करोड़ से आवेष्टित सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली थी तथा 31 मार्च 2012 तक ₹ 2.90 करोड़ वसूल किए। विवरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद (₹ करोड़ में)		स्वीकृत अनुच्छेद (₹ करोड़ में)		वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	2	1.23	2	1.23	1	0.03
2008-09	4	2.35	4	2.35	4	0.09
2009-10	2	5.65	2	5.65	2	0.10
2010-11	1 (समीक्षा)	21.60	1	21.60	1	2.63
2011-12	3	4.75	3	4.75	1	0.05
कुल	**12**	**35.58**	**12**	**35.58**	**9**	**2.90**

हमने देखा कि स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली आठ *प्रतिशत* थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी प्रगति तत्पर रूप से सरकारी देयों को वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयों/विभाग के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वसूली यंत्रावली को पुनः तैयार करे, कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि को तत्परता से वसूल किया जाए।

3.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा में की गई दौरान राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 481 मामलों में ₹ 10.37 करोड़ की राशि के उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस तथा शास्ति इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)			
1.	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	296	7.58
2.	अवैध शराब पर जुर्माने की अवसूली	129	1.22
3.	विविध अनियमितताएं	56	1.57
	कुल	**481**	**10.37**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने, 438 मामलों में आवेष्टित ₹ 8.90 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 425 मामलों में आवेष्टित ₹ 8.80 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 13 मामलों में ₹ 10.20 लाख वसूल किए।

आगे लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग ने ₹ 25.50 लाख वसूल किए।

₹ 4.75 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित है।

3.2 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन

पंजाब आबकारी अधिनियम/हरियाणा शराब लाईसैंस नियम/राज्य आबकारी नीति निर्धारित दर पर आबकारी शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/शास्ति के उद्ग्रहण का प्रावधान करते हैं। हमने देखा कि संबंधित जिला के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त(आबकारी) ने अनुच्छेद 3.2.1 से 3.2.3 में उल्लिखित मामलों में नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.75 करोड़ की लाईसैंस फीस/ब्याज/शास्ति की अप्राप्ति/अवसूली हुई।

3.2.1 पुनः नीलामी पर अन्तरीय लाईसैंस फीस की अवसूली

2009-10 तथा 2010-11 तक के वर्षों के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत खुदरा लाईसैंस प्राप्त शराब की दुकान के प्रत्येक सफल आबंटी को लाईसैंस प्राप्त दुकान की वार्षिक लाईसैंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी अपेक्षित होगी जिसमें से लाईसैंस फीस का पांच प्रतिशत लॉट के ड्रा के दिन, पांच प्रतिशत संबंधित वर्ष के 31 मार्च से पहले अथवा लॉट के आबंटन/ड्रा के सात दिनों के भीतर, जो भी पहले हो तथा शेष 10 प्रतिशत संबंधित वर्ष की 7 अप्रैल तक जमा करवाना होगा। शेष 80 प्रतिशत संबंधित वर्ष के अप्रैल से आरम्भ होकर दिसम्बर तक नौ समान किस्तों में देय होगा। यदि आबंटी वार्षिक लाईसैंस फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है तथा ब्याज सहित लाईसैंस फीस की नौ समान किस्तों के भुगतान में चूककर्ता है तो अनुवर्ती माह की पहली तारीख से लाईसैंसप्राप्त दुकान में प्रचालन बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) वित्तायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मूल आबंटी के जोखिम एवं लागत पर इसे पुनः आबंटित कर सकता है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), भिवानी, कैथल तथा पानीपत के कार्यालयों में लाईसैंस फीस के भुगतान पर नजर रखने के लिए एम-2 रजिस्टरों की दिसंबर 2010 तथा फरवरी 2012 के मध्य नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 2009-10 तथा 2010-11 तक के वर्षों के लिए ₹ 6.92 करोड़ के लिए 17 खुदरा दुकानों की नीलामी की गई थी। ₹ 6.92 करोड़ की कुल लाईसैंस फीस में से आबंटियों ने ₹ 2.95 करोड़ की राशि की प्रतिभूति तथा मासिक लाईसैंस फीस जमा करवाई तथा ₹ 3.97 करोड़ की शेष राशि जमा करवाने में विफल रहे। विभाग ने इन खुदरा शराब की दुकानों को निरस्त कर दिया तथा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया। मूल लाईसैंसधारकों के जोखिम एवं लागत पर ₹ 1.30 करोड़ के लिए शेष अवधि हेतु सितंबर 2009 तथा फरवरी 2011 के मध्य ये खुदरा दुकानें पुनः नीलाम/आबंटित की गई थी। विभाग ने मूल आबंटियों से ₹ 2.67 करोड़ (₹ 3.97 करोड़-₹ 1.30 करोड़) की लाईसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.67 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2010 तथा फरवरी 2012 के मध्य ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सीज (आबकारी), कैथल तथा पानीपत ने बताया कि वसूली प्रमा ा-पत्र जारी किए जाएंगे तथा डी.ई.टी.सी. (आबकारी), भिवानी ने बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2012)।

मामला जनवरी 2011 तथा जुलाई 2012 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान सरकार भी उपर्युक्त तथ्यों से सहमत थी।

3.2.2 ब्याज की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2010-11 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा मद्य लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब बेचने के लिए लाईसैंसधारी/खुदरा दुकानों के लाईसैंस रखने वाले आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान का प्रावधान करते हैं। ऐसा करने में विफलता उसे, माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाती है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के चार[1] कार्यालयों में वर्ष 2010-11 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान पर नजर रखने के लिए एम-2 रजिस्टरों की अक्तूबर तथा नवंबर 2011 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 97 लाईसैंसधारियों ने अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 की मध्य अवधि हेतु ₹ 34.28 करोड़ की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात किया। विलम्ब 21 से 151 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने तथापि, माह के अंत तक मासिक किस्तें जमा न करवाने के लिए दुकानों को सीज़/सील करने तथा लाईसैंस फीस के विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज उद्ग्रहण के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा ये अक्तूबर तथा नवंबर 2011 में इंगित किए जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव ने जनवरी 2012 में बताया कि ₹ 34.64 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी.(आबकारी), कुरूक्षेत्र ने सितंबर 2012 में बताया कि दो मामलों में ₹ 82,438 की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा ₹ 1.15 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), रेवाड़ी ने अक्तूबर 2012 में बताया कि तीन मामलों में ₹ 4.09 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी। हमें अन्य डी.ई.टी.सीज के मामलें में ब्याज की वसूली की अगली प्रगति तथा डी.ई.टी.सी. (आबकारी), फरीदाबाद से उत्तर प्राप्त नहीं हआ था (अक्तूबर 2012)।

मामला दिसंबर 2011 तथा जुलाई 2012 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान सरकार भी उपर्युक्त तथ्यों से सहमत थी।

[1] फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र और रेवाड़ी।

3.2.3 लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

वर्ष 2010-11 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित हरियाणा मद्य लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत देशी शराब (सी.एल.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई. एम.एफ.एल.) की बिक्री हेतु खुदरा दुकानों के लिए लाईसैंसधारी/लाईसैंसधारक आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों के भुगतान हेतु प्रावधान करते हैं। ऐसा करने में विफलता उसे, माह के प्रथम दिन से किस्त अथवा उसके किसी भाग के भुगतान की तारीख तक की अवधि हेतु प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाती है। यदि लाईसैंसधारी माह के अंत तक ब्याज सहित सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)} द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा।

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुड़गांव के कार्यालय के वर्ष 2010-11 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान के अभिलेखों की अक्तूबर 2011 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि सी.एल./आई.एम.एफ.एल. की बिक्री हेतु खुदरा शराब की दुकानें ₹ 7.34 करोड़ के लिए 10 लाईसैंसधारकों को आबंटित की गई थी। लाईसैंसधारी वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित तिथियों तक लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे। ₹ 7.34 करोड़ की कुल लाईसैंस फीस में से लाईसैंसधारकों ने केवल ₹ 6.41 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, आबंटियों ने ₹ 93 लाख की शेष राशि जमा नहीं करवाई। डी.ई.टी.सी. (आबकारी), ने तथापि, माह के अंत तक सम्पूर्ण मासिक किस्त जमा न करवाने के लिए दुकानें सील करने तथा लाईसैंस फीस के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ (₹ 9.45 लाख के ब्याज सहित) की लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा अक्तूबर 2011 में ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् डी.ई.टी.सी. (आबकारी), गुड़गांव ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही आरंभ की गई थी। हमें वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2012)।

मामला दिसंबर 2011 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; सरकार ने अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

अध्याय 4: स्टाम्प शुल्क

4.1.1 कर प्रबन्ध

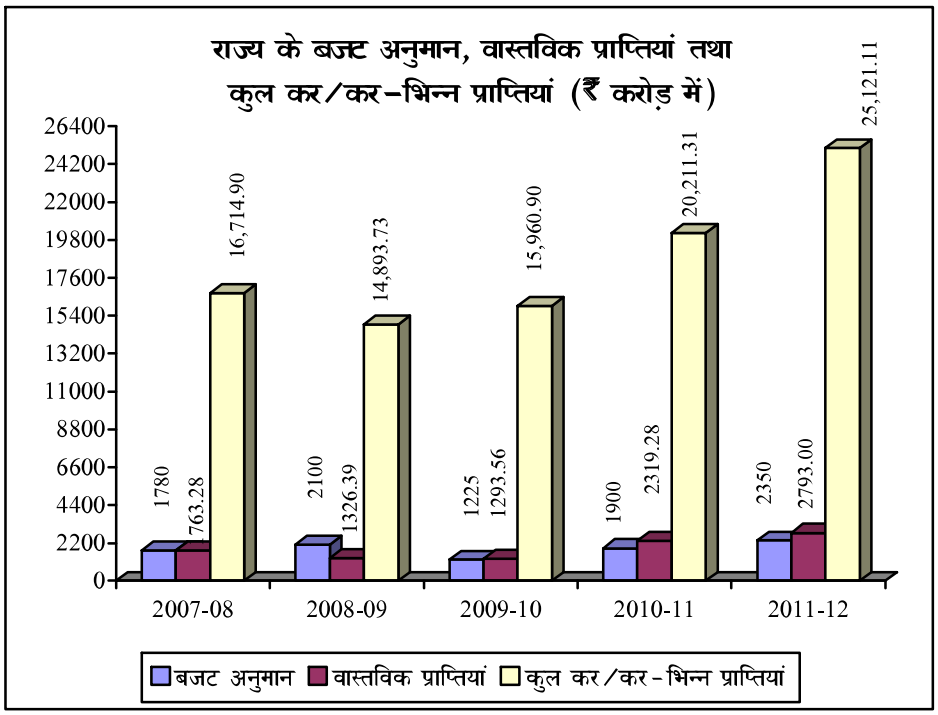
राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस.अधिनियम), भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। आई.एस. अधिनियम की अनुसूची I-क के अनुसार दस्तावेजों के निष्पादन पर एस.डी. उद्ग्राह्य है तथा आर.एफ. सरकार द्वारा नियत निर्धारित दरों पर देय है। सरकारी स्तर पर, अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में आई.एस. अधिनियम तथा आई. आर. अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के संप्रयोग हेतु उत्तरदायी है। एस.डी. तथा आर.एफ. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता 21 उपायुक्तों (डी.सी.), 67 तहसीलदारों तथा 46 नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमश: रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आरज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान एस.डी. और आर.एफ. से वास्तविक प्राप्तियों को, उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ, नीचे की तालिका और ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता (कालम 2 से कालम 4)	राज्य की कुल कर/ कर-भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता (कालम 6 से कालम 3)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	1,780.00	1,763.28	(-) 16.72	(-) 01	16,714.90	11
2008-09	2,100.00	1,326.39	(-) 773.61	(-) 37	14,893.73	9
2009-10	1,225.00	1,293.56	(+) 68.56	(+) 6	15,960.90	8
2010-11	1,900.00	2,319.28	(+) 419.28	(+)22	20,211.31	11
2011-12	2,350.00	2,793.00	(+) 443.00	(+) 19	25,121.11	11



स्रोतः राज्य बजट तथा वित्त लेखे।

2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां आठ से 11 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी तथा स्टाम्प शुल्क प्राप्तियां पिछले वर्ष से 2011-12 में 20 प्रतिशत तक बढ़ गई।

4.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभाग ने बताया कि राजस्व के बकायों से संबंधित सूचना मण्डलायुक्त के कार्यालय से प्रतीक्षित थी। विभाग ने, शीर्ष स्तर पर केन्द्रीयकृत डाटाबेस की अनुपलब्धता के कारण वर्ष के आरम्भ में लंबित बकायों, वर्ष के दौरान जोड़े गये तथा एकत्रित बकायों और वर्ष के अंत में लम्बित बकायों के विवरण आपूरित नहीं किए। इस प्रकार, विभाग बकायों की वसूली की प्रगति को मानीटर एवं तीव्र नहीं कर सका।

4.1.4 संग्रहण की लागत

2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान एस.डी. तथा आर.एफ. के संबंध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किये गये व्यय और सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता, संबंधित वर्ष के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के

साथ, नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	1,763.28	12.04	0.68	2.09
2008-09	1,326.39	16.31	1.23	2.77
2009-10	1,293.56	13.72	1.06	2.47
2010-11	2,319.28	11.39	0.49	1.60
2011-12	2,793.00	12.41	0.44	-

स्रोत: वित्त लेखे।

4.1.5 राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2010 – 11 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं से निपटने में राजस्व विभाग के निष्पादन तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के सदृश आंकड़े नीचे तालिकाबद्ध हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	179	3,476	8.99	2,352	6.67	104	0.03
2007-08	180	85,543	44.43	2,136	6.04	240	0.07
2008-09	180	1,157	6.50	310	1.90	7	0.01
2009-10	182	481	23.07	159	20.99	18	0.13
2010-11	101	1,346	7.26	1,158	5.78	227	0.18
योग	**822**	**92,003**	**90.25**	**6,115**	**41.38**	**596**	**0.42**

हमने देखा कि 2006 – 07 से 2010 – 11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली मात्र एक प्रतिशत थी।

4.1.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

गत पांच वर्षों (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित) के दौरान 23 अनुच्छेदों (दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में ₹ 59.62 करोड़ की राजस्व अर्थापत्ति सहित एस.डी. तथा आर.एफ. के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण/अवसूली/कम वसूली, हस्तांतरण विलेखों के अनिष्पादन के कारण अपवंचन, पंजीकरण हेतु दस्तावेजों के अप्रस्तुतीकरण, दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण, छूट/माफी की गलत अनुमति, गलत दर का अनुप्रयोग इत्यादि के दृष्टांत थे। इनमें से विभाग/सरकार ने 23 अनुच्छेदों (दो समीक्षाओं सहित) में ₹ 47.99 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी तथा ₹ 15.40 लाख वसूल किए थे। विवरण अनुवर्ती तालिका में

दर्शाये गये हैं:

वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	(₹ करोड़ में)				(₹ लाख में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	4 1 (समीक्षा)	1.70 24.69	4 1	1.70 15.11	1 -	0.87 -
2008-09	5	0.76	5	0.76	1	1.43
2009-10	1 (समीक्षा)	22.85	1	20.96	1	11.50
2010-11	6	5.49	6	5.33	2	1.60
2011-12	6	4.13	6	4.13	-	-
योग	**23**	**59.62**	**23**	**47.99**	**5**	**15.40**

हमने देखा कि राजस्व विभाग ने 2007–08 से 2011–12 तक के वर्षों के दौरान ₹ 47.99 करोड़ तक की राशि के स्वीकृत मामलों में से मात्र ₹ 15.40 लाख वसूल किए थे। इस प्रकार, स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली बहुत कम (0.32 प्रतिशत) थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी प्रगति सरकारी देयों को तत्पर रूप से वसूल करने के लिये प्रभावी कार्रवाई आरंभ करने हेतु कार्यालयों/विभाग के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वसूली यंत्रावली को पुनः तैयार करे कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि को तो तत्पर रूप से वसूल किया जाता है।

4.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच ने 1,148 मामलों में ₹ 11.86 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण प्रकट किया जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
राजस्व विभाग			
1.	भूमि के क्रय पर आवासीय दरों के अप्रभारण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली	562	4.61
2.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से निम्नतर प्रतिफल पर सम्पत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	134	1.05
3.	अचल सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क की अवसूली/कम वसूली	182	1.68
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण–पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	46	0.65
5.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	59	3.30
6.	विविध अनियमितताएं	165	0.57
	योग	**1,148**	**11.86**

वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग ने 1,048 मामलों में आवेष्टित ₹ 11.75 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 1,035 मामलों में आवेष्टित ₹ 11.62 करोड़ वर्ष के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गये थे। विभाग ने, 2011-12 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 13 मामलों में ₹ 12.61 लाख वसूल किए।

₹ 4.13 करोड़ से आवेष्टित कुछ निदर्शी मामले निम्नलिखित अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

4.2 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अननुपालना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस.अधिनियम) तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम) के प्रावधान अपेक्षा करते हैं:–

(i) निर्धारित दर पर स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) का उद्ग्रहण;

(ii) निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर एस.डी. की छूट; तथा

(iii) दस्तावेजों का सही वर्गीकरण।

हमने देखा कि 4.2.1 से 4.2.5 तक अनुच्छेदों में उल्लिखित मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों ने दस्तावेजों के पंजीकरण के समय उपरोक्त प्रावधानों में से कुछ का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.08 करोड़ की एस.डी. का कम उद्ग्रहण/अपवंचन हुआ।

4.2.1 अचल सम्पत्ति के अव–मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

हरियाणा राज्य में यथा लागू आई.एस. अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यत: सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस अधिनियम की धारा 64 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी अपेक्षित तथ्य एवम् परिस्थितियां, जो ऐसे दस्तावेज में समक्ष रखे जाने अपेक्षित थे, पूर्णतया तथा सत्य रूप से सामने नहीं रखे गए हैं, जुर्माना, जो प्रति दस्तावेज ₹ 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है, सहित दण्डनीय है।

दिसंबर 2010 तथा जून 2011 के बीच 11[1] पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान हमने देखा कि अचल सम्पत्तियों की बिक्री के कारण अप्रैल 2009 तथा जून 2011 के बीच 30 हस्तान्तरण विलेख पंजीकृत किए गए। इन सभी हस्तांतरित विलेखों में समक्ष रखा गया सम्पति का कुल मूल्य ₹ 6.51 करोड़ था। मई 2008 तथा दिसम्बर 2010 के बीच सम्बन्धित पाटियों के बीच निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रॉस सत्यापन ने प्रकट किया कि इन अनुबंधों का कुल विक्रय मूल्य ₹ 12.88 करोड़ परिकलित किया गया था। इस प्रकार हस्तांतरण विलेख पाटियों के बीच हुए समझौते से काफी कम प्रतिफल पर निष्पादित तथा पंजीकृत करवाए गए। हस्तांतरित विलेख में अचल सम्पतियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.92 लाख के एस.डी. का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज में गलत सूचना के लिए ₹ 1.40 लाख से अनधिक जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

[1] एस.आरज: अलेवा, बल्लभगढ़, डबवाली, जींद, नरवाना, पटौदी, पिल्लूखेड़ा, रानियां, सफीदों, सिरसा एवं सोहना।

हमारे द्वारा दिसम्बर 2010 तथा जून 2011 के बीच ये मामले इंगित किए जाने के बाद, एस.आर., रानियां ने सितम्बर 2011 में बताया कि दिसम्बर 2009 तथा मई 2010 के बीच समाहर्ता ने ₹ 10,000 के जुर्माने सहित ₹ 1.98 लाख की राशि के एस.डी. के जमा करने हेतु आदेश दिए थे। जनवरी 2012 में एस.आरज बल्लभगढ़, जींद, पिल्लूखेड़ा तथा सोहना ने बताया कि ₹ 9.33 लाख की बकाया राशि के लिए अन्तिम निर्णय के लिए अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत मामले फरवरी 2010 में समाहर्ता के पास भेजे गए थे। एस.आर. सिरसा ने जनवरी 2012 में बताया कि ₹ 4.68 लाख की बकाया राशि वसूलने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें वसूली पर रिपोर्ट व जुर्माने के उद्ग्रहण हेतु कृत कार्रवाई तथा बाकी पांच[2] एस.आरज से ₹ 8.03 लाख की बकाया राशि के लिए उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 2012)।

हमने मामला मई 2012 में सरकार को सूचित किया। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक/निरोधात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

4.2.2 संयंत्र एवं मशीनरी पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण

आई.एस. अधिनियम की धारा 2(10) के अन्तर्गत ''हस्तांतरण'' में बिक्री तथा प्रत्येक दस्तावेज पर हस्तांतरण, जिसके द्वारा चल या अचल सम्पत्ति हस्तांतरित की जाती है, सम्मिलित है। सरकार द्वारा अगस्त 2003 में जारी निर्देशों के अनुसार हस्तान्तरण विलेख जमीन, भवन तथा मशीनरी जो व्यापार चलाने के लिए जमीन पर स्थायी रूप से प्रतिष्ठापित की गई थी, सहित व्यापार की बिक्री शामिल करती है, मशीनरी एस.डी. के लिए सम्पति का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अचल सम्पति समझी जाएगी।

वर्ष 2010-11 के लिए, जून 2011 में उप-रजिस्टार (एस.आर), करनाल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि एक क्रेता ने एक कारखाना भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी ₹ 7.80 करोड़ (जमीन व भवन: ₹ 4.19 करोड़ तथा सयंन्त्र एवम् मशीनरी ₹ 3.61 करोड़) के प्रतिफल हेतु पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा संलग्न परिसमापक अधिकारी द्वारा आयोजित एक नीलामी में खरीदी। मार्च 2011 में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन करते हुए जमीन व भवन पर ₹ 20.94 लाख की एस.डी. का भुगतान किया गया परन्तु पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा संयंत्र व मशीनरी की लागत के ₹ 3.61 करोड़ पर ₹ 18.06 लाख का एस.डी. उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.06 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

[2] एस.आरज: अलेवा, डबवाली, नरवाना, पटौदी तथा सफीदों।

जून 2011 में हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात्, एस.आर. करनाल ने जनवरी 2012 में बताया कि मामला आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के लिए अगस्त 2011 में समाहर्ता को भेजा गया था। हमें वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2012)।

वर्ष 2006-07 के दौरान रोहतक जिले में संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के संबंध ₹ 6.63 लाख से आवेष्टित इसी प्रकार का मामला देखा गया था, परन्तु अब तक कोई वसूली नहीं की गई थी।

हमने मामला अप्रैल 2012 में सरकार को सूचित किया। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.2.3 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

हरियाणा राज्य को यथा लागू आई.एस.अधिनियम की धारा 2 (10) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए पृथक दरें निर्धारित की गई हैं। किसी दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें दर्ज लेन-देनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि सम्पति का स्वामित्व प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि की प्राप्ति के बाद सौंपा जाता है तो दस्तावेज हस्तांतरण विलेख बन जाता है तथा स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) आई.एस. अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्राहय बन जाता है।

उप रजिस्ट्रार (एस.आर.) गुड़गांव के कार्यालय के वर्ष 2010-11 के लिए अभिलेखों की जून 2011 में नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि क्रेताओं को ₹ 2.15 करोड़ मूल्य की सम्पति का स्वामित्व तथा हस्तांतरण सूचित करने वाले दो दस्तावेज फरवरी तथा मार्च 2011 के मध्य निष्पादित किए गए थे। सभी मामलों में विक्रेताओं ने बेची गई सम्पति के बदले में सम्पूर्ण राशि प्राप्त की तथा अचल सम्पति का स्वामित्व भी क्रेताओं को सौंपा गया था। विलेखों को हस्तांतरण विलेखों के रूप में माना जाना दायी था तथा ₹ 10.77 लाख का एस.डी. उद्ग्राहय था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने इन दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण किया तथा ₹ 110 का एस.डी. प्रभारित कर बिक्री के लिए अनुबन्धों के रूप में विलेखों को पंजीकृत किया, जो गलत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.77 लाख के एस.डी. का अपवंचन हुआ।

हमारे द्वारा जून 2011 में ये मामले इंगित किए जाने के बाद एस.आर,. गुड़गांव ने जनवरी 2012 में बताया कि मामले, अधिनियम की धारा 47-ए के अन्तर्गत निर्णय हेतु सितम्बर 2011 में समाहर्ता के पास भेजे जा चुके थे। हमें वसूली की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2012)

हमने मामला अप्रैल 2012 में सरकार को सूचित किया। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.2.4 दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण

आई.एस. अधिनियम की धारा 2(10) प्रावधान करती है कि 'हस्तांतरण' में बिक्री तथा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा चल या अचल सम्पत्ति एक जीवित व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है, सम्मिलित है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-1 ए द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं की जाती है। आगे, सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार 'बिक्री', प्रदत्त अथवा प्रतिज्ञात अथवा आंशिक प्रदत्त अथवा आंशिक प्रतिज्ञात मूल्य हेतु विनियम में स्वामित्व का हस्तांतरण है। दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें अभिलिखित सम्पादन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे मामले में जहां सम्पत्ति का स्वामित्व प्रतिफल की पूरी राशि की प्राप्ति के बाद या बाद में, प्रतिफल भुगतान करने के वादे के बाद सौंपा जाता है, दस्तावेज एक हस्तांतरण विलेख बन जाता है तथा आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहाय बन जाता है।

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए उप-रजिस्टार (एस.आर.), गुड़गांव के कार्यालय के अभिलेखों की सितंबर 2010 तथा जून 2011 के मध्य नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि जुलाई 2009 तथा सितंबर 2010 के मध्य भूमि के संबंध में चार संयुक्त अनुबंध पंजीकृत किए गए थे, जिनमें भूमि की बिक्री से अनावेष्टित समझौते के प्रकरण में लागू अनुसार प्रत्येक पर ₹ 100 का एस.डी. उद्ग्रहीत किया गया। इन समझौतों की जांच ने आगे प्रकट किया कि समझौते के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार भूमि स्वामियों ने डेवल्परज को निर्माण, विकास तथा भूमि के साथ संव्यवहार करने के अधिकार सहित भूमि का आधिपत्य लेने हेतु आधिकृत किया है। भूमि के विनिमय में भूमि स्वामी, या तो विकसित भूमि का एक हिस्सा प्राप्त करने या आंशिक अदायगी प्राप्त करने हेतु हकदार थे। डेवल्परज विकसित भूमि के अपने हिस्सों का निपटान ऐसे ढंग से करने हेतु हकदार थे जैसा कि वे मालिकों से कोई सहमति प्राप्त किए बिना उचित समझे। अत:, विकास का अधिकार/संयुक्त अनुबंध सम्पति को विकसित करने, निर्माण तथा विक्रय करने के अधिकार के हस्तांतरण थे और डेवल्पर के भूमि के हिस्से के संबंध में सम्पत्ति के विक्रय पर एस.डी., भुतान करने हेतु उत्तरदायी थे। तथापि, संबंधित क्षेत्रों में लागू दरों तथा समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित दरों तथा समझौते के अनुसार दरों के अनुसार डेवल्परज को हस्तांतरित भूमि का कुल मूल्य ₹ 26.15 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 1.33 करोड़ का एस.डी. भी उद्ग्राहय था। इन विक्रय विलेखों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा सितंबर 2010 और जून 2011 के बीच इन मामलों को इंगित किए जाने के बाद एस.आर., गुड़गांव ने जनवरी 2012 में बताया कि मामले सम्पत्ति के मूल्य तथा उन पर देय उचित शुल्क के निश्चयन हेतु समाहर्त्ता को भेजे गए थे। हमें अभी तक आगे प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2012)।

हमने मामला जून 2012 में सरकार को सूचित किया। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.2.5 अचल सम्पत्ति की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

बिक्री विलेखों में एस.डी. का अपवंचन रोकने हेतु सरकार ने राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को नवम्बर 2000 में इस प्रभाव के अनुदेश जारी किए कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई भूमि एस.डी. के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु उस स्थान की आवासीय सम्पत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जाये।

वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए जे.एस.आरज/एस.आरज के 17 कार्यालयों[3] के अभिलेखों की दिसंबर 2010 तथा अगस्त 2011 के मध्य नमूना–जांच के दौरान हमने देखा कि नगरपालिका सीमाओं में 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले तथा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक थे और प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था, प्लॉटों के 191 बिक्री विलेख मई 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। विलेख, आवासीय क्षेत्रों के लिए नियत दरों पर आधारित ₹ 51.26 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने दायी थे और ₹ 3.09 करोड़ की एस.डी. प्रभार्य थी। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर आधारित ₹ 14.09 करोड़ हेतु विलेख निर्धारित किए तथा ₹ 87.25 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा दिसंबर 2010 तथा अगस्त 2011 के मध्य ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् 14 एस.आरज[4] ने अक्तूबर 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के अंतर्गत मई 2011 और जनवरी 2012 के मध्य समाहर्ता के पास निर्णय हेतु भेजे गये थे। हमें वसूली पर रिपोर्ट तथा शेष तीन एस.आरज[5], से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2012)। तथापि, विभाग ने जनवरीर 2013 में बताया कि सात एस.आरज के संबंध में कलैक्टरों ने यह कारण देते हुए वसूली की राशि छोड़ दी कि बेची गई भूमि का मामला कृषीय था। कलैक्टरों का दावा नवंबर 2000 में जारी किए गए सरकारी निदेशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि भूमि को आवासीय भूमि मानते हुए दरें उद्गृहीत की जानी थी यद्यपि यह कृषीय थी।

[3] एस.आरज: अंबाला शहर, अंबाला छावनी, बल्लभगढ़, बरवाला, डबवाली, फरीदाबाद, गुड़गांव, कालका, कुरूक्षेत्र, लाडवा, नारायणगढ़, पटौदी, पंचकूला, पेहोवा, शाहबाद, सिरसा और सोहना।

[4] जे.एस.आरज: अंबाला छावनी तथा लाडवा; एस.आरज: अंबाला शहर, बल्लभगढ़, बरवाला, डबवाली, फरीदाबाद, गुड़गांव, कालका, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, पेहोवा, शाहबाद तथा सिरसा।

[5] एस.आरज: नारायणगढ़, पटौदी तथा सोहना।

इसी तरह के मामले हमने 2006 – 07 से 2008 – 09 तथा 2010 – 11 तक के वर्षों के लिये पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किये थे। विभाग ने उत्तर दिया कि मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47 – ए के अंतर्गत समाहर्ता को निर्णय हेतु संदर्भित किये थे, और ऐसी भूलें अभी भी दोहराई जाती हैं।

हमने मामला मई 2012 में सरकार को प्रतिवेदित किया था। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रणाली को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.3 सरकारी अधिसूचना/अनुदेशों का अननुपालन

(i) अगस्त 1995 की सरकारी अधिसूचना अधिगृहीत भूमि हेतु प्राप्त मुआवजे से कृषीय भूमि की खरीद हेतु छूट का प्रावधान करती है।

हमने देखा कि निम्न मामले में, जैसा कि अनुच्छेद 4.3.1 में उल्लिखित हैं, उपर्युक्त अधिसूचना के किसी प्रावधान की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 4.99 लाख की एस.डी. की अवसूली/कम वसूली हुई।

4.3.1 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

आई.एस. अधिनियम के अंतर्गत अगस्त 1995 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने उन किसानों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बिक्री विलेखों के सम्बन्ध में एस.डी. माफ किया जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अधिगृहित की जाती है तथा जो सरकार द्वारा अधिगृहित भूमि हेतु उनके द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि के एक वर्ष के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। माफी केवल मुआवजे की राशि तक सीमित होगी तथा कृषीय भूमि के क्रय में अवेष्टित अतिरिक्त राशि, नियमों के अनुसार एस.डी. हेतु दायी होगी।

जे.एस.आर./एस.आर. के चार[6] कार्यालयों के अभिलेखों की फरवरी तथा जून 2011 में नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि दस मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई थी, ₹ 96.23 लाख मूल्य की आवासीय तथा कृषीय भूमि खरीदी। 2009 – 10 की अवधि के लिए आठ मामलों में, पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 51.43 लाख मूल्य के हस्तांतरण विलेख मई 2009 तथा अक्तूबर 2010 के मध्य पंजीकृत किए। तीन से सात प्रतिशत की दर से ₹ 2.75 लाख मूल्य का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया जाना था, क्योंकि किसानों ने मुआवजे की राशि से आवासीय भूमि खरीदी थी। अन्य दो मामलों में, 2010 – 11 की अवधि के लिए ₹ 44.80 लाख पर पांच प्रतिशत की दर से ₹ 2.24 लाख का एस.डी. भी उद्ग्राहय था क्योंकि मुआवजे की राशि की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष बाद जमीन खरीदी गई। इस प्रकार एस.डी. की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 4.99 लाख की सीमा तक एस.डी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

[6] जे.एस.आर.: साहा, एस. आरज: अंबाला शहर, मुलाना तथा सोहना।

हमारे द्वारा फरवरी तथा जून 2011 के मध्य इन मामलों के इंगित किए जाने के पश्चात् एस.आरज अम्बाला और सोहना ने जनवरी 2012 में बताया कि मामले मई 2011 में समाहर्ता के पास निर्णय के लिए भेजे जा चुके थे। हमें वसूली पर रिपोर्ट और बाकी जे.एस.आर./एस.आर., साहा और मुलाना से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्तूबर 2012)।

हमने मामला अप्रैल 2011 में सरकार को सूचित किया। जनवरी 2013 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबन्ध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यत: रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल ढोने के लिए परिवहन वाहनों को चलाने हेतु परमिटों का निर्गम/ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू, और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

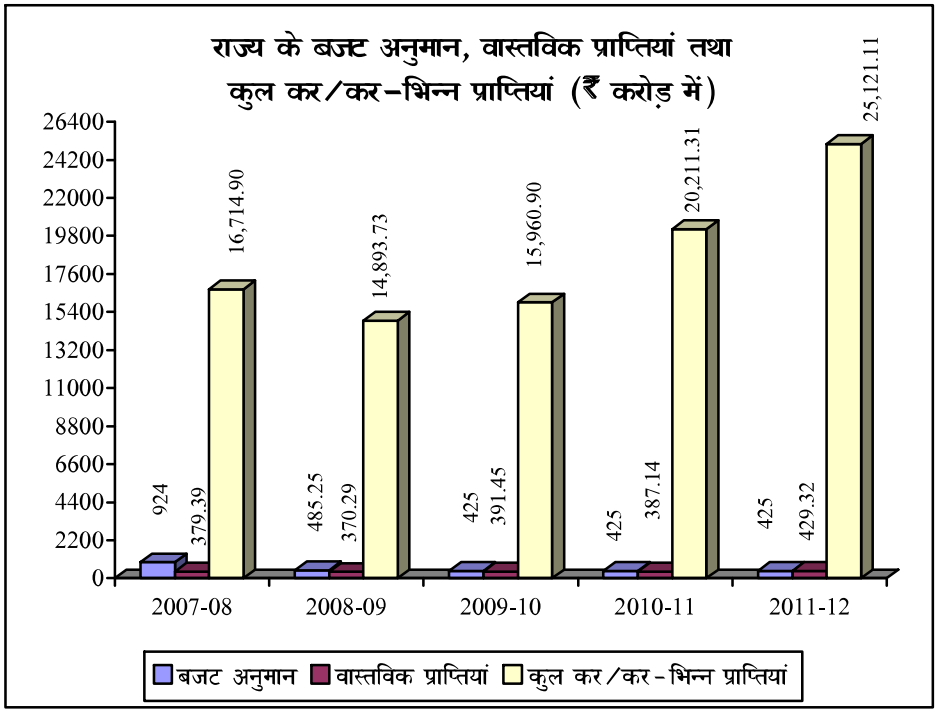
5.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 के वर्षों के दौरान पी.जी.टी. तथा वाहनों पर करों से वास्तविक प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ निम्न तालिका तथा ग्राफ में दर्शाई गई हैं:

5.1.2.1 यात्री एवं माल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	924.00	379.39	(-) 544.61	(-) 59	16,714.90	2
2008-09	485.25	370.29	(-) 114.96	(-) 24	14,893.73	2
2009-10	425.00	391.45	(-) 33.55	(-) 8	15,960.90	2
2010-11	425.00	387.14	(-) 37.86	(-) 9	20,211.31	2
2011-12	425.00	429.32	(+) 4.32	(+) 1	25,121.11	2

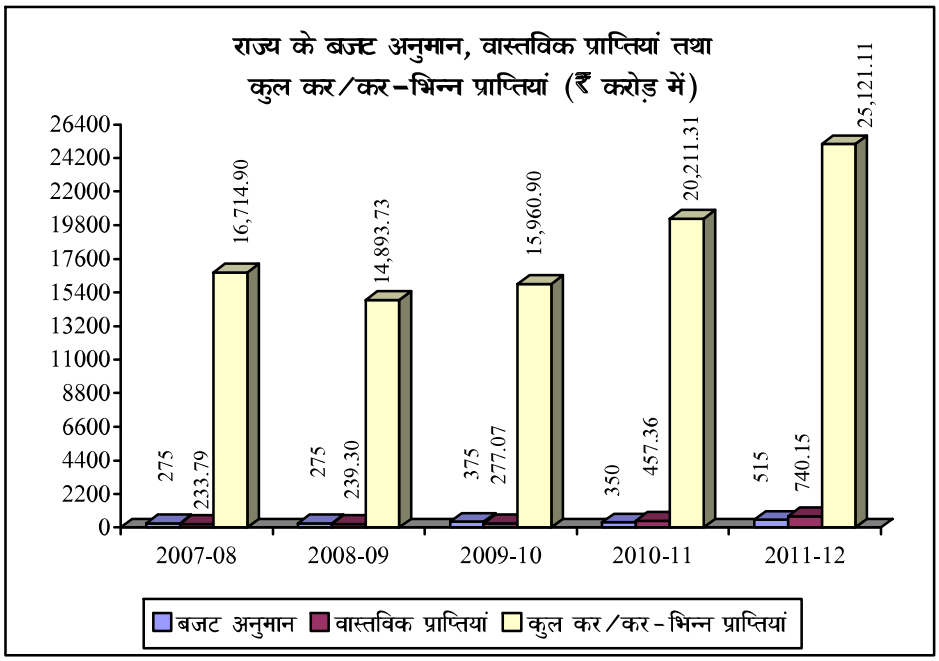


2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से पी.जी.टी. से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग की वास्तविक प्राप्तियां केवल दो प्रतिशत है।

5.1.2.2 वाहनों पर कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	275.00	233.79	(-) 41.21	(-) 15	16,714.90	1
2008-09	275.00	239.30	(-) 35.70	(-) 13	14,893.73	2
2009-10	375.00	277.07	(-) 97.93	(-) 26	15,960.90	2
2010-11	350.00	457.36	(+) 107.36	(+) 31	20,211.31	2
2011-12	515.00	740.15	(+) 225.16	(+) 44	25,121.11	3



2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से वाहनों पर करों से संबंधित परिवहन विभाग की वास्तविक प्राप्तियां एक तथा तीन प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

5.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

क: यात्री एवं माल कर

31 मार्च 2012 को पी.जी.टी. से संबंधित राजस्व के बकाया ₹ 60.18 करोड़ की राशि के थे जिनमें से ₹ 15.29 करोड़ (25 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्न

तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का आरम्भिक शेष	संगृहीत राशि	बकायों का अंत शेष	वास्तविक प्राप्तियां	प्रतिशतता (कालम 2 से कालम 3)	वास्तविक प्राप्तियों से बकायों के अंतशेष की प्रतिशतता (कालम 5 से कालम 4)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	51.97	22.28	48.55	379.39	43	13
2008-09	48.55	11.52	58.08	370.29	24	16
2009-10	58.08	16.88	64.50	391.45	29	16
2010-11	64.50	13.96	59.41	387.14	22	15
2011-12	59.41	23.14	60.18	429.32	39	14

हमने देखा कि पी.जी.टी. के राजस्व के बकाया वर्ष 2007–08 के आरंभ में ₹ 51.97 करोड़ से वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 60.18 करोड़ (16 प्रतिशत) तक बढ़ गए। वर्ष के आरंभ में लम्बित बकायों से बकायों की वसूली की प्रतिशतता 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान 22 से 43 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

सरकार, सरकारी राजस्व की वृद्धि के लिए तत्पर रूप से बकायों के संग्रहण हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग को सुझाव दे सकती है।

रव: वाहनों पर कर

विभाग ने सूचित किया कि 31 मार्च 2012 को ₹ 0.84 करोड़ के राजस्व का बकाया था। निम्न तालिका 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का आरम्भिक शेष	संगृहीत राशि	बकायों का अंत शेष	वास्तविक प्राप्तियां	प्रतिशतता (कालम 2 से कालम 3)	वास्तविक प्राप्तियों से बकायों के अंतशेष की प्रतिशतता (कालम 5 से कालम 4)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	3.20	0.44	2.76	233.79	14	1.18
2008-09	4.15	0.61	3.54	239.30	15	1.48
2009-10	3.40	0.42	2.98	277.07	12	1.08
2010-11	1.30	0.11	1.19	457.36	8	0.26
2011-12	0.92	0.09	0.84	740.16	10	0.11

हमने देखा कि वाहनों पर करों के राजस्व के बकाया वर्ष 2007–08 के आरंभ में ₹ 3.20 करोड़ से वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 0.84 करोड़ (26 प्रतिशत) तक घट गए।

वर्ष के आरंभ में लम्बित बकायों से बकायों की वसूली की प्रतिशतता 2007 – 08 से 2011 – 12 तक की अवधि के दौरान आठ से 15 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

5.1.4 संग्रहण की लागत

2007 – 08 से 2011 – 12 तक के वर्षों के दौरान पी.जी.टी. और वाहनों पर कर, राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय और सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता संबंधित वर्ष के सकल संग्रहण से संग्रहण के व्यय की संबद्ध 'अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता' के साथ नीचे उल्लिखित हैं:

क: यात्री एवं माल कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता
2007-08	379.39	1.13	0.30
2008-09	370.29	1.50	0.41
2009-10	391.45	1.94	0.50
2010-11	387.14	1.94	0.50
2011-12	429.32	2.03	0.47

ख: वाहनों पर कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	233.79	5.47	2.34	2.58
2008-09	239.30	8.00	3.34	2.93
2009-10	277.07	11.32	4.08	3.07
2010-11	457.36	13.38	2.93	3.71
2011-12	740.15	13.07	1.77	-

स्रोत: वित्त लेखा।

5.1.5 राजस्व पर लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

क: यात्री एवं माल कर

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	22	1,325	2.65	501	0.95	2	0.17
2007-08	22	1,690	3.64	384	1.52	21	0.02
2008-09	22	1,406	1.94	319	0.36	18	0.06
2009-10	23	1,358	1.76	847	0.80	72	0.07
2010-11	22	1,078	1.45	90	1.20	47	1.07
कुल	**111**	**6,857**	**11.44**	**2,141**	**4.83**	**160**	**1.39**

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली मात्र 29 प्रतिशत थी।

ख: वाहनों पर कर

नीचे तालिका 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों की संख्या, लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई अभ्युक्तियों के मूल्य, स्वीकृत मामले तथा उनके विरूद्ध की गई वसूली के विवरण प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयां			स्वीकृत मामले		वर्ष के दौरान की गई वसूली	
	संख्या	मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि	मामले	राशि
2006-07	81	66,261	18.43	-	-	-	-
2007-08	81	58,275	3.30	4,163	0.49	1	0.01
2008-09	81	4,209	2.11	1,523	1.42	81	0.10
2009-10	72	1,234	1.63	422	1.05	66	0.13
2010-11	51	828	1.83	270	0.10	-	-
कुल	**366**	**1,30,807**	**27.30**	**6,378**	**3.06**	**148**	**0.24**

हमने देखा कि 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों के संबंध में वसूली मात्र आठ प्रतिशत थी।

5.1.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

गत पांच वर्षों (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित) के दौरान 18 अनुच्छेदों (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में ₹ 16.46 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित पी.जी.टी. के अन्/कम उद्ग्रहण/वसूली, कर के विलम्बित/अभुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण, परमिट फीस/टोकन कर/बोली धन इत्यादि की अ/कम वसूली के दृष्टांत हैं। इनमें से विभाग ने ₹ 13.47 करोड़ से आवेष्टित 17 अनुच्छेदों (एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की थी तथा ₹ 89.59 लाख वसूल किए थे। विवरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

क: यात्री एवं माल कर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	(₹ करोड़ में)				(₹ लाख में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	3	1.47	3	1.47	3	25.19
2008-09	1	0.99	1	0.99	1	4.52
2009-10	1	0.65	1	0.65	1	6.32
2010-11	1	1.46	1	1.46	1	9.61
2011-12	1	6.60	1	5.24	-	-
कुल	**7**	**11.17**	**7**	**9.81**	**6**	**45.64**

ख: वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	(₹ करोड़ में)				(₹ लाख में)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	5	3.16	4	1.53	1	5.07
2008-09	2	0.63	2	0.63	2	7.78
2009-10	2	0.81	2	0.81	2	7.22
2010-11	1	0.35	1	0.35	1	6.33
2011-12	1	0.34	1	0.34	1	17.55
कुल	**11**	**5.29**	**10**	**3.66**	**7**	**43.95**

हमने देखा कि पी.जी.टी. तथा वाहनों पर करों के संबंध में स्वीकृत मामलों की वसूली क्रमश: चार और 12 प्रतिशत थी। स्वीकृत मामलों के संबंध में भी वसूली की धीमी गति सरकारी देयों को तत्पर रूप से वसूल करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों की ओर से विफलता की सूचक है।

हम सिफारिश करते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वसूली यंत्रावली को पुन: तैयार करें कि कम से कम स्वीकृत मामलों में आवेष्टित राशि को तत्पर रूप से वसूल किया जाए।

5.1.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का कार्यचालन

वाहनों पर कर

विभाग ने बताया (जून 2012) कि व्यय तथा प्राप्तियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की गई थी। विभाग में एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पांच अनुभाग अधिकारी, दो सहायक तथा एक लिपिक थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने वर्ष 2011-12 के लिए 21 आर.टी.एज और दो पंजीकरण प्राधिकारियों की लेखापरीक्षा की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की आयोजना के साथ उठाई गई तथा समायोजित की गई आपत्तियों के विवरण प्रस्तुत करने में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा) विफल रहे। अनुच्छेद 5.3.1 में चर्चा की गई अनियमितता अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि हमारे द्वारा इंगित की गई अनियमितता आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगाई गई थी।

सरकार, पी.जी.टी. तथा वाहनों पर कर राजस्व के निर्धारणों, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में त्रुटियों का समयपूर्व पता लगाने एवं सुधार सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है।

5.1.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान वाहनों पर करों, माल एवं यात्री पर करों तथा अन्य कर प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व से संबंधित परिवहन, आबकारी एवं कराधान विभागों के कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,072 मामलों में ₹ 9.22 करोड़ की राशि के कर/शुल्क, फीस तथा शास्ति इत्यादि की अवसूली/कम वसूली प्रकट की जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)			
1.	**यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां (निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	6.60
2.	विविध अनियमितताएं	487	0.50
	योग	**488**	**7.10**
ख: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1.	स्टेज कैरिज बसों/कम्बाइन हारवैस्टरों इत्यादि के संबंध में टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	238	0.43
2.	बोली धन की अवसूली	44	0.68
3.	अन्य राज्यों से स्थानान्तरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	173	0.04
4.	निजी वाहनों से टोकन कर की अवसूली/कम वसूली	741	0.28
5.	विविध अनियमितताएं	388	0.69
	योग	**1,584**	**2.12**
	कुल योग	**2,072**	**9.22**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 673 मामलों में ₹ 8.02 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 651 मामलों में आवेष्टित ₹ 7.96 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान 57 मामलों में ₹ 15.81 लाख वसूल किए जिनमें से 35 मामलों में आवेष्टित ₹ 10.36 लाख वर्ष 2011-12 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

आगे लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग ने ₹ 7.51 लााख वसूल किए।

इस अध्याय में ₹ 6.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली **''यात्री एवं माल कर से प्राप्तियां''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 33.51 लाख से आवेष्टित व्याख्यात्मक मामला अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित है।

5.2 यात्रियों तथा माल कर से प्राप्तियां

5.2.1 विशिष्टताएं

- यद्यपि आटो रिक्शा के मामले में यात्री कर के संग्रह ा का दायित्व संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) को सौंपा गया था, नमूना-जांच किए गए 10 उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालयों में से आठ द्वारा उनसे संबंधित ब्यौरे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 5.2.9)

- छह सीटों वाली मैक्सी/टैक्सी पर प्रभारित किए जाने वाले कर की राशि डीई.टी.सीज अधिकारियों को अवगत नहीं थी क्योंकि पी.पी.जी.टी. अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम इसे निर्धारित नहीं करते हैं।

(अनुच्छेद 5.2.11)

- आर.टी.एज तथा डी.ई.टी.सीज अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के परि ाामस्वरूप 368 मैक्सी कैब/टैक्सी के मामले में ₹ 91.93 लाख के यात्री कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.1)

- आर.टी.एज तथा डीई.टी.सीज कार्यालयों के बीच असमन्वय के परि ाामस्वरूप 2006-11 के दौरान नौ जिलों के आर.टी.एज द्वारा पंजीकृत 2,453 स्कूल बसों में से 1,305 स्कूल बसों के मालिको द्वारा यात्री कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.12.2)

- मैक्सी कैब/टैक्सियों के 309 मामलों में ₹ 49.88 लाख की राशि के यात्री कर, ₹ 20.07 लाख के ब्याज तथा शास्ति की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 5.2.13.1)

- विभाग ने चार जिलों में सहकारी समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त बसों के मामले में ₹ 17.08 लाख की राशि के यात्री कर तथा ₹ 2.71 लाख के ब्याज की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 5.2.13.2)

- 2,630 मामलों में 10 डी.ई.टी.सीज कार्यालयों में ₹ 3.15 करोड़ की राशि के माल कर तथा ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 5.2.14)

- विभाग ने 560 कर निर्धारित मामलों में से 81 मामलों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.28 लाख का यात्री कर वसूल नहीं किया।

(अनुच्छेद 5.2.15)

- विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान जारी 13 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.2.16.2)

5.2.2 प्रस्तावना

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर (एच.एल.ए.डी.टी.) विभाग के कुल राजस्व का हिस्सा बनते हैं। मोटर वाहनों का पंजीकरण (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों यथा हरियाणा राज्य को लागू के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित होते हैं। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले जिसमें वाहन के स्वामी का निवास या व्यापार का स्थान हैं जहां वाहन को सामान्यत: रखा जाता है के सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) के पास पंजीकृत करवाने अपेक्षित हैं। पी.जी.टी. प्रत्येक वाहन पर ऐसी दर पर उद्ग्राहय है जिसे अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्धारित करती है। वित्त वर्ष की समाप्ति या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापार की समाप्ति के बाद मोटर वाहनों के मालिको द्वारा दाखिल विवरणी तथा प्रदत्त कर के आधार पर ए.ई.टी.ओ द्वारा कर निर्धारित तथा आदेश जारी किए जाते हैं। हमने यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की कि पी.जी.टी. का संग्रहण एवं उद्ग्रहण दक्षतापूर्वक, मितव्ययी रूप से तथा अधिनियम के प्रावधानों पर बल देते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

5.2.3 संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में पी.जी.टी. के प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर, वित्त आयुक्त तथा प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग (एफ.सी.ई.टी.) उत्तरदायी है। विभागीय स्तर पर, विभाग को समस्त कार्यभार आबकारी तथा कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) के पास निहित होता है जिसकी सहायता संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.) द्वारा की जाती है। जे.ई.टी.सी. अपनी रेंज के सभी जिलों का पर्यवेक्षण करता है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का कार्य उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) द्वारा लिया गया है, जिसकी सहायता आबकारी तथा कराधान अधिकारी (ई.टी.ओज)/ए.ई.टी.ओज, कराधान निरीक्षक तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा जिला स्तर पर की जाती है।

5.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा की कि:

- बजट अनुमान (बी.ई.ज) निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए थे तथा वास्तविक थे;
- मोटर वाहनों का पंजीकरण अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया;
- विभाग में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की प्रणाली दक्ष तथा प्रभावी थी;
- पी.पी.जी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना की गई थी;
- फील्ड कार्यालयों से प्राप्त निर्धारित रिटर्नज/विवरणियों पर अनुवर्ती पर्याप्त थी; तथा
- एक कारगर आन्तरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग यंत्रावली विद्यमान थी।

5.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया था:

- पी.पी.जी.टी. अधिनियम, 1952 तथा इसके अधीन निर्मित नियम
- पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में जारी विभागीय अधिसूचनाएं तथा परिपत्र
- विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश।

5.2.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के लिए राज्य में ई.टी.सी. के कार्यालय तथा डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) के 23 कार्यालयों में से 10 में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच जून 2011 तथा फरवरी 2012 के बीच की गई। हमने चार[1] जिला कार्यालय आकार पद्धति से संबंधित आनुपातिक फार्मूला लागू कर रैंडम सैंपल चयन आधार पर तथा चार[2] जिले जोखिम विश्लेषण आधार पर चयन किए। मई 2011 में एंट्री कांफ्रैंस के दौरान विभाग द्वारा दिए गए सुझावों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में पानीपत तथा झज्जर जिले सम्मिलित किए गए थे। हमने 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि हेतु विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए समान प्रकृति के बिंदु भी शामिल किए हैं।

5.2.7 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक सूचना और अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमने एक एंट्री कांफ्रैंस (मई 2011) आयोजित की जिसमें वित्त आयुक्त सह प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) और अन्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया जहां पर लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जिलों के चयन का वर्णन किया गया। जिलों का चयन तथा लेखापरीक्षा करते समय विभाग के सुझाव भी ध्यान में रखे गए। एक एग्जिट कांफ्रैंस प्रधान सचिव हरियाणा सरकार (आबकारी एवं कराधान विभाग) और अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई (अक्तूबर 2012) जहां निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम चर्चित किए गए। एग्जिट कांफ्रैंस और अन्य समयों के दौरान विभाग/सरकार के प्रस्तुत उत्तर और विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढ़ंग से सम्मिलित किए गए।

5.2.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

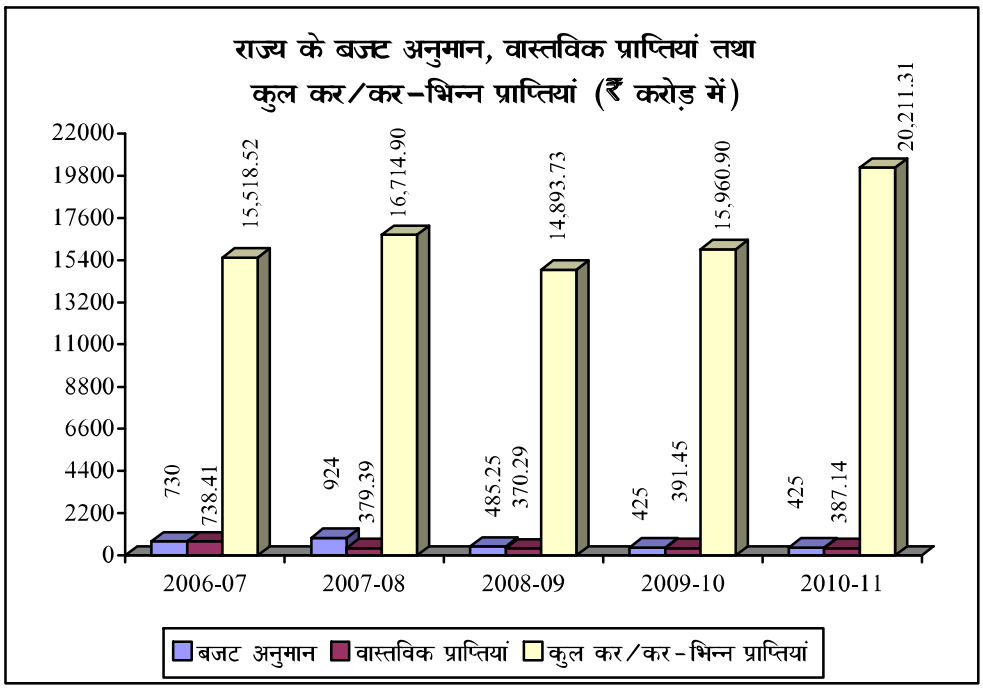
राज्य में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बी.ई.ज तथा पी.जी.टी. के द्वारा वसूल की गई वास्तविक प्राप्तियां उसी अवधि के दौरान कुल कर/कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना अनुवर्ती तालिका तथा ग्राफ में दर्शाई गई है:

[1] हिसार,जगाधरी, कुरूक्षेत्र तथा रेवाड़ी।

[2] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुड़गांव।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पी.ज़ी.टी. के संग्रहण के बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियां	कुल कर/ कर–भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006-07	730.00	738.41	(+) 8.41	(+) 01	15,518.52	5
2007-08	924.00	379.39	(-) 544.61	(-) 59	16,714.90	2
2008-09	485.25	370.29	(-) 114.96	(-) 24	14,893.73	2
2009-10	425.00	391.45	(-) 33.55	(-) 8	15,960.90	2
2010-11	425.00	387.14	(-) 37.86	(-) 9	20,211.31	2



वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/कर–भिन्न प्राप्तियों से पी.जी.टी. की वास्तविक प्राप्तियां दो से पांच प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। विभाग ने बी.ई.ज के संदर्भ के साथ कर की प्राप्तियों में अवरोही प्रवृति के लिए कारण, सहकारी बसों, निजी स्कूल बसों और यात्री कर के कर की दर में कटौती को आरोपित किए। हमने देखा कि वर्ष 2006–07 से 2007–08 में बी.ई.ज 27 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और उसके बाद वर्ष 2008–09 से 2010–11 में घट गई। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा एच.एल.ए.डी.टी. अधिनियम असंवैधानिक घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप पी.जी.टी. के अन्तर्गत राजस्व में अत्यधिक कमी हुई। इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए बी.ई.ज वास्तविक नहीं थे। एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान ने आश्वासन दिया कि वास्तविक बजट अनुमान तैयार किए जाएंगे।

अवधि 2006–11 के दौरान विभाग के पास निम्नलिखित राजस्व का बकाया संग्रहण के लिए प्रतीक्षित था।

वर्ष	बकाया की राशि (₹ करोड़ में)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2006-07	42.32	-
2007-08	48.55	15
2008-09	55.75	15
2009-10	58.99	6
2010-11	59.41	1

विभाग ने 2010–11 के लिए तथ्य स्वीकार किए।

लेखापरीक्षा परिणाम

प्रणाली की कमियां

5.2.9 आटो रिक्शा से संबंधित निर्देशों की अनुपस्थिति

विभाग में विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार, यात्री कर का उद्ग्रहण और संग्रहण संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) की जिम्मेदारी थी जबकि सड़क कर संबंधित आर.टी.ए. के द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाना था। जनवरी 2009 में जारी निर्देशों के अनुसार यात्री कर और सड़क कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की जिम्मेवारी संबंधित जिले के आर.टी.ए. को सोंप दी गई थी। आर.टी.ए. को आगे पी.जी.टी. शीर्ष के अन्तर्गत यात्री कर के एलीमैंट जमा कराने का निदेश दिया गया था।

डी.ई.टी.सीज के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि ऐसे पंजीकृत आटो रिक्शा के मालिकों के विवरण जिनके द्वारा यात्री कर के बकायों का भुगतान किया जाना था, 10 जिलों में से आठ[3] जिलों में स्थानांतरण नहीं किए गए थे। तथापि, डी.ई.टी.सी. कुरूक्षेत्र और जगाधरी द्वारा जनवरी 2010 और जून 2011 के बीच संबंधित आर.टी.एज को लंबित बकाया को विवरण भेजे गए थे लेकिन आर.टी.एज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में विभाग ने लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया।

5.2.10 मामलों के अनिर्धारण

पी.पी.जी.टी. अधिनियम का नियम 21 प्रावधान करता है कि यदि कर निर्धारण प्राधिकारी मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना संतुष्ट है अथवा मालिक उसके द्वारा सबूत की प्रस्तुति पर की किसी अवधि के संबंध में अधिनियम के नियम 17 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणियां सही और पूर्ण हैं (यह वर्ष में किसी समय पर तथा वर्ष के अंत में) या व्यापार के समापन के बाद, यदि यह वर्ष के दौरान होता है, तो वह ऐसे रिटर्नस के आधार पर मालिक से देय कर की राशि का निर्धारण करता है।

[3] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव, हिसार, झज्जर, पानीपत तथा रेवाड़ी।

वर्ष 2007 – 08 से 2010 – 11 के दौरान डी.ई.टी.सीज कुरूक्षेत्र और फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालयों और वर्ष 2008 – 09 और 2010 – 11 के लिए डी.ई.टी.सी. गुड़गांव के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई एक मामला भी कर निर्धारित नहीं किया गया था। प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण अभिलिखित नहीं थे। हमने देखा कि कोई प्रणाली उपस्थित नहीं थी क्योंकि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अनेक मामले थे। ई.टी.सी. द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण राज्य के राजकोष को यदि कोई हानि है तो लेखापरीक्षा में गणित नहीं की जा सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (अक्तूबर 2012) विभाग ने किसी निर्धारणों की अनुपस्थिति स्वीकार की तथा कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2011 – 12 में जिलों में कर निर्धारण किए गए थे।

हम सुझाव देते हैं कि विभाग द्वारा एक प्रणाली स्थापित की जाए जहां कर निर्धारित किए जाने अपेक्षित अनेक मामले हर साल वैज्ञानिक ढ़ंग से निश्चित किए जाए।

5.2.11 नियमों में कमी

पी.जी.टी. नियम पांच सीटर टैक्सियों और सात से 12 मैक्सी कैबस के मालिकों से प्रभारित किए जाने वाले यात्री कर की दरों का निर्धारण करते हैं। तथापि, छ: सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर कर प्रभारण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

हमने देखा कि आठ[4] जिला कार्यालयों में छ: सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर ₹ 100 प्रति मास प्रति सीट अर्थात् ₹ 1800 प्रति तिमाही की दर पर यात्री कर प्रभारित किया जा रहा था। डी.ई.टी.सी., गुड़गांव ने छ: सीटर टैक्सी पर ₹ 1800 प्रति तिमाही और ₹ 2100 प्रति तिमाही की दर पर कर प्रभारित किया जबकि, डी.ई.टी.सी. हिसार ने ₹ 2700 प्रति तिमाही की दर पर प्रभारित किया। विभाग ने वाहनों की इस श्रेणी पर यात्री कर उद्ग्रहण हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने तथ्य स्वीकार किए।

अनुपालना कमियां

5.2.12 वाहनों का अपंजीकरण

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 में अपेक्षित है कि मोटर वाहन का मालिक मोटर वाहन को खरीदने की तिथि के 15 दिनों के अंदर अथवा अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान करने की देयता पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से संबंधित जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी के

[4] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

पास अपना वाहन पंजीकृत करवाए। अधिनियम के अंतर्गत चूक के मामले में ब्याज और शास्ति उद्ग्राहय हैं।

5.2.12.1 वर्ष 31 मार्च 2006 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व) पर हरियाणा विधान सभा के पी.ए.सी. ने अपनी 67वीं रिपोर्ट में निदेश दिए थे कि शेष राशि की वसूली के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं और तदनुसार कमेटी को सूचित किया जाए।

इन सिफारिशों के बावजूद, नौ डी.ई.टी.सीज में अनुरक्षित पंजीकरण के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 368 वाहनों ने यात्री कर का भुगतान नहीं किया, लेकिन आर.टी.ए. के साथ पंजीकृत थे। ₹ 91.93 लाख की राशि के यात्री कर का अपवंचन हुआ।

5.2.12.2 हमने आगे देखा कि सात[5] जिलों में कुल ₹ 2,453 स्कूल बसों में से केवल 1,148 बसें पंजीकृत थी। अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक डी.ई.टी.सी. की 1,305 बसें न तो पंजीकृत की गई और न ही लेखे में ली गई। राज्य के राजकोष को इसके कारण हुई हानि सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि विद्यार्थियों से इक्ट्ठे किए गए बस प्रभारों की राशि सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। डी.ई.टी.सीज द्वारा मामला संबंधित आर.टी.एज के साथ नहीं उठाया गया। चार[6] डी.ई.टी.सीज ने बताया कि मामला आर.टी.एज के साथ उठाया जाएगा। आगे प्रगति रिपोर्ट और शेष तीन डी.ई.टी.सीज से उत्तर प्रतिक्षित थे। (अक्तूबर 2012)।

अक्तूबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग ने बताया कि वाहन मालिक अपने वाहन को राज्य में कहीं भी पंजीकृत करवा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत वाहन मालिक को संबंधित जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता है।

हमारा विचार है कि डी.ई.टी.सीज और आर.टी.एज कार्यालय के मध्य समन्वय की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप कर का अपवंचन हुआ।

5.2.13 यात्री कर की कम वसूली/अवसूली

5.2.13.1 मैक्सी सीटर और टैक्सी कार

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 और उसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत पांच सीटर टैक्सी कार पर ₹ 3,000 प्रति वर्ष की दर पर और सात से 12 सीटर मैक्सी कैब पर ₹ 100 प्रति सीट प्रतिमास की दर पर यात्री कर उद्ग्राहय है। कर तिमाही, जिससे भुगतान संबंध रखता है, के आरम्भ से 30 दिनों के अंदर समान त्रैमासिक किश्तों में भुगतान योग्य है। चूक के प्रकरण में, शास्ति और ब्याज उद्ग्राहय हैं।

5 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जगाधरी, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

6 अंबाला, जगाधरी, कुरूक्षेत्र तथा पानीपत।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के 10[7] कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 309 मैक्सी सीटर तथा टैक्सी कार के संबंध में यात्री कर का भुगतान टैक्सी मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.07 लाख के ब्याज सहित ₹ 69.95 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

विभाग ने, एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.13.2 परिवहन सहकारी समितियां बसें

यात्री सड़क परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य के लिंक रूटों पर बस चलाने वाले परमिट धारकों को, बस की सीटिंग क्षमता पर आधारित, मार्च 2007 से लागू 52/54 सीटों वाली बस हेतु ₹ 12,000 और 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 6,000 की मासिक दर पर और उनके रूट 24 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने के प्रकरण में 52/54 सीटों वाली बस के लिए ₹ 16,000 तथा 30 सीटों वाली बस के लिए ₹ 10,000 की दर पर एकमुश्त यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति व जुर्माना उद्ग्रहणीय है।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) के चार[8] कार्यालयों के अभिलेखों की 2009-10 से 2010-11 की अवधि हेतु नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 11 मामलों में परिवहन सहकारी समितियों की बसों के मालिकों ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान मासिक यात्री कर पूर्ण रूप से या भाग में जमा नहीं करवाया। यह दर्शाने के लिए कुछ अभिलिखित नहीं था कि विभाग ने चूककर्त्ता समितियों से कर वसूल करने के लिए मांग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.79 लाख (₹. 2.71 लाख के ब्याज सहित) के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.13.3 सिटी बस आपरेटर्स

पी.पी.जी.टी. (हरियाणा संशोधित) नियम, 2004, की धारा 9 (2ई), जैसा कि 24 फरवरी 2004 से शामिल की गई, प्रावधान करती है कि फरीदाबाद तथा गुड़गांव जिलों में नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों पर बसें चलाने के लिए परमिट धारकों द्वारा साधारण हॉफ बॉडी और साधारण फुल बॉडी बसों के लिए क्रमश: ₹ 4,200 तथा ₹ 7,000 प्रतिमाह की निर्धारित दरों पर यात्री कर का भुगतान करना अपेक्षित है। ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस वाली साधारण फुल बॉडी बसों से ₹ 8,000 प्रतिमास की दर पर यात्री कर उद्गृहीत किया गया।

डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) और गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 23 निजी बस आपरेटरों ने, जिन्हें सिटी क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए परमिट दिए गए थे, अप्रैल 2010 और मार्च 2011 के बीच विभिन्न अवधियों के

7 अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव, हिसार, जगाधरी, झज्जर, कुरूक्षेत्र, पानीपत तथा रेवाड़ी।

8 अंबाला, हिसार, पानीपत तथा रेवाड़ी।

लिए मासिक यात्री कर जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्ता बस मालिकों से कर वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग द्वारा कोई मांग सूचनाएं जारी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 लाख के ब्याज सहित ₹ 11.18 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस में विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

5.2.14 माल कर की अवसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार पंजीकृत भार के आधार पर निर्धारित दरों पर हरियाणा राज्य में अथवा राज्य के अन्दर से माल ले जाने के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक और निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राहय है। पी.पी.जी.टी. नियमों, 1952 के नियम 9 के साथ पठित, पी. पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 22 के निबंधन में दरें ₹ 4,000 प्रतिवर्ष (16.2 टन से ज्यादा नहीं), ₹ 5,600 प्रतिवर्ष (16.2 टन से ज्यादा लेकिन 25 टन से ज्यादा नहीं) और ₹ 12,000 प्रतिवर्ष (25 टन से ज्यादा) हैं।

10 डी.ई.टी.सी. कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जांच ने प्रकट किया कि रैंडम सैमपलिंग मैथड द्वारा प्राप्त 10,321 मामलों के सैम्पल साइज में से 2,630 मामलों में ₹ 4.33 करोड़ के माल कर जिसमें ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज सहित है प्राप्त नहीं किए गए थे। तथापि, कोई मांग सूचना जारी नहीं की गई थी और कर निर्धारण प्राधिकारी मांग और संग्रहण रजिस्टरों (डी.सी.आरज) की समीक्षा में विफल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि वसूलियां की जाएगी।

5.2.15 प्रकरणों के अनिर्धारण के कारण अवसूली/कम वसूली

पी.पी.जी.टी. अधिनियम विचार करता है कि यदि कर निर्धारण प्राधिकारी मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना या उसके द्वारा प्रस्तुत किए सबूत से संतुष्ट है कि नियम के अंर्तगत प्रस्तुत रिर्टन किसी अवधि के संबंध में सही और पूरे हैं, यह वर्ष के दौरान किसी भी समय हो सकता है तथा वर्ष की समाप्ति के समय या व्यवसाय के समापन के पश्चात् होगा यदि यह वर्ष के दौरान होती है तो ऐसे रिर्टनस के आधार पर मालिक से देय कर की राशि का निर्धारण करता है। आगे, यदि वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान किसी समय पर, कर निर्धारण प्राधिकारी, उसके द्वारा सबूतों के प्रस्तुतीकरण को मालिक की उपस्थिति की जरूरत के बिना प्रस्तुत रिटर्न के साथ या उसके द्वारा किसी अवधि भुगतान किए गए से संतुष्ट नहीं है तो यह ऐसे मालिक को एक नोटिस जिसमें स्थान और तारीख पर प्रस्तुत होने की मांग की गई हो, भेजेगा या वह स्वयं प्रस्तुत हो या कोई सबूत प्रस्तुत किया जाए जिस पर ऐसा मालिक ऐसे रिर्टन के समर्थन में उत्तर दे सकता है।

हमने डी.ई.टी.सीज अंबाला, गुड़गांव तथा रेवाड़ी के कार्यालयों में देखा कि निर्धारित 560 प्रकरणों में से 81 प्रकरणों में ₹ 13.23 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 21.05 लाख मूल्य का यात्री कर वसूल नहीं किया गया था। विभाग द्वारा कोई मांग सूचना जारी नहीं की गई।

विभाग ने स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि वसूली कर ली जाएगी।

5.2.16 आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली

5.2.16.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तथा मानीटरिंग

एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग ने प्रत्येक माह डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) द्वारा ई.टी.सी. को आठ विवरणियां/रिर्टनस प्रस्तुत की जानी निर्धारित की।

ई.टी.सी., हरियाणा के कार्यालयों में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ई.टी.सी. कार्यालय ने जिला कार्यालयों द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु विवरणियां निर्धारित की। 2009 – 10 तथा 2010 – 11 के दौरान निष्पादन की समीक्षा करने के लिए विवरणियां संकलित नहीं की गई। ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा 2006 – 09 के दौरान प्राप्त विवरणियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। निष्पादन की समीक्षा के लिए पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई। विभाग ने जुलाई 2011 में बताया कि सामान्य बैठकों में ये बिन्दु चर्चित किए गए थे। तथापि, बैठकों के कार्यवृत तथा बैठकों की तिथियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत:, निदेशालय स्तर पर जांच आन्तरिक तथा मानीटरिंग अपर्याप्त थे।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग ने तथ्यों की स्वीकार किया।

5.2.16.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा की कार्यचालन

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वास्त करने का एक साधन है कि निर्धारित प्रणालियां अच्छे से कार्य कर रही हैं। विभाग ने मई 2011 में बताया कि उनके पास मुख्यालयों पर 10 लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (15 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध) थे इसके अतिरिक्त अनुभाग अधिकारियों ने जिला स्तर कार्यालयों में पी.जी.टी. के उद्ग्रहण तथा संग्रहण के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा की।

पी.जी.टी. की प्राप्तियों की जांच के लिए, विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं इत्यादि को संहिताबद्ध नहीं किया। 2008 – 09 से 2010 – 11 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने 63 अनुच्छेदों से समायुक्त 13 निरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए तथा केवल सात अनुच्छेदों का समाधान किया।

विभाग ने बताया कि प्रत्येक जिले में, एस ओज पी.जी.टी. अधिनियम के अन्तर्गत नियमित रूप से लेखापरीक्षा कर रहे थे। तथापि, हमने देखा जिलों में तैनात एस ओज ने प्राप्तियों में केवल अंकगणीतीय त्रुटियां इंगित की थी।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान, प्रधान सचिव, आबकारी तथा कराधान विभाग ने तथ्य स्वीकार किए तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने आश्वासन दिया कि अनुभाग अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने हेतु समर्थ बनाने हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए देय समय में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.2.17 निष्कर्ष

पी.जी.टी. ने निष्पादन लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान सरकार के कर राजस्व का दो एवं पांच प्रतिशत संघटित किया। हमने देखा कि:

- विभाग ने मामलों के कर निर्धारण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे;
- विभाग ने डी.सी.आरज की समीक्षा नहीं की थी तथा जहां अपेक्षित थे, कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए;
- आर.टी.एज़ एवं डी.ई.टी.सीज़ कार्यालयों के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कर का अपवंचन हुआ;
- आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कमजोर थी; तथा
- विभाग ने अधिनियम/नियमों के प्रावधान एवं सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।

5.2.18 अनुशंसाएं

सरकार निम्न सुझावों के कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है: –

- बी.ईज़ वास्तविक बनाए जाने चाहिए;
- मांग और संग्रहण रजिस्टरों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए तथा जहां अपेक्षित हो मांग नोटिस जारी किए जाने चाहिए;
- छः सीटर मैक्सी कैब/टैक्सी पर प्रभारित की जाने वाली कर की दर निश्चित की जानी चाहिए तथा पी.पी.जी.टी. अधिनियमों/नियमों के अधीन जोड़ी जानी चाहिए;
- कर का अपवंचन रोकने हेतु आर.टी.एज़ के साथ प्रभावी समन्वय हेतु कदम उठाए जाने चाहिए; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाई जानी चाहिए।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

5.3 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अननुपालन

पंजाब मोटर वाहन अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम)/हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 प्रावधान करते हैं: –

(i) वाहनों के मालिकों द्वारा निर्धारित दर पर मोटर वाहन कर/टोकन कर/परमिट फीस का भुगतान; तथा

(ii) निर्धारित अवधि के भीतर तथा अग्रिम में भुगतान किया जाने वाला टोकन कर।

हमने देखा कि परिवहन विभाग ने टोकन कर और परमिट फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जैसा कि अनुच्छेद 5.3.1 में उल्लखित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.51 लाख के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

5.3.1 स्टेज कैरिज परमिटों पर बोली धन की अवसूली/कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत ''हरियाणा में निजी बस सेवा स्कीम – वर्ष 2001'' निश्चित मार्गों पर, 1993 स्कीम के अन्तर्गत विद्यमान परिवहन सहकारी समितियों, आम जनता तथा बेरोजगार युवाओं की नई सहकारिताओं को स्टेज कैरिज परमिटों की स्वीकृति हेतु आरम्भ की गई थी। परिचालन के परमिट तथा अधिकार, बोली आमंत्रित कर पांच वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर आपरेटरों को दिए जाने थे तथा मार्ग उच्चतम बोलीदाता को आबंटित किया जाना था। बोली धन प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाया जाना अपेक्षित था। बोली धन का भुगतान न करने के प्रकरण में प्राधिकारी शास्ति लगाने तथा परमिट के निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई कर सकता था।

मई 2010 तथा सितंबर 2011 के मध्य पांच[9] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) के वर्ष 2009 – 10 तथा 2010 – 11 मांग तथा संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) से संबंधित अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि 20 परिवहन सहकारी समितियां, जिनको पांच वर्षों की अवधि हेतु नवंबर 2001 तथा जनवरी 2002 के मध्य परमिट दिए गए थे इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार नवीकृत की गई थी। इन सहकारी समितियों द्वारा समान मासिक किस्तों में बोली धन जमा करवाया जाना अपेक्षित था। बोली धन न तो नियमित रूप से जमा करवाया गया था न ही विभाग द्वारा मांगा गया था। परमिट निलंबित/निरस्त करने अथवा शास्ति उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2009 तथा मार्च 2011 के मध्य अवधि हेतु ₹ 33.51 लाख के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

[9] अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार तथा जींद।

हमारे द्वारा मई 2010 तथा सितंबर 2011 के मध्य ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् सभी पांच आर.टी.एज ने सितंबर 2012 में बताया कि जून 2011 तथा अगस्त 2012 के मध्य 12 मामलों में ₹ 17.55 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 15.96 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

जून 2010 तथा जून 2012 के मध्य मामला सरकार को सूचित किया गया। सरकार ने सितंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

इसी तरह के मामले वर्ष 2006–07 से 2007–08 के दौरान भी 5 जिलों में ₹ 50.17 लाख की वसूली से आवेष्टित थे जिनमें से केवल ₹ 5.33 लाख आज तक वसूल किए गए थे।

अध्याय 6: अन्य कर तथा कर–भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई, आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क), विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू–विज्ञान, उद्योग तथा भू–राजस्व से संबंधित विभागीय कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना–जांच ने 4,433 मामलों में ₹ 3.81 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क)			
1.	मनोरंजन शुल्क की अवसूली	21	0.04
ख: विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)			
1.	विविध अनियमितताएं	4,171	0.09
ग: खदान एवं भू–विज्ञान तथा उद्योग			
1.	संविदा धन के विलम्बित निक्षेप पर ब्याज की अवसूली	12	3.21
2.	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली	137	0.44
	योग	**149**	**3.65**
घ: भू–राजस्व			
1.	विविध अनियमितताएं	92	0.03
	कुल योग	**4,433**	**3.81**

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने 4,290 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 4,271 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.66 करोड़ 2011–12 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने 2011–12 के दौरान 42 मामलों में ₹ 53.52 लाख वसूल किये जिनमें से 23 मामलों में आवेष्टित ₹ 5.65 लाख वर्ष 2011–12 और शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 3.84 करोड़ से आवेष्टित एक व्याख्यात्मक मामला निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित है।

खदान एवं भू–विज्ञान विभाग

6.2 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अननुपालना

खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम तथा पंजाब लघु खनिज रिआयत नियम निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

(i) पट्टा भूमि क्षेत्र से निकाले गये खनिज पर रायल्टी का उद्ग्रहण तथा रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण;

(ii) संविदा धन की वसूली; तथा

(iii) निर्धारित दर पर ब्याज का उद्ग्रहण।

हमने देखा कि विभाग ने अनुच्छेद 6.2.1 में उल्लिखित मामले में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.84 करोड़ के बोली धन की अवसूली/कम वसूली हुई।

6.2.1 बोली धन की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब लघु खनिज रिआयत नियम, 1964 के अनुसार उत्खनन के लिए खनन ठेका नीलामी द्वारा अथवा उच्चतम बोलीदाता की निविदा स्वीकार करके स्वीकृत किया जाता है। बोलीदाता से, जहां संविदा का मूल्य ₹ पांच लाख से अधिक हो जाता है, बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में और वार्षिक बोली का बारहवां भाग संविदा के आबंटन पर तुरंत अग्रिम भुगतान के रूप में जमा करवाना अपेक्षित है। वार्षिक संविदा धन, प्रतिवर्ष प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन से समान अग्रिम मासिक किस्तों में देय है। भुगतान में चूक के मामले में सक्षम प्राधिकारी नोटिस देकर संविदा निरस्त तथा प्रतिभूति की राशि जब्त कर सकता है। आगे, संविदा धन की किस्त के भुगतान में चूक के अवधि हेतु, जब तक ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी वसूलनीय है।

खनन अधिकारी (एम.ओ.), भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना–जांच के दौरान हमने दिसंबर 2010 में पाया कि ₹ 4.03 करोड़ की उच्चतम वार्षिक बोली राशि के आधार पर 2007–08 से 2009–10 तक के वर्षों के लिए चार ठेकेदारों को लघु खनिज उत्खनन परमिट अनुमत किए गए थे। यद्यपि ठेकेदार ने 2007–08 तथा 2008–09 तक के वर्षों के लिए बोली की देय राशि जमा करवा दी थी किंतु वर्ष 2009–10 के लिए देय ₹ 4.03 करोड़ की वार्षिक बोली राशि के विरूद्ध ₹ 99.62 लाख का भुगतान किया। विभाग ने बकाया राशि वसूल करने के लिए चूककर्त्ता ठेकेदारों के विरूद्ध कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया अथवा कोई अन्य कार्रवाई नहीं की। विभाग ठेकेदारों से ₹ 3.04 करोड़ का शेष बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.84 करोड़ (₹ 80.10 लाख के ब्याज सहित) की राशि के बोली धन की कम वसूली हुई।

हमने जून 2012 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया। दिसंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने अनुच्छेद स्वीकार किया तथा बताया कि तीन ठेकेदारों के संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र (₹ 3.00 लाख की वसूली सहित) जारी किए गए थे तथा ₹ 3.81 करोड़ की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक**

vuqyXud-I

¼lanHkZ vuqPNsn l[;k **1.8.5**½

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/जिनके
30 सितम्बर 2012 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

dj dk uke		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	;kx
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	8	9	13	12	12	54
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	0	12	12
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	1	8	2	2	3	16
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	3	0	0	3	6
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	3	5	5	1	6	20
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	5	5	1	6	17
राज्य उत्पाद शुल्क	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	2	2	4	2	1	11
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	0	1	1
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	2	7	4	4	1	18
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	1	0	1	1	4
;kx	y-i-i- esa izdV vuPNsn@ih-,-lh- esa ppkZ gsrq yfEcr	16	31	28	21	23	119
	y-i-i- esa lfEefyr vuPNsnksa dk ,-Vh-,u t ikIr ugha gS,	1	9	5	2	23	40

vuqyXud-II

(lanHkZ vuqPNsn l[;k 1.8.5)

लोक लेखा समिति की बकाया अनुशंसाओं के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है।

Ø- l-	ih-,-lh- fjikVZ l[;k	cdk;k vuqlkvkas dh dqy l[;k	y[kkijh{kk ifrosnu dh vof/
1ण	19	1	1977.78
2ण	22	5	1978.79
3ण	23	5	1979.80
4ण	25	4	1980.81
5ण	26	3	1981.82
6ण	28	2	1982.83
7ण	29	8	1983.84
8ण	32	5	1984.85
9ण	34	12	1985.86
10ण	36	7	1986.87
11ण	38	13	1987.88
12ण	40	25	1988.89
13ण	42	31	1989.90ए 1990.91ए 1991.92
14ण	44	41	1990.91ए 1991.92ए 1992.93
15ण	46	9	1993.94
16ण	48	10	1993.94ए 1994.95
17ण	50	41	1993.94ए 1994.95ए 1995.96
18ण	52	31	1996.97
19ण	54	43	1997.98
20ण	58	64	1999.2000
21ण	60	38	2000.01
22ण	62	46	2001.02
23ण	63	54	2002.03
24ण	64	57	2003.04
25ण	65	51	2004.05
26ण	67	52	2005.06
;kx		658	

vuyXud-III

(lnHk vuPNn l[;k 1.9.1)

30 जून 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण।

o"k	cdk;k vkb- vkjt dh l[;k	vuPNn	jkf'k (djkM+ e)
2001.02 तक	74	115	31.43
2002.03	16	40	2.36
2003.04	18	43	3.81
2004.05	23	82	4.26
2005.06	22	117	215.94
;kx	153	397	**257.80**
2006.07	26	142	29.69
2007.08	31	217	55.19
2008.09	31	206	133.04
2009.10	32	293	263.70
2010.11	1	16	1.01
dy ;kx	274	1,271	**740.43**

vuqyXud-IV

¼lanHkZ vuqPNsn l[;k 1.9.2.2½

वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं तथा अनुशंसाओं के विवरण।

y[kkijh{kk ifrosnu dk o"kZ	leh{kk dk uke	dh xbZ vuq'kalkvksa dk fooj.k
2002.03	विभिन्न स्तरों पर अपीलों की लम्बनता तथा राजस्व संग्रहण पर इसका प्रभाव	प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए सरकार विचार कर सकती है: ➢ अपील मामलों के निपटान हेतु मानक प्राप्त नहीं किए गए थे। संचित बकायों को चुकाने के लिए उपयुक्त उपाय अपेक्षित हैंऋ ➢ स्तर पर अपीलों एवं रिमांड मामलों की प्राप्तियों एवं निपटान की मानीटरिंग सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता थी ताकि नियमों के अंतर्गत निर्धरित प्रक्रिया/प्रणाली की अनुपालना कड़ाई से की जा सकेऋ ➢ निर्धरण प्राध्किारियों द्वारा समय पर अंतिमकरण करने के लिए समर्थ बनाने हेतु अपील प्राध्किारी द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु राज्य सरकार को समय सीमा का निर्धरण करना चाहिएऋ तथा ➢ सरकार/विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार को मजबूत आंतरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना चाहिए।
2003.04	कर निर्धरणों में विलम्ब तथा राजस्व एवं बिक्री कर मांगों के संग्रहण पर उनका प्रभाव	प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती है: ➢ मामलों के समयब(कर निर्धरण हेतु अधिनियम/नियमों में प्रावधनों को शामिल करनाऋ ➢ सरकारी देयों की समयपूर्व वसूली करने के लिए समर्थ बनाने हेतु डिमांड नोटिसों तथा ए.एज. द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु समय सीमा निर्धरित करनाऋ तथा ➢ सरकार/विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आन्तरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना।
2004.05	रिमांड एवं समीक्षा मामलों के निपटान में विलम्ब	मामलों के तीव्र निपटान हेतु तथा प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती है: ➢ अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार, संयुक्त आबकारी एवं कराधन आयुक्त ;अपीलद्ध क्ष्जे.ई.टी.सी ;अपीलद्धद्व, डी.ई.टी.सी., ए.ए.–वार स्तर पर रिमांड मामलों की मानीटरिंग के लिए, अनिवार्य रिमांड मामलों का अपील रजिस्टर जैसे अभिलेखों का अनुरक्षण करना। ➢ रिमांड मामलों के अंतिमकरण तथा ए.ए. को अपील प्राध्किारी द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु समय–सीमा निर्धरित करना।
2005.06	बिक्री कर में अपवंचन	अपवंचन की घटना पर नियंत्राण करने के विचार से राज्य सरकार विचार कर सकती है: ➢ अपंजीकृत डीलरों को कर के दायरे में लाने के लिए प्रतिवर्ष पर्याप्त एवं नियमित सर्वेक्षण सुनिश्चित करनाऋ ➢ कर निर्धरण अंतिम करने से पहले अन्य परिमंडलों/राज्यों

y[kkijh{kk ifrouu dk o"k	leh{kk dk uke	dh xbZ vu'kalkvk dh fooj.k
		के साथ घोषणा फार्मों के विरू(लेन–देनों का क्रास सत्यापन सुनिश्चित करनाऋ ➢ कर की छूट/रिआयती दर अनुमत करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि लेन–देन सही ढ़ंग से भरे गए निर्धरित सांविध्कि घोषणा–फार्मों एवं प्रमाण द्वारा समर्थित हैंऋ तथा ➢ राजस्व का प्रकटन रोकने के लिए विभाग के फील्ड कार्यालय के समुचित कार्यचालन को मानीटर करने के लिए आन्तरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना।
2006.07	बिक्री कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	बिक्री कर के समुचित एवं प्रभावी निर्धरणों एवं संग्रहण के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ बिक्री कर निर्धरण मामलों के मासिक निपटान हेतु मानक निर्धरित करना क्योंकि एच.जी.एस.टी. अधिनियम अप्रैल 2003 से रद्द किया गया हैऋ तथा ➢ वसूली कार्यवाहियों के प्रारंभ हेतु समय सीमा नियत करने के लिए अधिनियम/नियमों में संशोध्न करना।
2007.08	बिक्री कर/वैट अधिनियम के अंतर्गत छूट एवं रिआयतें	सरकार निम्न पर विचार कर सकती हैः ➢ घोषणा फार्म एस.टी.–14 में सम्मिलित अनुसार घोषणा फार्म वैट सी–4 में जमा करवाए गए कर के सम्बन्ध् में समान प्रावधन शामिल करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट ;आई.टी.सी. द्ध अनुमत करते समय विक्रेता डीलरों द्वारा जमा करवाए गए कर की यथार्थता तथा सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा इन फार्मों का प्रमाणीकरण/प्रचालन करनाऋ ➢ कर निर्धरणों के अन्तिमकरण से पहले अन्य परिमण्डलों/राज्य के साथ घोषणा फार्मों के विरू(लेन–देनों के क्रास सत्यापन सुनिश्चित करना तथा ऐसे क्रास सत्यापन के परिणामों की उच्च प्राध्किारियों को रिपोर्टिंग भी निर्धरित करनाऋ ➢ छूट/कर–मुक्त बिक्रियों के दावे के लिए पी.वी.सी. पाइपों तथा सम्बन्ध्ित सामान की बिक्रियों के प्रमाण/सबूत सहित बिक्रियों की सूची का प्रस्तुतिकरण निर्धरित करनाऋ तथा ➢ प्रत्यर्पण प्रकरणों तथा बिक्री कर राजस्व के निर्धरण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण में त्रुटियों का समय पर पता लगाने तथा सुधर सुनिश्चित करने के लिए बिक्री कर विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग स्थापित करना।
2008.09	बकाया बिक्री कर/वैट की वसूली	बिक्री कर/वैट के बकायों के समुचित एवं प्रभावी संग्रहण हेतु राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ बिक्री कर/वैट राजस्व के निर्धरण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में बकायों का समय पर पता लगाने एवं सुधर सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का सुदृढ़ीकरणऋ ➢ वसूली कार्रवाइयों का उनके प्रारंभ एवं पूर्णता की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग कर देयों के संग्रहण हेतु उपयुक्त यंत्राावली का विकास करनाऋ ➢ ;पद्ध जब्ती एवं जब्त की गई सम्पत्ति के निपटान हेतु वसूली कार्रवाइयां आरंभ करने के लिए समय–सीमा का निर्धरण करना, ;पपद्ध राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रा के निर्गम तथा ऐसी समय–सीमा की अनुपालना को राजस्व संग्रहण की लम्बनता से बचने के लिए ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया

y[kkijh{kk ifrouu dk o"k	leh{kk dk uke	dh xbZ vuq'kalkvk dh fooj.k
		जाना चाहिएऋ ➢ राजस्व वसूली कार्रवाई के अन्तर्गत बंद बकाया की जल्द वसूली को सुगम बनाने के लिए राज्य के भीतर विभागीय अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त यंत्राावली का विकास करनाऋ तथा ➢ बकायों के संग्रहण हेतु लक्ष्य नियत करना तथा ऐसे लक्ष्य के विरू(ए.एज तथा कलक्टरों, दोनों के निष्पादन की निकट से मॉनीटरिंग करना।
2010.11	औद्योगिक इकाई को बिक्री कर की छूट/आस्थगन एवं रियायत	स्कीम के सही मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए, आबकारी एवं कराधन विभाग तथा उद्योग विभाग के कार्यचालन पर नियंत्राण लागू करने तथा कमियों को पूरा करने हेतु सरकार विचार कर सकती हैः ➢ भविष्य में नई कर रियायत स्कीम के बनाने में राज्य सरकार की सहायता के लिए स्वीकृत एवं प्राप्त प्रोत्साहनों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस रखनाऋ ➢ व्यापार बंद करने वाली इकाइयों की देय वसूलियों की मानीटरिंग तथा तत्पर कार्रवाई करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों और आबकारी एवं कराधन विभाग के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए प्रणाली स्थापित करनाऋ ➢ कर रियायत का लाभ लेने वाली इकाइयों के सही कार्यचालन पर निगरानी के लिए प्रणाली स्थापित करनाऋ तथा ➢ करों तथा अन्य देयों की तत्पर वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों में एक प्रभावी प्रणाली प्रवर्तित करना।
	अन्तर्राज्य व्यापार में प्रयुक्त घोषणा फार्मों के क्रास सत्यापन	यह सिफारिश की जाती है कि सरकार निम्नलिखित उपायों पर विचार करेः ➢ निर्धरण की पूर्णता के समय त्राुटिपूर्ण/अपूर्ण फार्मों के कारण अनियमित छूट के विस्तार से बचाव के लिए प्रभावी आन्तरिक नियंत्राण यंत्राावली की स्थापना करनाऋ ➢ निर्धरित समय अवधि के भीतर शाखा स्थानान्तरणों से संबंधित लेन–देनों के क्रास सत्यापन के लिए प्रणाली की स्थापना करनाऋ ➢ घोषणा फार्मों के उपयोग के लिए समय–सीमा होनी चाहिएऋ ➢ डीलरों से, उनके कर रिटर्नों को प्रस्तुत करते समय, घोषणा फार्मों के उपयोग प्रमाण–पत्रा मंगवाने के लिए समुचित जांच निर्धरित तथा निष्पादित की जानी चाहियेऋ तथा ➢ विक्रय/क्रय लेन–देनों का सत्यापन करने के लिए टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर प्रयुक्त घोषणा फार्मों के विवरण को अपलोड करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

vuqyXud-V
¼lanHkZ vuqPNsn l[;k 1.10½

वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा योजना।

Ø-l-	ikfIr;ksa dk izdkj	y[kkijh{kk ;kX; bdkbZ;ksa dh dqy l[;k	,&okf"kZd ch&v/okf"kZd Vh-&=kSekfld D;-&prqekfld				o"kZ 2010&11 dk nkjku fu;kstr bdkbZ;ksa dh l[;k				2010&11 dk nkjku fu;kstr dqy bdkbZ;ksa
			,	ch	Vh	D;k	,	ch	Vh	D;k	
1ण	0039. राज्य उत्पाद शुल्क	39	21	18	.	.	21	8	.	.	29
2ण	0030. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	119	59	60	.	.	59	31	.	.	90
3ण	0041. वाहनों पर कर	75	21	54	.	.	21	25	.	.	46
4ण	0042. यात्राी एवं माल कर	23	23	.	.	.	23	.	.	.	23
5ण	0853.खदान एवं खनिज	16	8	8	.	.	8	4	.	.	12
6ण	0040. बिक्री कर	61	33	.	.	28	33	.	.	7	40
7ण	0043. विद्युत शुल्क	4	1	.	.	3	1	.	.	1	2
8ण	0045. मनोरंजन	23	.	.	.	23	.	.	.	5	5
9ण	0029. भू–राजस्व	119	.	.	.	119	.	.	.	29	29
10ण	0039. फार्मेसी	18	.	.	.	18	.	.	.	4	4
	;kx	497	166	140	-	191	166	68	-	46	280

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.टी.एन.	कृत कार्रवाई टिप्प ी
ए.ए.	निर्धार ा प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
सी.एल.	देशी शराब
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रह ा रजिस्टर
डी.सी.	उपायुक्त
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
एफ.सी.ई.टी.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.टी.ओ.	सकल आवर्त्त
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
एच.जी.एस.टी. एक्ट	हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा पावर जनरेशन निगम लिमिटेड
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970
एच.एल.ए.डी.टी.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.आर. एक्ट	भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक

आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
जे.एस.आर.	संयुक्त उप–रजिस्ट्रार
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
एम.ओ.	खनन अधिकारी
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.एस.ई.टी.	प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.आर.	उप–रजिस्ट्रार
एस.ओ.	अनुभाग अधिकारी
टी.आई.एन.	करदाता पहचान संख्या
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यू.एच.टी.	अल्ट्रा उच्च तापमान
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्मा ा संविदा कर